अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग

प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

भारतीय जनता पार्टी

अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग प्रशिक्षण प्रारूप
भाजपा

अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग
प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190

अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग
प्रशिक्षण प्रारूप

© भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली-110002

978-93-88310-25-3

"978-93-88310-25-3"

2019

मुद्रकः
एक्सलप्रिंट
सी-36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

आमुख

व्यक्ति निर्माण भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक दर्शन की महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है। सतत परिवर्तन और क्रमागत उन्नति के माध्यम से बेहतर नागरिकों से युक्त समाज का निर्माण इस प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु है। यह हमारा विश्वास ही नहीं, बल्कि संकल्प भी है।

व्यक्ति में समय के साथ परिवर्तन आता ही है। इसी प्रकार समाज में भी परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति बदलता है तो वह समाज परिवर्तन का कारक बनता है। इसे ही हम 'व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन' कहते हैं। व्यक्ति जब अपने अहम् से ऊपर उठते हैं तो वे स्वयं को बदलते हैं। इससे वे समाज में होने वाले परिवर्तन को भी प्रभावित करते हैं। वास्तव में व्यक्ति निर्माण का यही हमारा वैश्विक अधिष्ठान और समाज दर्शन है।

परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एक व्यक्ति की भाँति एक राजनीतिक दल भी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी महत्त्वपूर्ण और परम आवश्यक है। एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण चुनाव जीतने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता प्रशिक्षण 1980 के दशक से ही जारी है। इससे कार्यकर्ता निर्माण एवं कार्यकर्ता के व्यक्तिगत विकास में अत्यधिक मदद मिली है।

भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में दृढ़ एवं अटूट विश्वास है। देश का लोकतांत्रिक ढांचा तथा पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र दोनों ही ऐसे अवयव हैं जिन पर समझौता नहीं हो सकता। इन दोनों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण अति महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक दल में बड़ी संख्या में लोग आते ही हैं। कभी-कभी तो इस संख्या का पता ही नहीं चलता। इसलिए ये सभी लोग पार्टी के लिए संपदा भी बन सकते हैं और बोझ भी। वर्ष 2014 के बाद बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में

शामिल हुए हैं। इसलिए यह पार्टी को सोचना है कि उन्हें 'संपदा' में परिवर्तित करे अथवा 'बोझ' में। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तव में इसी विचार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रम, जन कल्याण संबंधी नीतियाँ, विधान संबंधी प्रक्रिया, शासन, प्रशासकीय एवं विधि संबंधी कौशल, मीडिया प्रबंधन और जन संवाद ऐसे महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में एक राजनीतिक कार्यकर्ता को महज जानकारी ही नहीं, बल्कि अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यही सोचकर इन सब पहलुओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

भारतीय लोकतंत्र प्राचीन भारतीय मूल्यों की मजबूत नींव पर टिका है। लेकिन इसे समय-समय पर चुनौतियों एवं खतरों का भी सामना करना पड़ता है। जातिवाद इसका एक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अन्य दलों से भिन्न दल होने का दावा करती है। इसलिए हम लोकतंत्र को अन्य दलों से बेहतर ढंग से पोषित करने की ही बात नहीं करते, बल्कि एक आदर्श लोकतंत्र बनाने का ईमानदार प्रयास भी करते हैं। इस प्रक्रिया में लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उनसे मुक्ति पाना भी जरूरी है। इसमें भी प्रशिक्षण की महती भूमिका है।

हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो सभी दृष्टि से एक सच्चे प्रजातंत्रवादी थे, भारतीय जनसंघ के संदर्भ में कहते है कि:

'भारतीय जनसंघ एक अलग प्रकार का दल है। किसी भी प्रकार सत्ता में आने की लालसा वाले लोगों का यह झुण्ड नहीं है... जनसंघ एक दल नहीं वरन आन्दोलन है। यह राष्ट्रीय अभिलाषा का स्वयंस्फूर्त निर्झर है यह राष्ट्र के नियत लक्ष्य को आग्रहपूर्वक प्राप्त करने की आकांक्षा है।'

-पी. मुरलीधर राव
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, प. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

विषय सूची

1.	**सांस्कृतिक राष्ट्रवाद**	8
	राष्ट्र का अधिष्ठान संस्कृति में ही होता है	8
	अंग्रेजों का दुष्प्रचार –''भारत पर आर्यों का आक्रमण''	11
	राष्ट्र की आत्मा चिति	13
	स्वस्थ समाज की शक्ति – 'विराट्'	14
	स्वराज्य एवं सुराज्य	14
	विविधता में एकता	14
2.	**एकात्म मानववाद**	17
	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	17
	वैचारिक पृष्ठभूमि	20
	विकास क्रम एवं नामकरण	26
	जीवन दर्शन	29
3.	**अर्थायाम**	36
	भारतीय संस्कृति में अर्थ एवं उसका मनोविज्ञान	36
	स्वामित्व का सवाल	39
	आर्थिक लोकतंत्र	40
	विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था	43
	अर्थ–संस्कृति	48
4.	**सामाजिक समरसता**	51
5.	**विचार परिवार**	60
6.	**कार्यपद्धति**	63

	व्यक्तिगत व्यवहार	63
	उपाय	65
	परिणाम	66
	सामूहिक	69
	सावधानियाँ	71
	संपर्क	72
	संवाद	74
	संवाद क्यों	74
	संवाद व्यवहार	74
	बैठक	76
	मीडिया (प्रसार माध्यम)	79
	विस्तार की दृष्टि	79
7.	**कार्यकर्ता व्यक्तित्व विकास**	82
8.	**संगठन संरचना**	84
9.	**सुशासन और भाजपा**	87
	सुशासन के प्रमुख तत्त्व	88
10.	**संगठन एवं सत्ता में समन्वय**	93
	विचार, संगठन, सरकार, लोक कल्याण	93
	समन्वय व्यवस्था भी है और प्रवृत्ति भी	95
	कठिनाइयाँ	96
11.	**देश के समक्ष चुनौतियाँ**	97
	बाहरी चुनौतियाँ	98
	आंतरिक चुनौतियाँ	100
	माओवाद	100

गैर सरकारी संगठनों का जाल 101
आर्थिक चुनौतियाँ 102
सामाजिक मुद्दे 104
12. विदेश नीति 105
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 105
वर्तमान परिदृश्य 106
सम्मान – गरिमा और प्रतिष्ठा 107
संवाद – अधिक से अधिक मेलजोल और बातचीत 108
समृद्धि – साझी उन्नति 109
सुरक्षा – क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा 110
संस्कृति एव सभ्यता –
सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध? 111
विदेशों में बसे भारतीयों की भूमिका 112
13. मीडिया और सोशल मीडिया 113
मीडिया से बातचीत 114
संवाद 116
तथ्य और विषय वस्तु 117
डिजटिल/सोशल मीडिया 118
सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय
ध्यान रखने वाली बातें 120

1. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

राष्ट्र का अधिष्ठान संस्कृति में ही होता है

भारतीय संस्कृति 'भूमि' को माता व 'जन' को संतान के रूप में देखती है। हम पहले ऐसे राष्ट्र हैं जिसकी कल्पना मातृशक्ति के रूप में हुई। हमारे देश की राष्ट्र चेतना के विस्तार का विवरण हमारे पुराने साहित्यों में, वेदों में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में मिलेंगे। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में 63 श्लोकों की एक मालिका है, जिसमें इस धरती के साथ हमारा संबंध क्या है, इसका पूर्ण विवरण है।

माता भूमिः पुत्रे अहं पृथिव्या!

अर्थात् पृथ्वी मां का स्वरूप है और मानव उसका पुत्र।

अथर्ववेद के श्लोकों में राष्ट्र का वर्णन इस प्रकार है:-

भद्र इछन्त ऋशयः स्वर्विदः॥
तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे रुं।
ततो राष्ट्र बलं ओजश्च जातम्॥
तदस्मै देवा उपसं नमन्तु।

अर्थात् आत्मज्ञाणी ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में जो दीक्षा लेकर किया, उससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ। इसलिए सब राष्ट्र के सामने नम्र होकर इसकी सेवा करें।

अथर्ववेद में विविधता को भी पहचाना गया। हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न परंपराएं हैं और भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं और भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं, और भिन्न-भिन्न जगह हैं, कहीं जंगल है, तो कहीं हिमाच्छादित पर्वत हैं। हमारे राष्ट्रवाद का मर्म - 'भारत माता की जय' है। वेदों के अलावा

वाल्मीकि रामायण में भी राष्ट्र के प्रति गहरी आस्था प्रकट की गई है। प्रसंग है – लंका विजय के बाद जब यह विषय आया कि क्यों न प्रभु राम अपनी सेना समेत वहीं रह जाएं। तब सोने की लंका दुनिया की धन-संपदा की राजधानी थी। लंका कोई गरीब राष्ट्र नहीं था। लेकिन भगवान् राम लक्ष्मण से कहते हैं, **'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी।'** अर्थात् हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। राष्ट्र की संकल्पना का यह पुरातन साहित्य विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा।

विष्णुपुराण में भी राष्ट्र की एक संकल्पना है,

''उत्तरं यत्समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं।
वर्ष तद भारतं नाम, भारती यत्र संततिः।''

अर्थात्, ''जो समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उसका नाम भारत है तथा यहां के लोग भारतीय हैं।'' यह अभिकल्पना दो सौ साल की नहीं है। वेद व्यास जी ने इसे 5000 वर्ष पहले ही लिखा था। यह हमारी जीवंत धारा है, परंपराओं, पद्धतियों और पूजा के माध्यम से, तीर्थयात्राओं के माध्यम से इस राष्ट्र के प्रति एक सम्पूर्ण चेतना का जागरण समाज ने किया। भारत की सांस्कृतिक एकता एवं तद्जनित राष्ट्रीयता, नकारात्मक नहीं वरन् विधायक है। आज भी किसी कर्मकांड या अनुष्ठान के लिए हम संकल्प लेते हैं तो भारत राष्ट्र का महात्म्य और भौगोलिक स्थिति का स्मरण जरूर करते हैं–

हरि ओम ..... वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविशांतितमे
कलियुग कलि प्रथम चरणे।
जम्बू द्वीपे भरत खण्ड भारत वर्षे आर्या वर्तान्तर्ग देशैक
पुण्यक्षेत्र षष्टि संवतसराणां.....।

आर्थात् जम्बूद्वीप बहुत ही विशाल भूभाग है, उसके दक्षिणार्द्ध में 6 विभागों वाला भरत खण्ड है, उसके लगभग एक खण्ड में आर्यावर्त अथवा वर्तमान भारतवर्ष है। यही नहीं महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ

पूरे भारत का भौगोलिक परिचय दिग्विजय वर्णन, तीर्थयात्रा वर्णन एवं स्वयंवर वर्णन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कोई भी अन्य सभ्यता या साहित्य अपने देश के बारे में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती।

हम अखंड भारत के उपासक हैं। दीनदयाल जी कहते हैं 'अखंड भारत हमारे लिये राजनैतिक नारा नहीं वरन् हमारी श्रद्धा का विषय है। बंगाल के प्रमुख साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय अपने उपन्यास आनन्दमठ में सन् 1882 में जिस वन्दे मातरम् गीत को सम्मिलित किया था वह आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देश का मुख्य गीत बन गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतमाता को चारभुजाधारी हिन्दू देवी के रूप में चित्रित किया जो केसरिया वस्त्र धारण किये है और अपने हाथ में पुस्तक, माला, श्वेत वस्त्र तथा धान की बाली लिये हुए है।

स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहा था– Nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or spiritual principle. One lies in the past, one in the present. One is the possession in common of a rich legacy of memories; the other is present-day consent, the desire to live together, the will to perpetuate the value of the heritage that one has received in an undivided form.

यानी राष्ट्र एक आत्मा है। एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। वास्तव में ये दोनों बातें एक ही हैं जो आत्मा और आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन करती हैं। एक हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है और दूसरा वर्तमान है। एक हमारी समृद्ध स्मृतियों की धरोहर है और दूसरा सह अस्तित्व और अखंडित विरासत के मूल्यों की साथ रहने की इच्छाशक्ति की सहमति है।

इसके उलट पश्चिम में राष्ट्र की कल्पना पितृशक्ति के रूप में है। पश्चिम के देशों में न तो ऐसी कोई संकल्पना है और इस प्रकार का

कोई इतिहास नहीं है जिसके आधार पर हम अपने देश का विश्लेषण कर सकें। पश्चिम में राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना रही है और इस परिकल्पना का प्रारंभिक इतिहास ही विवादित रहा है क्योंकि इसके साथ एक सैद्धांतिक सवाल जुड़ा है - पहले अस्तित्व में कौन आया, देश या राष्ट्र-राज्य? देश की संप्रभुता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलनों की जो आवाजें उठीं, उसी को पूरा करने के लिए राष्ट्र-राज्य बनाया गया। यानी देश के भीतर ही कई देश।

अमेरिका एक राष्ट्र-राज्य है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में भी अगर राष्ट्र-राज्य की कल्पना है तो उसका क्या इतिहास है? जर्मनी का भी राष्ट्र-राज्य की संकल्पना है। इटली भी इसमें शामिल हैं पर चार-पाँच सौ साल पहले का इनका कोई ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारे साहित्य और जीवन मूल्यों का इतिहास पाँच हजार साल से भी पुराना है। इसलिए भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जो संकल्पना हमारी है, उसका उदाहरण न अमेरिका हो सकता है, न इंग्लैंड हो सकता है, न जर्मनी हो सकता है, न ही इटली हो सकता है।

अंग्रेजों का दुष्प्रचार -''भारत पर आर्यों का आक्रमण''

इस पर डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है - "The language in which reference to the seven rivers is made in the Rig Veda is very significant- No foreigner would ever address a river in such familiar and endearing terms as 'My Ganga, my Yamuna, my Saraswati', unless by long association he had developed an emotion about it- In the face of such statements from the Rig Veda there is obviously no room for a theory of a military conquest by the Aryan race of the non-Aryan races of Dasas and Dasyus."

ऋग्वेद में सातों नदियों के बारे में जिस भाव व भाषा में लिखा गया है वह काफी महत्त्वपूर्ण है। कोई भी विदेशी नदियों को मेरी गंगा, मेरी

यमुना और मेरी सरस्वती जैसे आत्मीय व श्रद्धा भाव से संबोधित नहीं कर सकता जब तक कि उसका इनके साथ लंबा संबध ना रहा हो और उनके प्रति भावनात्मक लगाव ना हो। ऋग्वेद के इस संदर्भ के बाद इस सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि आर्यों ने भारत पर हमला कर गैर आर्यों को अपना दास बना लिया था।

गंगे! च यमुने! चैव गोदावरी! सरस्वति! नर्मदे! सिन्धु!
कावेरि! जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥

आज भी हमारे यहाँ कहीं भी नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते समय गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी का स्मरण करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे वेदों में उन सभी प्रमुख नदियों का वर्णन है जो भारत वर्ष में बहती रही हैं।

वामपंथी इस यूरोपीय व्याख्या को स्वीकार कर भारत को बहु-राष्ट्रीय देश कहते थे। इसीलिये इस्लामिक मजहब के आधार पर जब द्वि-राष्ट्र का नारा बुलंद हुआ, साम्यवादी लोग मुस्लिम लीग के साथ थे। भारत की सांस्कृतिक एकात्मता पर मजहबी एवं साम्राज्यवादी राजनीति ने आघात किया एवं भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ।

हमें आत्म-विस्मृत करने के लिए अंग्रेजों ने यह प्रचारित किया कि हम कभी राष्ट्र थे ही नहीं। वे हमारे देश को Nation in Making की संज्ञा देते थे। उनके अनुसार भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। भारत एक देश एवं एक जन नहीं वरन् बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसंस्कृति वाला उपमहाद्वीप है। पाश्चात्य जगत ने सांस्कृतिक राष्ट्र के स्थान पर 'राष्ट्र-राज्य' की कल्पना प्रस्तुत की जिसने विश्व को दो महायुद्ध, उपनिवेशवाद एवं अखंड वैश्विक अशांति प्रदान की।

'राष्ट्र-राज्य' अवधारणा ने पश्चिम को भी कलहकारी राजनैतिक सत्ताओं में बांट रखा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद सकारात्मक यूरोपीय

राष्ट्रवाद कुछ जोर मार रहा है। महायुद्धों के कड़वे अनुभवों के बाद अब वे यूरोपीय संसद, यूरोपीय बाजार एवं यूरोपीय मुद्रा का निर्माण कर रहे हैं । 'राष्ट्र-राज्यों' में विभक्त यूरोप को 'भू-सांस्कृतिक राष्ट्र' बनने में अभी समय लगेगा। यही स्थिति 'अरब राष्ट्रवाद' एवं 'अफ्रीकन राष्ट्रवाद' की है। ये राष्ट्रवाद अभी केवल नारों में है, धरती पर अभी साकार नहीं हुये हैं। भारत में एक शक्तिशाली भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण कर विश्व शांति यानी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को साकार करने वाला वैश्विक अभियान हमें चलाना होगा तभी विश्व इस विधायक विचार को समझेगा ।

राष्ट्र की आत्मा-'चिति'

दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे-किसी भी कार्य के गुण-दोषों का निर्धारण करने की शक्ति अथवा मानक चिति शक्ति है। प्रकृति से लेकर संस्कृति तक में उसका सर्वव्यापक प्रभाव है। उत्थान, प्रगति और धर्म का मार्ग चिति है। चिति सृजन है और उसके आगे विनाश ही है। चिति ही किसी भी राष्ट्र की आत्मा है जिसके सम्बल पर ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। चितिविहीन राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। वही एक शक्ति है जो मार्ग प्रशस्त करती है श्रद्धा और संस्कृति का। राष्ट्र का हर नागरिक इस चिति के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हित से जुड़ी संस्थाएं भी इसी चिति के दायरे में आती हैं। कोई भी समाज किसी बात को श्रेष्ठ अथवा अश्रेष्ठ क्यों मानता है? जो 'चिति' के अनुकूल हो वो श्रेष्ठ अर्थात् संस्कृति, जो चिति के प्रतिकूल हो वह अश्रेष्ठ अर्थात् विकृति। यह चिति जन्मजात होती है, इसके उत्थान-पतन से राष्ट्रों का उत्थान-पतन होता है। अपनी 'चिति' के विस्मरण ने हमें दूसरों का गुलाम बनाया, चिति के पुनः स्मरण ने आजादी दिलाई।

इकबाल ने कहा-

यूनान मिस्र रोमां, सब मिट गये जहाँ से।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।।

स्वस्थ समाज की शक्ति - 'विराट्'

यह समाज की अन्तर्निहित एवं प्रतिरोधक शक्ति है। समाज के समस्त घटकों का जन्म 'विराट्' से ही होता है। घटकों में पृथकता का भाव 'विराट्' को शिथिल करता है । सांस्कृतिक राष्ट्र की नियामिका शक्ति है 'चिति' एवं 'विराट्'। जागृत चिति एवं शक्तिशाली विराट् राष्ट्र का नियोजन एवं संर्वधन करते हैं।

स्वराज्य एवं सुराज्य

यदि संस्कृति का विचार न हो तो स्वतंत्रता की लड़ाई स्वार्थी एवं सत्ता पिपासा की लड़ाई बन जायेगी। सत्ता पिपासा ने ही भारत के स्वातंत्र्य समर को विपथगामी बनाया और हम विभक्त हो गये। साम्राज्यवादी सत्तातंत्र ही स्वदेशी हाथों से संचालित होता रहा है। इसे सही अर्थों में स्वराज्य एवं सुराज्य बनाना है।

विविधता में एकता

हम एक देश, एक जन तथा एक संस्कृति हैं। भारत की संस्कृति 'एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति' के अधिष्ठान पर विकसित हुई है। यहाँ विविधता समाज के शृंगार का नियामक है, विघटन का नहीं। भारत के सभी पंथ, जाति, भाषा, कला एवं संगीत भारतीय संस्कृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर राष्ट्रनायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत भूमि का वर्णन इस प्रकार किया है।

भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरूष है।
हिमालय इसका मस्तक एवं गौरी शंकर शिखर है।
कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं।
विंध्याचल कटि है, नर्मदा करधनी है।
पूर्वी और पश्चिमी घाट, दो विशाल जंघायें हैं।

कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है।
पावस के काले-काले मेघ, इसके कुंतल केश हैं।
चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं।
यह वंदन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है।
यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।
इसका कंकर-कंकर शंकर है,
इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है।

मिश्रित संस्कृति का विचार द्विराष्ट्रवाद एवं बहुराष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, अतः यह वर्ज्य होना चाहिये। रसखान, अब्दुर्रहीम खानखाना, मौलाना दाउद, कुतबन, मंझन, मलिक मुहम्मद जायसी, नजरूल इस्लाम तथा कवि मीर तकी आदि मुस्लिम महापुरूषों की एक शृंखला है जो भारत की एकात्म संस्कृति के वाहक हैं। आधुनिक काल में भी श्रीमती एनीबेसेंट, जमशेद जी टाटा, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला, पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व मौलाना वहिदुद्दीन खान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र इसके इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन और संस्कृति में सर्वत्र विपुल मात्र में विद्यमान हैं। जिन नदी-तटों पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा वाङ्मय रचा जो मानव-सभ्यता का मानदण्ड बन गया, जिन पर्वतों की कन्दराएँ ऋषियों की तपस्या से धन्य हुईं, जो सरोवर उनकी साधना के साक्षी बने, उनके दर्शन और स्पर्श से तन-मन के पाप-ताप का शमन होता है। इन तीर्थों की यात्रा और उसके माध्यम से होने वाले चारों दिशाओं में अन्तिम छोरों तक सम्पूर्ण देश के दर्शन, देश के कण-कण से जुड़ा पुण्यबोध, सारे देश में व्याप्त समान सांस्कृतिक आचार-व्यवहार को देखकर समस्त देशवासियों के प्रति उत्पन्न होने वाली आत्मीय भावना, कुम्भ जैसे विशाल मेलों के अवसर पर देशभर के लोगों का सान्निध्यवास, साधु-सन्तों और विद्वान् आचार्यों

द्वारा दूर-दूर तक भ्रमण करके जगायी जाने वाली आध्यात्मिक चेतना और सम्पूर्ण देश में स्वीकृत समान जीवन-मूल्य ही इस देश को एक राष्ट्र के रूप में अमरत्व प्रदान करते हैं।

इस अनुभूति को राष्ट्र के जन-जन के मन में अंकित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन पवित्र नदी-पर्वतादि नैसर्गिक वरदानों, तीर्थों तथा पूर्वजों की महान् स्मृतियों के वाहक स्थलों का परिचय प्रत्येक भारतवासी को हो।

❍

2. एकात्म मानववाद

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

'एकात्म मानववाद' एक ऐतिहासिक विचार शृंखला की कड़ी के रूप में उत्पन्न हुआ। यह प्राचीन यूनान व प्राचीन भारत के आधुनिक संस्करणों 16वीं, 17वीं सदी के यूरोपीय पुनर्जागरण तथा 20वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के मेल का परिणाम था। 'थियोक्रेटिक' रोमन साम्राज्य के रूप में स्थापित ईश्वरी राजसत्ता को चुनौती दी गई थी। 'ईश्वर' एवं 'रहस्यवाद' के खिलाफ, प्राचीन ग्रीक दर्शन के प्रकाश में, 'मानववाद' का प्रणयन हुआ था। 15वीं शताब्दी के मध्य में कोंसटेनटिनोपल (Constantinople) के पतन (1453) के बाद भूमध्य-रेखीय सभ्यता का चरित्र ही बदल गया। धरती के पटल की छानबीन शुरू हो गई, कोलम्बस ने नई दुनिया को खोज निकाला। कोपरनिकस, गेलिलियो और न्यूटन के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने चिंतन की दिशा एवं दृष्टि को ही बदल दिया।

इटैलियन पुनर्जागरण यूरोप व्यापी हो गया। अगोचर सत्ताओं के स्थान पर विवेक, विज्ञान, विमर्श व साइंस की सत्ताओं की स्थापना हुई। पदार्थ एवं उसकी प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ हुआ। मेकियावेली से लेकर मार्क्स व मिल तक की एक विचारक शृंखला उत्पन्न हुई, जिसमें से 'पार्थिव मानववाद' उसकी 'लौकिक प्रवृत्ति' (Secular) एवं अनेक नवीन वादों का विकास हुआ। 'राष्ट्रीय राज्य' की नवीन राजनैतिक इकाई उत्पन्न हुई तथा व्यक्तित्ववाद व समाजवाद की परस्पर उग्र विरोधी धारणाओं का प्रणयन हुआ।

नवीन खोजों तथा साहसिक पूंजीवाद के प्रकाश में यूरोपीय लोगों ने नई दुनियां में समुद्र पार व्यापार प्रारम्भ किया। यूरोपीय पुनर्जागरण तथा

यूरोपीय साम्राज्यवाद का विकास साथ-साथ ही हुआ था। यूरोपीय सम्पर्क, उसके साम्राज्यवाद की चोट एवं प्रजागृत आत्मसम्मान में से 20वीं सदी में एशियाई पुनर्जागरण का जन्म हुआ। भारत ने उसका नेतृत्व किया। एशियाई पुनर्जागरण 'यूरोपीय मानववाद एवं भारतीय आत्मवाद' का संगम स्थल बन गया। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद व दयानन्द जैसे लोगों ने, इस पुनर्जागरण के शंख को फूंका।

पुनर्जागरण के इसी आह्वान में से भारतीय स्वाधीनता संग्राम उदित हुआ था। एक वैचारिक मंथन शुरू हुआ, जिसमें से राजा राममोहन राय के 'ब्रह्मवाद', विवेकानंद के 'समन्वित वेदान्त' तथा दयानंद के 'आर्यत्व' के संदेश रूपायित हुए थे। इसी धारा का लोकमान्य तिलक के 'कर्मवादी स्वराज्यवाद', अरविंद के 'वेदान्तिक स्वराज्य', गोखले, रानाडे व नौरोजी के 'उदारवादी सुराज्यवाद' के चिंतन के रूप में विकास हुआ। इसी को महात्मा गाँधी के रामराज्य व सर्वोदय के विचारों ने, जवाहरलाल नेहरू के 'प्रजातंत्रवादी समाजवाद' ने तथा आचार्य नरेन्द्र देव के 'भारतीय समाजवाद' ने और आगे बढ़ाया। साम्यवाद की भी भारतीयतापरक वैदान्तिक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। प्रतिभा-सम्पन्न मार्क्सवादी भारतीय एम.एन. रॉय ने गैर-साम्यवादी बनकर 'नव मानववाद' का विचार प्रतिपादित किया। विनायक दामोदर सावरकर ने 'हिन्दुत्व दर्शन' को राजनैतिक विचारधारा का आधार बनाया। इस सारे चिंतन में भारतीय पुनर्जागरण प्रतिपादित, पाश्चात्य एवं भारतीय विचारों का परस्पर मंथन व सम्मिश्रण हो रहा था। इसी दौरान भारत स्वतंत्र हुआ। विचार-मंथन चलता ही रहा। इस विचार शृंखला की नवीनतम कड़ी है, दीनदयाल उपाध्याय प्रणीत 'एकात्म मानववाद'। स्वातंत्रेत्तर भारत में इस विचार मंथन की प्रक्रिया का उपाध्याय निम्न शब्दों में वर्णन करते हैं:

''स्वातंत्र्योत्तर काल में भारतीय राजनैतिक दर्शन का विचार बिल्कुल नहीं हुआ, यह कहना सत्य नहीं होगा। किन्तु अभी संकलित प्रयत्न

करना बाकी है। गाँधीजी की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए तथा भारतीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए, सर्वोदय के विभिन्न नेताओं ने महत्त्वपूर्ण कल्पनाएं रखी हैं। किन्तु विनोबा भावे ने 'ग्रामदान' के कार्य को जो अतिरेकी महत्त्व दिया है, उससे उनका वैचारिक क्षेत्र का योगदान पिछड़ गया है। जयप्रकाश बाबू भी जिन पचड़ों में पड़ गए हैं, उससे उनका चिंतन का कार्यक्रम रुक गया है। रामराज्य परिषद् के संस्थापक स्वामी करपात्रीजी ने भी 'रामराज्य और समाजवाद' लिख कर पाश्चात्य जीवन दर्शनों की मीमांसा की है तथा अपने विचार रखे हैं, किन्तु उनकी दृष्टि मूलत: सनातनी होने के कारण, वे सुधारवादी आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मा. स. गोलवलकर भी समय-समय पर भारतीय दृष्टिकोण से राजनैतिक प्रश्नों का विवेचन करते हैं। भारतीय जनसंघ ने भी 'एकात्म मानववाद' के आधार पर उसी दिशा में कुछ प्रयत्न किया है। हिन्दू सभा ने 'हिन्दू समाजवाद' के नाम पर समाजवाद की कुछ अलग व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, किन्तु वह विवरणात्मक रूप से सामने नहीं आया है। डॉ. सम्पूर्णानंद ने भी जो 'समाजवाद' पर विचार व्यक्त किए हैं, उनमें भारतीय जीवन-दर्शन का अच्छा विवेचन है। चिंतन की इस दिशा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।''

राजा राम मोहन राय से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक लगभग अस्सी वर्ष का कालखण्ड है, जिसमें पाश्चात्य एवं भारतीय जीवन-दर्शन, व्यवहार व तत्वज्ञान में एक सतत संघर्ष चल रहा है। इस मंथन का नवरसायन 'एकात्म मानववाद' ही है। यह विचार भारत की इस शताब्दी की एक प्रखर मनीषा का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत को भारत बनाए रखना चाहती है पर दुनिया से कटकर नहीं, जो जागतिक ज्ञान विज्ञान का उत्कर्ष चाहती है पर अध्यात्म को छोड़कर नहीं, जो संसार के नवीनतम प्रयोगों में योगदान करना चाहती है, पर स्वयं को भूलकर नहीं।

वैचारिक पृष्ठभूमि

'एकात्म मानववाद' की पृष्ठभूमि के दो आयाम हैं: प्रथम, पाश्चात्य जीवनदर्शन तथा द्वितीय भारतीय संस्कृति। 'मानववाद' मुख्यत : पाश्चात्य अवधारणा है तथा 'एकात्मता' भारतीय। पाश्चात्य प्रयोगों में लौकिक जीवन का वैशिष्ट्य हैं अत: कहा जा सकता है कि पाश्चात्य 'मानववाद' के भारतीयकरण की प्रक्रिया की फलश्रुति है 'एकात्म मानववाद'।

(क) पाश्चात्य जीवनदर्शन : पश्चिम ने जिस प्रकार की तानाशाहियों, क्रूरताओं तथा अमानवीय धार्मिक सत्ताओं का जीवन भोगा, उसकी तीव्र प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी थी। अत: यूरोपीय पुनर्जागरण अपने पूर्ववर्ती जीवन का उग्रतापूर्वक निषेध करता है। ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध 'मानव' की प्रतिष्ठा, निरंकुश सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध 'व्यक्तिवाद' की प्रतिष्ठा, पार्थिक विश्ववाद (Religious Universalism) के विरुद्ध लौकिक सत्ता (Secular State) की प्रतिष्ठा, ईश्वरीय दया के विरुद्ध मानवीय साहस की प्रतिष्ठा, रहस्यात्मक सच्चाई के खिलाफ विवेक की प्रतिष्ठा तथा स्थापित मान्यताओं के खिलाफ अनुसंधान की प्रतिष्ठा की कहानी यूरोपीय पुनर्जागरण एवं 'मानववाद' के उद्‌भव की कहानी है।

दीनदयालजी का मत है कि पश्चिम की अच्छी बातों में भी एक पारस्परिक तालमेल का अभाव है : ''राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, समाजवाद या समता समाजवाद, सभी के मूल में समता का ही भाव है, समता समानता से भिन्न है। इसे "Equitability" का पर्याय मान सकते हैं। इन तीन प्रवृत्तियों ने यूरोप की राजनीति को प्रभावित किया है। ये सब आदर्श हैं, जो अच्छे हैं। मानव की दैवी प्रवृत्तियों में से इनका जन्म हुआ है, किन्तु अपने में कोई भी विचार पूर्ण नहीं है। इतना ही नहीं, इनमें से प्रत्येक आदर्श, व्यवहार में एक दूसरे का घातक बन जाता है। राष्ट्रवाद, विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करता हैं। प्रजातंत्र, पूँजीवाद को समाप्त कर समाजवाद आया, तो उसने प्रजातंत्र तथा उसके साथ ही

व्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि ले ली। अतः आज पश्चिम के सामने यह प्रश्न खड़ा है कि इन सभी अच्छी बातों का तालमेल कैसे बैठाया जाय?'

इसलिए दीनदयाल उपाध्यायजी पश्चिम के अंधानुकरण के विरोधी हैं, लेकिन वे सभी मानवीय प्रयत्नों को आदर देना चाहते हैं, नवीन प्रयोगों में उनका उपयोग भी करना चाहते हैं, अतः सभी संशोधित अच्छी बातों को वे पाश्चात्य अवधारणा के आधार पर नहीं, मानवीय प्रयोगों की संकल्पना के आधार पर स्वीकार करना उचित समझते थे : ''विश्व का ज्ञान हमारी थाती है। मानव जाति का अनुभव हमारी सम्पत्ति है। विज्ञान किसी देश विशेष की बपौती नहीं। वह हमारे भी अभ्युदय का साधन बनेगा।'' वे पश्चिम के प्रगतिभूत 'परिणामों' की नकल नहीं करना चाहते थे। वे उन प्रगति के 'कारणों' का अध्ययन कर उनसे सीखने का आग्रह करते थे। उनकी पाश्चात्य दर्शन की ओर देखने की यह नजर तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रतिकार में भारतीय अधिष्ठान वाले शुद्ध राष्ट्रीयतावाद के आग्रह का परिणाम ''यदि संघर्ष है तो वह प्रकृति का अथवा संस्कृति का द्योतक नहीं है, विकृति का द्योतक है। जिस मात्स्य न्याय का जीवन संघर्ष को पश्चिम के लोगों ने ढूंढ निकाला, उसका ज्ञान हमारे दार्शनिकों को था। मानव जीवन में काम, क्रोधादि षट्विकारों को हमने स्वीकार किया है, किन्तु इन सब प्रवृत्तियों को हमने अपनी संस्कृति या शिष्ट व्यवहार का आधार नहीं बनाया।'' षट्विकारों के साथ पश्चिम द्वारा स्वीकृत मानवीय प्रवृत्तियों को निम्न प्रकार समीकृत किया जा सकता है :

काम	–	उपभोगवाद
क्रोध	–	प्रतिक्रियात्मक विचार
मद	–	प्रकृति पर विजय तथा भौतिकवादी मानववाद
लोभ	–	स्वार्थ
मोह	–	लोलुपता (अतिवादी महत्त्वाकांक्षाएं)
मत्सर	–	संघर्ष एवं स्पर्धा (शक्तिशाली को विजय)

एक विशेष परिस्थिति में विचार करने के कारण पश्चिम का ऐसा कृष्णपक्षीय विवेचन दीनदयालजी ने किया, लेकिन वे शुक्ल पक्ष से अनभिज्ञ नहीं थे। स्वतंत्रता, समानता व बन्धुता का आदर्श, विवेक एवं अनुसंधान का आधार एवं साहसिक प्रयोगवाद, पश्चिम द्वारा अर्जित श्रेष्ठत्व के लिए कारणीभूत है। इन घोषित श्रेष्ठताओं को पूरी तरह से प्राप्त न कर सकने के जो अनेक कारण हैं; दीनदयालजी मानते हैं कि उनमें से बड़ा कारण यह है कि मानव की विकारमूलक प्रवृत्ति को उन्होंने इन अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया, परिणामस्वरूप इस प्रवृत्ति ने उनके हर अच्छे आदर्श को परस्पर लड़वा दिया। अत: पश्चिम से व्यवहार करते समय हमें चौकस रहना चाहिए। वह व्यवहार भी बराबरी के स्तर पर होना चाहिए। हमें अपने 'स्वत्व' तथा सांस्कृतिक मूल्यों के अधिष्ठान पर विभिन्न प्रयोग करके मानवीय विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनना चाहिए, किसी पर अवलम्बित नहीं रहना चाहिए। अत: वे कहते हैं–

''नि:संदेह आज विश्व से हम कुछ लें, परन्तु विश्व ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारा कुछ मार्गदर्शन कर सके। वह तो स्वयं चौराहे पर है। ऐसी अवस्था में हमें उससे किसी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं पा सकते। हमें तो यह सोचना चाहिए कि अब तक की विश्व की प्रगति को देखते हुए कहीं ऐसी संभावना है या नहीं कि हम उसकी प्रगति में अपना योगदान कर सकें? विश्व की प्रगति का अध्ययन कर लेने के बाद हम भी उन्हें कुछ दे सकते हैं, यह विचार हमें विश्व का अंग बनकर करना चाहिए। हम केवल स्वार्थी न बनकर, विश्व की प्रगति में सहयोगी बनें। यदि हमारे पास कोई वस्तु है, जिससे कि विश्व का लाभ होगा तो वह देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मिलावट के युग के अनुरूप, विशुद्ध विचारों को विकृत करके उनका मिश्रित रूप न ले, बल्कि उनको सुधारकर तथा मंथन करके ग्रहण करना चाहिए। हमें विश्व पर बोझ बनकर नहीं, उसकी समस्याओं के छुटकारे में सहायक बनकर

रहना चाहिए। हमारी परम्परा और संस्कृति विश्व को क्या दे सकती है, यह हमें विचार करना है।''

पश्चिम की प्रगति एवं विचार प्रवाह के प्रति उपाध्याय का उपर्युक्त चिंतन 'अपनी अहमियत' का इजहार करवाने वाला है। वे पश्चिम को मानवीय सभ्यता की मुख्यधारा मानकर उसमें डूबने को तैयार नहीं है। अपने राष्ट्रीय स्वत्व के साथ मानव सभ्यता की धारा को समृद्ध करने की मानसिकता से दीनदयालजी ने भारतीय संस्कृति को अपने चिंतन का आधार बनाया। उसी आधार पर उनका 'एकात्म मानववाद' विकसित हुआ।

भारतीय जीवन में तुलनात्मक रूप से सकारात्मकता अधिक है, क्योंकि यहाँ का जीवन सतत् प्रवहमान रहा, यहाँ कि 'प्रतिक्रियाएं' धारा को मोड़ देने या अवरूद्ध करने वाली नहीं, वरन् समुद्र में आई लहरों के समान है। भारत का जीवन संस्कृति का जीवन था, केन्द्रित शासनों ने भारत की जनपदीय संस्कृति की बहुत क्षति की। उनकी इस भारतीय दृष्टि को हम निम्न प्रकार से बिन्दु बद्ध करने का प्रयत्न कर सकते हैं:

1. भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह सम्पूर्ण जीवन का, सम्पूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है। टुकड़ों-टुकड़ों में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उपुयक्त नहीं।
2. भारतीय जीवन अध्यात्म प्रधान है, लेकिन भौतिक उत्कर्ष की उपेक्षा नहीं करता। हमारा केन्द्र है पूर्णता, एकांगिता नहीं।
3. भारतीय संस्कृति व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि व परमेष्ठी को स्वतंत्र सत्ताओं के बावजूद अविभक्त मानती है।
4. 'धर्म ' भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 'धर्म' के कारण भारत में राजा, प्रजा, समाज, व्यक्ति सभी सुसंयमित हुए, कोई भी उच्छृंखल नहीं हो सका। 'प्रकृति के शाश्वत व खोजे हुए नियम धर्म हैं।'

5. भारतीय संस्कृति मजहबवादी नहीं है। वह किसी पुस्तक या व्यक्ति को अन्तिम प्रमाण नहीं मानती। इसका वैशिष्ट्य है : वादे वादे जायते तत्त्व बोधाः (तत्त्व का बोध विचार-विमर्श से होता है), इसीलिए भारतीय परम्परा उपनिषदों व दर्शनों की परम्परा है।
6. भारतीय संस्कृति 'पर-मत-सत्कारवादी' है दूसरे के मत के प्रति असहिष्णुता अभारतीयता है। भारत का विचार है, एकं सद् विप्राः बहुधा वदंति (एक ही सत्य को विद्वान लोग बहुत प्रकार से बोलते हैं), इसलिए भारत में संसार के सर्वाधिक सम्प्रदाय विद्यमान हैं।
7. भारत का समाज-दर्शन 'विराट् पुरुषवादी' है। संस्कृति अवधारणा 'चिति' मूलक है, राष्ट्र 'संस्कृतिवादी' तथा व्यक्ति 'आत्मवादी' है।
8. भारतीय संस्कृति मानव की 'चतर्पुरुषार्थी' आवश्यकताओं की प्रतिपादक है, जो शाश्वत, परिस्थिति निरपेक्ष एवं मनुष्य की सकारात्मक आवश्यकतायें हैं।
9. भारतीय संस्कृति, जीवन का केन्द्र 'राज्य' को नहीं, धर्म व संस्कृति को मानती है।
10. भारत का विचार यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु (जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है तथा सम्पूर्ण भूत जगत में एक ही आत्मा व्याप्त है) का है। अतः भारतीय संस्कृति, संघर्ष व स्पर्धावादी नहीं, वरन् 'पूरकता' व 'समन्वयवादी' है।
11. भारतीय संस्कृति का ईश्वरवाद, एक मजहबी नहीं है, गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, 'ये यथा मां प्रपद्पन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्' (गीता :11/4) 'जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ।' अर्थात् हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र है। अतः भारत में ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, सगुण भक्त, निर्गुण भक्त, आत्मवादी, नियतिवादी तथा ब्रह्मवादी आदि सब

प्रकार के लोगों का समावेश है। नास्तिक लोग या लोकायतवादी भी भारतीय परम्परा में बेगाने नहीं माने जाते।

12. भारतीय संस्कृति 'यज्ञमयी' है। यज्ञ का भाव है इदम् न मम् (यह मेरा नहीं है) सम्पत्ति के विषय में 'न्यासी' का भाव यज्ञ भाव माना जाता है। सम्पत्ति के विषय में व्यक्तिवाद या राज्यवाद के स्थान पर 'न्यास' सिद्धान्त भारत की विशेषता है।

13. भारतीय संस्कृति 'विश्ववादी' है। 'विश्ववाद' अन्तर्राष्ट्रीयतावाद से भिन्न है।

14. भारतीय संस्कृति 'संस्कारवादी' है। संस्कारित समाज स्वायत्त समाज होता है। औपचारिक व्यवस्थाओं का बंधन व्यक्ति को कुण्ठित करने वाला होता है। यूरोप की प्रतिक्रियाओं का मूल कारण मानव पर आरोपित 'व्यवस्थावाद' है। संस्कारों का नियंत्रण स्वयं स्वीकृत होता है, जबकि 'कानून' आरोपित। भारत की 'राज्य विहीनता' का आधार उसकी 'संस्कार' दृष्टि है।

15. भारतीय संस्कृति 'समन्वयवादी' है। व्यक्ति व समाज में समन्वय, भौतिकता व आध्यात्मिकता में समन्वय, राष्ट्र एवं विश्व में समन्वय, विभिन्न विचारों व पंथों में समन्वय तथा हर प्रकार के संघर्ष को शामिल करने की अद्भुत समन्वय क्षमता भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण है।

सामान्यतः अपने विभिन्न लेखों व भाषणों में दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति को उपर्युक्त प्रकार से वर्णित किया है, लेकिन वे भारत की कमजोरियों के प्रति भी सचेत थे। एकांगिता, कालबाह्यता तथा निहित स्वार्थता के अनेक रोग भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं, अतः वे सांस्कृतिक श्रेष्ठता के नाम पर यथास्थितिवाद के खिलाफ थे। वे लिखते हैं :

''हमने अपनी प्राचीन संस्कृति का विचार किया है, लेकिन हम

कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं है। हम किसी पुरातत्व संग्रहालय के संरक्षक बनकर नहीं बैठना चाहते। हमारा ध्येय संस्कृति का संरक्षण नहीं, अपितु उसे गति देकर सजीव व सक्षम बनाना है।.....हमें अनेक रूढ़ियाँ समाप्त करनी होगी, बहुत से सुधार करने होंगे।.....आज यदि समाज में छुआछूत और भेदभाव घर कर गए हैं, जिनके कारण लोग मानव को मानव समझकर नहीं चलते और जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, हम उनको समाप्त करेंगे।''

बम्बई के अपने ऐतिहासिक भाषण में जब दीनदयालजी ने 'एकात्म मानववाद' की व्याख्या प्रस्तुत की, तब बहुत भावपूर्ण शब्दों में उन्होंने अपने व्याख्यान का समाधान किया-

''विश्व का ज्ञान और आज तक की अपनी सम्पूर्ण परम्परा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली होगा, जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्ति का विकास करता हुआ, सम्पूर्ण मानवता ही नहीं, अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर 'नर से नारायण' बनने में समर्थ हो सकेगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत दैवी और प्रवहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व-मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन हैं भगवान हमें शक्ति दें कि हम इस कार्य में सफल हों, यही प्रार्थना है।''

विकास क्रम एवं नामकरण

'एकात्म मानववाद' की अवधारणात्मक विकास-यात्रा का प्रारम्भ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्वीकृत 'शुद्ध राष्ट्रवाद' की धारणा से होता है। भारतीय संस्कृति, जो कि हिन्दू संस्कृति है, के अधिष्ठान पर स्वतंत्र भारत का नवनिर्माण होना चाहिए, यह एक राजनैतिक आकांक्षा थी, जो विधायक रूप से भारतीयतापरक चिंतन की परिणाम थी तथा कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित मिश्रित राष्ट्रवाद तथा पाश्चात्य वैचारिक दर्शन की प्रतिक्रिया से भी उत्पन्न हुई थी। इसी आकांक्षा में से भारतीय जनसंघ की स्थापना

हुई। दीनदयाल उपाध्याय इसके विचारक ओर संगठक बने।

भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन दिसम्बर, 1952 में सांस्कृतिक पुनरूत्थान विषयक प्रस्ताव दीनदयालजी उपाध्याय ने रखा था। यह प्रस्ताव सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय जनसंघ की अर्थ नीति का प्रारूप उपाध्याय ने जनसंघ के उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सम्मेलन के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता शिविर 1953 में पहली बार प्रस्तुत किया। 1958 में हुए भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में समाजवाद व पूंजीवाद पर खुले रूप से तथा समान रूप से प्रहार किए गए। कहा गया कि समाजवाद व पूंजीवाद, दोनों ही शक्ति के केन्द्रीकरण के विदेशी विचार हैं। जनसंघ विकेन्द्रीकरण व भारतीयता का उपासक है। अपनी इस नीति का विश्लेषण करते हुए दीनदयालजी ने एक भाषण 19 मार्च, 1959 को लखनऊ में गंगाप्रसाद स्मारक हॉल में दिया। इसमें पश्चिमी विचारों का खण्डन करते हुए 'विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था' तथा 'मानववाद' का पक्ष प्रस्तुत किया गया। इस भाषण में अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने 'मानववाद' शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, जो कि सामाजिक व आर्थिक 'यंत्रवादी' विचार के प्रतिकार में प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी 1961 के पांचजन्य में दीनदयालजी ने 'समाजवाद, लोकतंत्र अथवा मानववाद' शीर्षक से एक लम्बा लेख लिखा। अंततः 11 अगस्त से 15 अगस्त, 1964 को सम्पन्न हुए भारतीय जनसंघ के ग्वालियर प्रशिक्षण शिविर में दीनदयालजी द्वारा 'सिद्धांत और नीति' प्रलेख प्रस्तुत किया गया। जनवरी 1965 में संपन्न हुए भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा अधिवेशन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। 22 से 25 अप्रैल, 1965 को दीनदयालजी की भारतीय जनसंघ बम्बई द्वारा एक भाषणमाला सम्पन्न करवाई गई, जिसमें उन्होंने विस्तारपूर्वक अपने विचारदर्शन का विवेचन किया। फरवरी 1968 में दीनदयालजी की हत्या हो गई और इस प्रकार से विचार का यह क्रम आगे न बढ़

सका।

नामकरण : 'एकात्म मानववाद' नाम से जाने गए इस विचार को अन्य भी अनेक नामों से दीनदयालजी व उनके साथी पुकारते हैं 'एकात्ममानववाद', 'समन्वित मानववाद', 'परिपूर्ण मानव', 'समग्र मानव का विचार'; आदि। दीनदयालजी ने अपने संघ शिक्षा वर्ग के एक बौद्धिक वर्ग में इसे 'षट्पदीवाद' भी कहा। उन्होंने अपने 'सिद्धांत और नीति' प्रलेख को ही अपने विचारों की अभिधारणा के लिए अधिकृत किया, अत: अन्तिम रूप से 'एकात्ममानववाद' नाम को मान्यता प्राप्त हुई।

'वाद' परम्परा भी अभारतीय परम्परा है। भारतीय परम्परा में 'धर्म' तथा 'दर्शन' शब्द, विचारधाराओं के प्रतिपादन के लिए सामान्यत: प्रयुक्त होते हैं। भारतीय साहित्य 'मानव धर्म' का वर्णन करता है, मानववाद का नहीं। 'सांख्य' व 'वैशेषिक' आदि सामान्यत: 'दर्शन' के नाम से जानते जाते हैं। युगधर्म के अनुसार दीनदयालजी ने 'वाद' प्रत्यय को अपने विचारदर्शन के नामकरण में स्थान दिया। राजनैतिक क्षेत्र में तब पाश्चात्य 'वाद' परम्परा को ही वैचारिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त थी, लोग पूछते थे आपका कौन सा 'वाद' है?

इसी प्रकार 'मानववाद' भी एक पाश्चात्य अवधारणा है जो भौतिकवादी है तथा ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ उत्पन्न हुई है। इस संदर्भ में अपने 'सिद्धान्त व नीति' प्रलेख में दीनदयालजी लिखते हैं :

''मानववाद के नाम से कई विचारधाराएं प्रचलित रही है। किन्तु उनका विचार भारतीय संस्कृति के चिंतन से अनुप्राणित न होने के कारण वे मूलत: भौतिकवादी है। मानव के नैतिक स्वरूप अथवा व्यवहार के लिए वे कोई तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर पायी। आध्यात्मिकता को अमान्य कर, मानव तथा मानव एवं जगत के सम्बन्धों और व्यवहार की संगति नहीं बिठायी जा सकती।''

'एकात्मता' भारतीय संस्कृति का केन्द्रीय विचार है। वस्तुतः दीनदयालजी का विचार 'एकात्मता दर्शन' है? लेकिन वह 'मानव' के लिए है। 'मानव' को पश्चिमी प्रतिक्रिया ने ईश्वर के खिलाफ प्रस्तुत किया तथा बाद में उसे यंत्रवत् व्याख्यायित कर दिया। दीनदयालजी मानव को ईश्वर के खिलाफ नहीं, यंत्रवत् भी नहीं, वरन् एक स्वयंपूर्ण एवं संवेदनशील इकाई के नाते प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसी पाश्चात्य संदर्भ के कारण उन्होंने 'वाद' शब्द को अपनाया। 'एकात्मता' तत्त्व 'मानव' तथा 'वाद', दोनों को भारतीयकृत करता है।

जीवन दर्शन

'एकात्म मानववाद' विचारदर्शन ने मानव की व्यष्टि तथा विभिन्न सामुदायिक समष्टियों के परस्पर रिश्तों को मुख्यतः अपने विवेचन का विषय बनाया है।

इस अवधारणा के अनुसार जो जीवन दृष्टि सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे निम्न हैं :

1. व्यक्ति व विभिन्न सामाजिक ईकाइयाँ परस्पर अविच्छिन्न है। इनमें पृथकता देखने वाली जीवन-दृष्टि गलत है।
2. व्यक्ति से मानवता तक की सामाजिकता एक विकास-क्रम का परिणाम है। इस विकास चेतना की अवहेलना में से आरोपण एवं निरंकुशता की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है।
3. व्यक्ति तथा समाज के हित परस्पर विरोधी नहीं वरन् पूरक हैं। व्यक्ति व समाज की पृथकतामूलक अवधारणा ने संघर्ष एवं स्पर्धामूलक मनोविज्ञान विकसित किया है।
4. पारस्परिक सम्बद्धता का मनोविज्ञान शोषण व उत्पीड़न का निषेध करता है, परमार्थ व स्वार्थ में अभेद उत्पन्न करता है।
5. व्यक्ति से मानवता तक की चेतना का विकास एक मानवीय प्रक्रिया

है जो सांस्कृतिक है जबकि असम्बद्ध ईकाइयों को कृत्रिम व्यवस्थाओं से जोड़ने के प्रयत्न से व्यवस्थावाद, जो कि अन्ततः 'राज्यवाद' के रूप में परिभाषित होता, की प्रधानता हो जाती है। यांत्रिक सम्बद्धताओं की प्रक्रिया मानव की सहज संवेदनशीलता को आहत करती है।

6. संकेन्द्री जीवन रचना खण्ड-खण्ड मानव का दर्शन है, जबकि अखण्ड मण्डलाकार एकात्म मानव का।

व्यक्ति व समाज के सम्बन्धों के आधार पर उनकी आवश्यकता एवं कार्यशीलता का एक रेखाचित्र दीनदयाल उपाध्यायजी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें व्यक्ति तथा समाज के सब तत्त्व, व्यक्ति और समाज तथा समाज एवं व्यक्ति को जोड़ने वाली क्रियाएं एवं इस क्रियाशील सम्बद्धता के परिणामस्वरूप सिद्ध होने वाले चतुर्पुरुषार्थ का दिग्दर्शन है।

रेखाचित्र में अंकित घन परिपूर्ण मानव जो विराट् पुरुष है, उसका है। यह घन छह समान वर्गों से निर्मित है, जो विभिन्न समीकरणों को संयोजित करते हैं। एक बिन्दु रेखीय सूत्र है जो इस घन के विभिन्न वर्गों में सुसूत्रता निर्माण करता है। रेखाचित्र के अगले पृष्ठ पर इन समीकरणों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

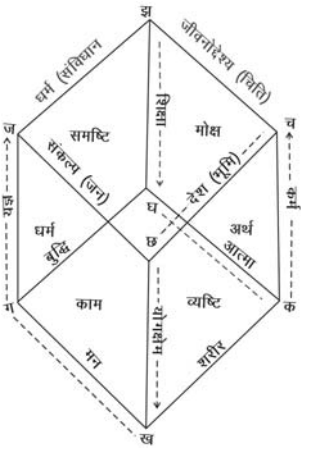

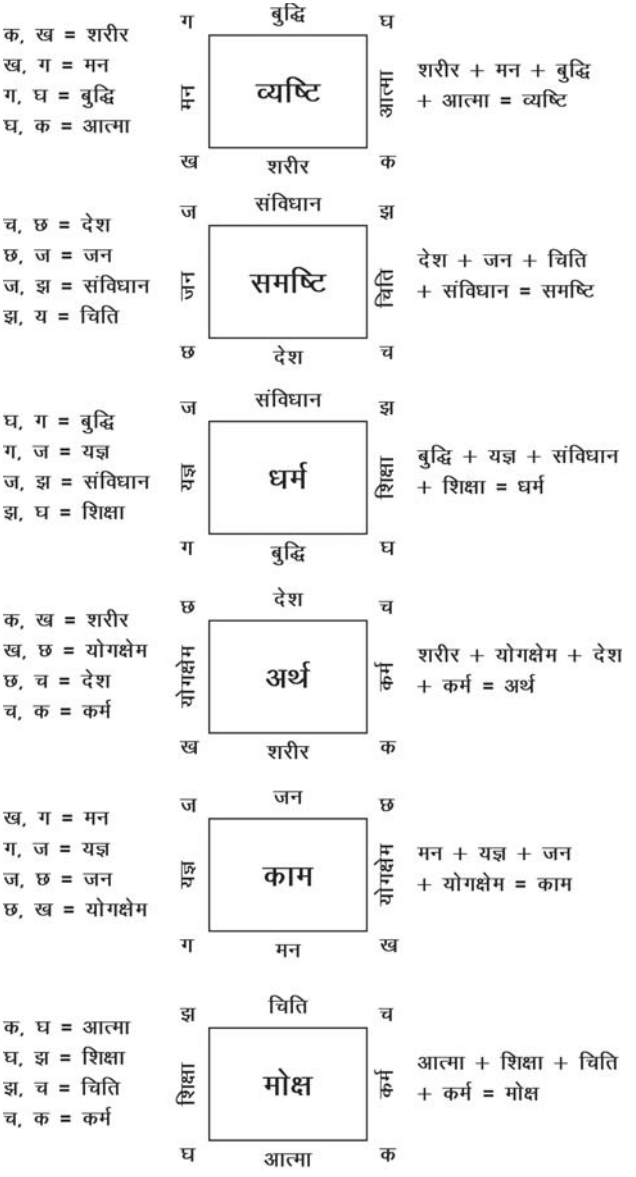

व्यष्टि–समष्टि–पुरुषार्थ समीकरण

व्यष्टि-समष्टि सम्बन्ध एवं चतुर्पुरुषार्थों का एकात्म घन

(क) समष्टि व व्यष्टि के सम्बन्ध : समाज और व्यक्ति को जोड़ने वाले चार स्तम्भ हैं : (1) शिक्षा, (2) कर्म , (3) योगक्षेम व (4) यज्ञ।

(क. 1) शिक्षा : 'शिक्षा' सामाजिक कर्म है (इस स्तम्भ का सूत्र समष्टि से व्यष्टि की तरफ आता है)। परिवार समाज का लघु रूप है, हर परिवार एक शिक्षालय है। हमारे यहाँ कहा गया है, माता प्रथम गुरूः।

- निष्पत्तियाँ :
- शिक्षा व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा अपने आपको समाज कहने वाले समुदाय का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को शिक्षित व संस्कारित कर समर्थ बनाए।
- आश्रम व्यवस्था का पालन होना चाहिए। जातीयलवन, योजित पितृत्व तथा सक्षम मातृत्व वाली समाज व्यवस्था चाहिए।

(क. 2) कर्म : 'कर्म ' वैयक्तिक क्रिया है (इस स्तम्भ का सूत्र व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाता है) जो व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त शिक्षा के प्रतिपादन में करता है।

- निष्पत्तियाँ :
- कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है तथा कर्म के अवसर पाना अधिकार है।
- समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा रहे तथा व्यक्ति में समाज के प्रति दायित्ववान रहने का संस्कार उत्पन्न हो।

(क. 3) योगक्षेम : 'योगक्षेम' कर्म फल है (इस स्तम्भ का सूत्र समष्टि से व्यष्टि की तरफ आता है) जो कि समाज व्यक्ति को कर्म

के प्रतिदान में देता है।

- निष्पत्तियाँ :
- कर्म फल केवल पारिश्रमिक नहीं, सम्पूर्ण योगक्षेम है। कर्म का प्रतिदान केवल धन नहीं हो सकता यथा 'जीवन-रक्षा' या 'विद्या-दान' की कोई आर्थिक कीमत नहीं हो सकती। योगक्षेम से तीन तात्पर्य है : (1) सराहना व समादर (2) भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं (3) सुरक्षा।
- कर्म एवं कर्म फल का संतुलन बिगड़ने से व्यक्ति व समाज के रिश्तों में तनाव आता है अतः व्यक्ति में निष्काम कर्म की प्रेरणा तथा समाज में योगक्षेम वहन करने की प्रेरणा बने रहना, संतुलनकारी रहता है।

(क. 4) यज्ञ : व्यक्ति द्वारा किया गया सामाजिक कर्म है (इस स्तम्भ का सूत्र व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाता है)। 'यज्ञ शेष' ग्रहण करना व्यक्ति का धर्म है।

- निष्पत्तियाँ :
- योगक्षेम के लिए कर्म फल के रूप में जो मिले उसमें से समाज के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना, यज्ञ है।
- समाज की देयता (कर) चुकाकर जब व्यक्ति उपभोग करता है तो वह उपभोग धर्म युक्त अर्थात् 'यज्ञ शेष' का उपभोग है। करवंचन अधर्म है।

(ख) चतुर्पुरुषार्थ सिद्धि : शिक्षा, कर्म, योगक्षेम व यज्ञ का संतुलन बिगड़ने से समाज का धन विकृत हो जाता है। विकृत धन चतुर्पुरुषार्थ के वर्गों को आहत करता है, परिणामतः समाज सुखी नहीं रह सकता, तनाव व कुण्ठाओं का शिकार बन जाता है।

(ख. 1) धर्म -(बुद्धि, यज्ञ, संविधान, शिक्षा) धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए समाज द्वारा उत्तम शिक्षा व्यवस्था तथा विधान का नियोजन होना चाहिए। व्यक्ति बुद्धिमान एवं यज्ञकर्मी होना चाहिए। असंगत शिक्षा व आरोपित विधान तथा निर्बुद्धि व्यक्ति या करवंचक लोग धर्म पुरुषार्थ को विकृत करते हैं। धर्म पुरुषार्थ आधारभूत है। इसके बिगड़ने पर शेष का बिगड़ना सुनिश्चित है। अतः दीनदयालजी आग्रहपूर्वक शिक्षा-संस्कार व संस्कृतिवाद का निरुपण करते हैं। वे राज्य एवं व्यवस्थाओं को समाज की आधारभूत नियामिका शक्ति नहीं मानते।

(ख. 2) अर्थ - (शरीर, योगक्षेम, देश, कर्म) अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कर्म एवं कर्म फल का संतुलन चाहिए। कर्म प्रवण व्यक्ति तथा भूमि एवं जन में आत्मीयता चाहिए। कर्म एवं कर्म फल में संतुलन व व्यवस्था का नियामक धर्म व धर्म राज्य है। आधारभूत पुरुषार्थ धर्म की सिद्धि के बिना यह पुरुषार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता।

(ख. 3) काम- (मन, यज्ञ, जन, योगक्षेम) काम पुरुषार्थ की सिद्धि, योगक्षेम व यज्ञ संतुलन तथा संस्कारित मन के सृजन से होती है। यज्ञ तथा योगक्षेम क्रमशः धर्म एवं अर्थ के प्रतिनिधि हैं। धर्म अर्थाधारित काम ही सुखकारी होता है। धर्म एवं अर्थ की अवहेलना करने पर काम पुरुषार्थ नहीं रहता, विकार बन जाता है।

(ख. 4) मोक्ष- (चिति, कर्म, शिक्षा, आत्मा) मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर्म एवं शिक्षा के संतुलन तथा आत्म साक्षात्कार व चिति जागरण से होती है। मोक्ष पुरुषार्थ भी शेष तीन पुरुषार्थों के समान वैयक्तिक नहीं वरन् समाज पुरुष का ही पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ व काम पुरुषार्थ की सिद्धि ही मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया है।

(ग) विराट् दर्शन : चारों पुरुषार्थों का संकलित विचार एकात्म मानव की नियति है। उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित यह रुपरेखा उनके उस जीवनदर्शन की परिचायक है जो व्यष्टि व समष्टि को अविभक्त मानती

है। उनके रिश्तों की व्याख्या करती है, उनके समग्र सुख व पूर्ण पुरुषार्थ का विवेचन करती है। पाश्चात्य जीवनदर्शन का आधार मुख्यत: भौतिक विज्ञान है, दीनदयालजी के दर्शन का आधार समाजशास्त्र, मनोविज्ञान व धर्मशास्त्र है। मानव का यह एकात्म व संकलित विचार ही उनके द्वारा प्रतिपादित 'विराट् दर्शन' है।

3. अर्थायाम

अपने आर्थिक चिन्तन को व्याख्यायित करने के लिए दीनदयाल उपाध्यायजी ने 'भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दिशा' नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में अर्थनीति की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने एकात्म मानव के 'अर्थायाम' की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। समाज से अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को 'अर्थायाम' कहा गया है'।

1. भारतीय संस्कृति में अर्थ एवं उसका मनोविज्ञान

भारतीय संस्कृति में 'धर्म' को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है। 'सुखस्य मूलम् धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः।' चाणक्य के इस कथन के अनुसार 'अर्थ के बिना धर्म नहीं टिकता।'

धन का अभाव मनुष्य को चोर बनाता है। अभाव के क्षणों में की गई चोरी को भारतीय शास्त्रकार अपराध नहीं वरन् 'आपद्धर्म' की संज्ञा देते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं:

''उन्होंने (विश्वमित्र ने) धर्म की अनेक मर्यादाओं को भंग किया। आपद्धर्म की संज्ञा देकर शास्त्रकारों ने उनके इस व्यवहार को उचित ठहराया है। यदि अर्थ के अभाव की आपत्ति बनी रहे तो फिर आपद्धर्म अर्थात् चोरी ही धर्म बन जायेगा। यदि यह आपत्ति समष्टिगत हो जाये अथवा समष्टि का बहुतांश इससे व्याप्त हो जाये तो वे एक दूसरे की चोरी करके अपने आपद्धर्म का निर्वाह करेंगे।''

अर्थात् समाज में अर्थ का अभाव अथवा अभावमूलक नियोजन समाज में अधर्म को धर्म बना देता है। वैसे ही 'अर्थ का प्रभाव भी धर्म का नाश करता है।'

''..... अर्थ जब अपने में या उसके द्वारा प्राप्त पदार्थों में और

उससे प्राप्त भोग-विलास में संग (आसक्ति) उत्पन्न कर देता है तब अर्थ का प्रभाव कहा जाता है। 'सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति' .....जब समाज में सभी 'धनपरायण' हो जाएँ तो प्रत्येक कार्य के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी। धन का यह प्रभाव प्रत्येक के जीवन में अर्थ का अभाव उत्पन्न कर देगा।'

इसलिए वे यह प्रतिपादित करते हैं, समाज के मानदण्ड ऐसे बनाए जायें कि हर वस्तु पैसे से न खरीदी जा सके।.....पैसे से ही मूल्य आंकने का परिणाम यह होगा कि दुर्बल की रक्षा ही नहीं हो पायेगी। शरीर शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमाकर अपनी रक्षा का मूल्य चुकायेगा (घूसखोरी होगी)। श्रम का रुपये-पैसे में मूल्य आंकना असंभव है। .....श्रम और पारिश्रमिक दोनों का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर भी व्यवहार जगत् के लिए सर्वमान्य एवं सर्वकष मूल्य सिद्धांत निश्चित करना न तो सरल है और न उपादेय ही। वास्तविकता तो यह है कि दोनों का मूल्यांकन पृथक मानदण्ड से होता है। श्रम की प्रतिष्ठा उससे मिलने वाले अर्थ के कारण नहीं अपितु उसके धर्मत्व से है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को दिया गया पारिश्रमिक उसके द्वारा किए श्रम का प्रतिदान नहीं वरन् उसके 'योगक्षेम' की व्यवस्था है।'

दीनदयालजी इस प्रकार के समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के हिमायती हैं, जिसमें कर्म की प्रेरणा का आधार लोभवृत्ति नहीं वरन् 'कर्तव्यसुख' है। वे उस अर्थशास्त्र के खिलाफ हैं जो मानवजीवन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा करता है।

''.....व्यक्तियों की अबाध व असीम प्रतिस्पर्धा को न तो हम सामाजिक जीवन का नियामक मान सकते हैं और न सुरक्षापूर्ण ही। .....यह मान्यता 'मात्स्य न्याय' का प्रतिपादन करने वाली है। हमने इस न्याय को कभी धर्मसंगत नहीं माना।.....समाज में मानव की

कुछ स्वतंत्रताओं पर मर्यादा आवश्यक होती है। अनियंत्रित स्वतंत्रता केवल कल्पना की वस्तु है। हाँ, यह नियंत्रण जितना बाहरी होगा, मानव को कष्टदायी होगा। शिक्षा और संस्कार, दर्शन और आदर्शवाद व्यवहार में मनुष्य को आत्मनियंत्रण सिखाते हैं।''

अपनी ही गति से चलने वाले अर्थशास्त्र के हवाले समाज को नहीं किया जा सकता। अर्थ चक्र को समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र के अनुकूल नियोजित करना आवश्यक है। इसलिए वे कहते हैं, ''अपनी ही गति से बराबर गतिमान अर्थव्यवस्था असंभव है। उसे गति देने के लिए और बाद में भी कम-से-कम रुकावट के साथ सुचारू रूप से चलते रहने के लिए व्यक्ति और समाज के जीवन में प्रेरणा का स्रोत अर्थ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ढूंढ़ना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ, व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा, कुटुम्ब का प्रेम आदि अनेक प्रेरणाएँ वांछित अर्थ रचना को बनाने व टिकाने में सहायक होती है।'

दीनदयालजी की मान्यता है कि उपभोगवाद, स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष इन सबका आधार अनियंत्रित उपभोग है। ''पश्चिम ने अधिकाधिक उपभोग के अपने पुराने सिद्धांत को ही चलने दिया और उसमें संशोधन की जरूरत नहीं समझी। वास्तविकता यह है कि अधिकाधिक उपभोग का सिद्धांत ही मनुष्य के दु:खों का कारण है। उपभोग की लालसा यदि पूरी की जाय तो वह बढ़ती चली जाती है। वर्ग संघर्ष, जिसके ऊपर समूचा साम्यवाद खड़ा है, ऐसे उपभोग के कारण ही उत्पन्न होता है। भारतीय मतवाद जब वर्ग संघर्ष का खण्डन करता है, तब उसका तात्पर्य यही होता है कि उसने उपभोग को नियंत्रित कर लिया है तथा अधिकाधिक उपभोग की बजाय न्यूनतम उपभोग को आदर्श बनाया है। मनुष्य की प्राकृत भावनाओं का संस्कार करके उसमें अधिकाधिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग की प्रवृत्ति पैदा करना ही

आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्य है। इसमें ही तीनों का संतुलन है।''

साम्यवादी व पूंजीवादी व पूंजीवादी विचारधाराएँ समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, विधिशास्त्र सभी को अर्थशास्त्र के हवाले कर देती है। अर्थशास्त्र की औद्योगीकरण प्रवृत्ति ने वित्तीय सत्ता के केन्द्रीकरण को पोषण प्रदान किया है। इससे मानव जीवन का ही मशीनीकरण हो गया है। दीनदयालजी धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र में पारस्परिक संतुलन के हिमायती हैं। इस संतुलन कार्य को वे 'सांस्कृतिक' कार्य मानते हैं तथा इस दृष्टि से अनुकूल 'अर्थायाम' की स्थापना के हिमायती हैं।

2. स्वामित्व का सवाल

'सम्पत्ति किसकी?' यह सभ्य समाज का आदिकालिक प्रश्न है। सम्पत्ति को सम्पूर्ण समाजचक्र का नियामक मान लेने से इस सवाल की अहमियत और बढ़ गई। व्यक्तिवाद व समाजवाद के विचारधारात्मक संघर्ष ने इसे एक नवीन आयाम दे दिया, सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार अथवा सम्पत्ति पर समाज का अधिकार? दीनदयालजी 'सम्पत्ति' के स्वामित्व के लिए व्यक्ति व समाज के द्वन्द्व को ही गलत मानते हैं; अतः इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं देते।

हर व्यक्ति समाज का प्रतिनिधि है। अतः वह समाज की सम्पत्ति के एक हिस्से का 'न्यासी' या संरक्षक है। दीनदयालजी व्यक्ति को श्रीविहीन करने के खिलाफ हैं। व्यक्ति स्वयं 'समाजपुरुष' का अंग है। अतः वह स्वयं ही समाज की धरोहर है। इसलिए सम्पत्ति पर अमोघ अधिकार तो समाज का ही है; लेकिन वे समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के नाते 'राज्य' को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि निजी सम्पत्ति के सामाजिक अधिकार के नाम पर राज्य में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को वे समान रुप से गलत मानते हैं। आम आदमी को पूंजीपतियों अथवा राज्यसंस्था का मजदूर या गुलाम बना देना वे मानवता का अपमान समझते हैं। दीनदयालजी सम्पत्ति पर न तो व्यक्ति का

अमर्यादित स्वामित्व स्वीकार करते हैं तथा न ही अमर्यादित राज्याधिकार। वे स्वामित्व के केन्द्रीकरण के खिलाफ हैं। अतः वे विकेन्द्रित राज्य व विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं।

व्यक्तिगत सम्पत्ति के नियमन एवं अर्थोत्पादकीय आयोजना के लिए दीनदयालजी राज्याधिकार को भी स्वीकार करते हैं। जहाँ कुछ हाथों में पूंजी के केन्द्रीकरण का खतरा हो वहाँ राष्ट्रीयकरण को वे वांछनीय मानते हैं। स्वामित्व के सवाल को जिस प्रकार पूंजीवादी व समाजवादी लोग प्रस्तुत करते हैं उसे वे उनकी विभक्त दृष्टि का परिचायक मानते हैं। दीनदयालजी की नजर में सम्पत्ति के 'स्वामित्व' की बजाय 'केन्द्रीकरण' का सवाल ज्यादा अहम है, साथ ही 'उपभोगवाद' की अवधारणा का सवाल ही महत्त्वपूर्ण है।

'ट्रस्टीशिप' का सिद्धांत हर व्यक्ति को समाज का दायित्ववान् घटक मानता है। समाज में दायित्वबोध का शिथिलन न आये तथा दायित्व का संस्कार सामाजिक परिवेश का स्वाभाविक परिणाम हो, ऐसी समाज रचना 'मानवी' समाजरचना है। व्यक्ति की शैतानियत पर राज्य का अंकुश एवं राज्य की हैवानियत के खिलाफ व्यक्तियों का विद्रोह, संस्कारहीन समष्टि का परिचायक है। 'अंकुश' व 'विद्रोह' मजबूरी के हथियार हैं। इनका यदा-कदा उपयोग व्यावहारिक माना जा सकता है, लेकिन अखण्ड अंकुश एवं अखण्ड विद्रोह की व्यवस्थाओं का नियोजन विवेकसम्मत नहीं माना जा सकता। व्यष्टि व समष्टि के साझेपन में ही मानवता का सुख अन्तर्निहित है। अतः सम्पत्ति पर यह साझा अधिकार ही दीनदयालजी के एकात्म मानववाद को अभिप्रेत है।

3. आर्थिक लोकतंत्र

दीनदयाल उपाध्यायजी लोकतंत्र को केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते। उनका मत है, 'प्रत्येक को वोट' जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निकष है, वैसे ही 'प्रत्येक को काम' यह आर्थिक प्रजातंत्र

का मापदण्ड है।' 'प्रत्येक को काम' के अधिकार की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं: 'काम प्रथम तो जीविकोपार्जनीय हो तथा दूसरे, व्यक्ति को उसे चुनने की स्वतंत्रता हो। यदि काम के बदले राष्ट्रीय आय का न्यायोचित भाग उसे नहीं मिलता हो तो उसके काम की गिनती 'बेगार' में होगी। इस दृष्टि से न्यूनतम वेतन, न्यायोचित वितरण तथा किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है।' उपाध्याय आगे कहते हैं:

'जैसे बेगार हमारी दृष्टि में काम नहीं है वैसे ही व्यक्ति के द्वारा काम में लगे रहते हुए भी अपनी शक्ति भर उत्पादन न कर सकना काम नहीं है। 'अण्डर इम्पलॉइमेण्ट' भी एक प्रकार की बेकारी है।'

दीनदयालजी उस अर्थव्यवस्था को अलोकतांत्रिक मानते हैं जो व्यक्ति के उत्पादन-स्वातंत्र्य या सृजनकर्म पर आघात करती है। अपने उत्पादन का स्वयं स्वामी न रहने वाला मजदूर या कर्मचारी अपनी स्वतंत्रता को ही बेचता है। आर्थिक स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। 'राजनीतिक प्रजातंत्र बिना आर्थिक प्रजातंत्र के नहीं चल सकता। जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है वही राजनीतिक दृष्टि से अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा 'अर्थस्य पुरुषो दास:' (पुरुष अर्थ का दास हो जाता है)।'

मनुष्य के उत्पादन-स्वातंत्र्य पर सबसे बड़ा हमला पूंजीवादी औद्योगीकरण ने किया है। अत: उपाध्याय औद्योगीकरण का इस प्रकार से नियमन चाहते हैं कि जिससे वह स्वतंत्र, लघु एवं कुटीर उद्योगों को समाप्त न कर सके: ''आज जब हम सर्वांगीण विकास का विचार करते हैं तो संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करके चलते हैं। यह संरक्षण देश के उद्योगों को बड़े उद्योगों से देना होगा।'' दीनदयालजी यह महसूस करते हैं कि पश्चिमी औद्योगीकरण की नकल भारत के पारम्परिक उत्पादक को पीछे धकेला है तथा बिचौलियों को आगे बढ़ाया है। ''..

..... हमने पश्चिम की तकनीकी प्रक्रिया का आँख बंद करके अनुकरण किया है, हमारे उद्योग का स्वाभाविक विकास नहीं हो रहा। वे हमारी अर्थव्यवस्था के अभिन्न व अन्योन्याश्रित अंग नहीं, अपितु ऊपर से लादे गए हैं।..... (इनका विकास) विदेशियों के अनुकरणशील सहयोगी अथवा अभिकर्ता कतिपय देशी व्यापारियों द्वारा हुआ है। यही कारण है कि भारत के उद्योगपतियों में, सब के सब व्यापारी आढ़तियों तथा सटोरियों में से आए हैं। उद्योग एवं शिल्प में लगे कारीगरों का विकास नहीं हुआ है।''

देश के आम शिल्पी व कारीगर की उपेक्षा करने वाला औद्योगीकरण अलोकतांत्रिक है। पूंजीवाद व समाजवाद के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद को दीनदयालजी गलत मानते हैं। इन दोनों ने ही स्वयंसेवी क्षेत्र (Self Employed Sector) का गला घोंटा है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वयंसेवी क्षेत्र का विकास करना। इसके लिए विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था जरूरी है।

''.....राजनैतिक शक्ति का प्रजा में विकेन्द्रीकरण करके जिस प्रकार शासन की संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेन्द्रीकरण करके अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त होने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को कुचलकर रख देने का नहीं; अपितु उसको व्यक्त होने का पूरा अवसर प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए।.....राजनीति में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को जिस प्रकार तानाशाही नष्ट करती है, उसी प्रकार अर्थनीति में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को भारी पैमाने पर किया गया औद्योगीकरण नष्ट करता है।.....इसलिए तानाशाही की भाँति ऐसा औद्योगीकरण भी वर्जनीय है।''

यन्त्रचालित औद्योगीकरण की मर्यादा को स्पष्ट करते हुए दीनदयालजी एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं: 'प्रत्येक को काम; का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाए तो सम-वितरण की दिशा सुनिश्चित हो जाती है और हम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ते हैं। औद्योगीकरण को उद्देश्य मानकर चलना गलत है। इस सिद्धान्त को गणित के सूत्र में यों रख सकते हैं: 'ज ग क ग य त्र इ'।

यहाँ 'ज' जन का परिचायक है, 'क' कर्म की अवस्था व व्यवस्था का, 'य' यंत्र का तथा 'इ' समाज की प्रभावी इच्छा या इच्छित संकल्प का द्योतक है। 'ई' तथा 'ज' तो सुनिश्चित है। 'इ' और 'जय के अनुपात में 'क' तथा 'य' को सुनिश्चित करना है, लेकिन औद्योगीकरण लक्ष्य होने पर 'य' सबको नियंत्रित करता है। 'य' के अनुपात में जन की छंटनी होती है। 'य' के अनुपात में 'इ' को भी यंत्रों के अति उत्पादन का अनुसरण करना पड़ता है जो कि सर्वथा अवांछनीय है। 'ज' की छंटनी कर देने वाली कोई भी अर्थव्यवस्था अलोकतांत्रिक है। 'इ' को नियंत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था तानाशाही है। अत: 'ज' तथा 'इ' के नियंत्रण में 'क' तथा 'य' का नियोजन होना चाहिए। बड़ी लोकतांत्रिक एवं मानवीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है।

4. विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के लिए विकेन्द्रित राजनीतिक व्यवस्था भी जरूरी है। इसके लिए दीनदयालजी स्वावलम्बी समर्थ ग्राम पंचायतों व जनपद-व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होने चाहिए। ग्रामों को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अन्तत: भारत को उजाड़ने वाले सिद्ध होंगे। शहर व ग्रामों का विषम विकास हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए भी घातक होगा। संसाधनों व सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण हम पूँजीवाद व उसके प्रतिक्रियात्मक दुष्चक्र से बच नहीं सकते। अत: आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था ही भारतीय परिस्थितियों में हमारे लिए उपादेय है। अत: दीनदयालजी कहते हैं:

''..... विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था चाहिए। स्वयंसेवी क्षेत्र को खड़ा करना होगा। यह क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा, मनुष्यता का विकास हो सकेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विचार कर सकेगा। प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिश: आवश्यकताओं और विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर उसके गुणों का विकास हो सकता है। यह विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था भारत ही संसार को दे सकता है।'' जो व्यवस्थाएँ भारी उद्योगों व केन्द्रीकरण के दुष्चक्र में एक बार फंस गई, उन्हें वापस लौटाना कठिन है। अत: तृतीय विश्व के देशों को ग्रामोन्मुखी लघु उद्योगों वाली विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए।

''विकेन्द्रीकरण से वे समस्याएँ हल होती हैं, जिनका कारण अति केन्द्रीकरण है। पूंजीवाद अति केन्द्रीकरण के कारण ही उत्पन्न होता है। जब लोगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर ही नहीं मिलेगा तो पूंजी इकठ्ठी ही कैसे हो सकेगी? इसमें गाँव तो अधिकाधिक स्वावलम्बी होंगे ही, व्यक्ति को प्रेरणा मिलने के कारण वस्तु का गुण तथा उत्पादन, दोनों ही बढ़ेंगे। पुरातन काल में कुटीर उद्योग जितनी उत्तम श्रेणी की वस्तुएं तैयार करते थे उतनी आज की मशीन नहीं तैयार कर पाती। कुटीर उद्योगों में हस्तकौशल और शिल्प को जो बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है, वह मशीन-उद्योगों में बिल्कुल नहीं मिल पाता। जिस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र में ग्रामपंचायत आदि इकाइयों से लोकतंत्र उठकर ऊपर की ओर चलता है, उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र में ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और इसी प्रकार विकेन्द्रीकरण के अनुसार किए जाने वाले कृषि उत्पादन केन्द्रों से उठकर, लोकतंत्र ऊपर जाना चाहिए। साम्यवाद केन्द्रित अर्थनीति का ही एक अंग है। अत: उसकी जड़ें आसमान में है,

जबकि इस अर्थव्यवस्था की जड़ें धरती के भीतर गहरी घुसी हुई है।''

दीनदयालजी के मतानुसार बड़े उद्योगों का सर्वथा निषेध विकेन्द्रीकरण का हेतु नहीं है। वे बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों पर अवलम्बित करना चाहते हैं:

''.....उत्पादक वस्तुएं बड़े उद्योग तैयार करें तथा उपभोग वस्तुएं छोटे उद्योगों द्वारा बनाई जाएँ।.....दूसरा, उपभोग-वस्तु के उत्पादन के काम में आने वाली वस्तुओं को अलग-अलग छोटे पैमाने पर तैयार करना तथा उनका एकत्रीकरण बड़े कारखानों में करना; जैसे स्विट्जरलैण्ड में घड़ियों के पुर्जे छोटे-छोटे शिल्पियों द्वारा तैयार करके, उन्हें इकठ्ठा करके घड़ी के रूप में बड़े कारखाने में तैयार किया जाता है। मोटर आदि जितनी बड़ी-बड़ी चीजें हैं उनके बहुत से भाग इसी प्रकार तैयार किए जा सकते हैं। जापान में इस दृष्टि से बहुत काम हुआ है। वहाँ रेलगाड़ियाँ बनाने के लिए 77 प्रतिशत, जहाज बनाने के लिए 70 प्रतिशत तथा मोटर निर्माण में 62 प्रतिशत इन छोटे उद्योगों द्वारा तैयार सामान प्रयुक्त होता है।..... यदि उपर्युक्त दो वर्गों के उद्योगों को भलीभाँति स्थापित कर दिया जाय तो प्रतिस्पर्धी उद्योग का क्षेत्र बहुत सीमित हो जायेगा।''

दीनदयाल उपाध्यायजी इस बात से सहमत नहीं हैं कि छोटे उद्योग आर्थिक दृष्टि से किफायती नहीं होते। उनका मत है कि बड़े उद्योगों की किफायत एक भ्रम है। वास्तविक किफायत छोटे उद्योगों में ही होती है:

''.....सत्य तो यह है कि किफायतें बड़े पैमाने पर उत्पादन से नहीं, अधिक उत्पादन के कारण होती है। अगर हम इतिहास को देखें तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कपड़ा तैयार होने पर भी भारत का कपड़ा वहाँ जाकर सस्ता पड़ता था। जापान की जो वस्तुएँ सस्ती बाजार में आकर, बाकी सब माल को निकाल देती है, बड़े कारखानों में नहीं, घरों में बनती है।.....यदि उनकी (छोटे उद्योगों की) असुविधाएँ दूर कर

दी जायं तथा बड़े उद्योगों को जो सुविधाएँ अतिरिक्त कारणों से प्राप्त है, न मिलें, तो निश्चित ही वे (छोटे उद्योग) बाजी मार ले जायेंगे। हमें मालूम है कि 1930-37 के काल में छोटे-छोटे मोटर चलाने वालों ने रेलों को प्रतियोगिता में पछाड़ दिया था। यदि शासन और युद्ध रेलों की मदद को नहीं आते तो उनके लिए जीवित रहना कठिन हो जाता।''

बड़े उद्योगों की किफायत भ्रमपूर्ण है। इसको निरूपित करते हुए दीनदयालजी कहते हैं: 'श्री एम.एम. मेहता ने अपनी पुस्तक 'स्ट्रक्चर ऑफ इण्डियन इंडस्ट्रीज' में बड़े उद्योगों की वृद्धि की विशद व्याख्या की है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

1. बड़े उद्योगों की 'किफायतें' उचित प्रतियोगिता के कारण नहीं; बल्कि उसे दबाकर, डाका डालने वाली व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त होती है।
2. बड़े उद्योगों की दूसरे पक्षों से अपने लिए हित कर और अच्छी शर्तें मनवाने की क्षमता, कार्यकुशलता का फल नहीं; अपितु आर्थिक एवं वित्तीय सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप हैं।
3. बड़े उद्योग बहुधा मजदूरों का शोषण करते हैं, ऊँचे मूल्य लेते हैं तथा अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक सुधारों को दबा देते हैं।
4. एक बार बाजार का आधिपत्य स्थापित करने के बाद उनकी औद्योगिक कुशलता की प्रेरणा नष्ट हो जाती है।
5. अधिकांश बड़े-बड़े उद्योग धीरे-धीरे विकास के आधार पर नहीं, बल्कि वित्तीय एवं प्रशासनिक एकीकरण के कारण बढ़े हैं।
6. ये उद्योग मंदी के समय, जब अपनी अधिकारिक योग्यता तथा आर्थिक क्षमता दिखाने का अवसर रहता है नहीं बढ़े, बल्कि तेजी से उस काल में बढ़े जबकि 'सिक्यूरिटियों' और 'स्टॉक' से

ज्यादा-से-ज्यादा कमाने का मौका रहता है।

7. ये इतने बड़े हैं कि इनका आर्थिक दृष्टि से संचालन किया ही नहीं जा सकता।

''हम यह जानते हैं कि बैंकों, रेलों, आढ़तियों आदि सबकी सुविधा इन बड़े उद्योगों को सहज ही मिल जाती है। ..... (जबकि) छोटे उद्योग असंगठित होने के कारण आज की बाजार अर्थव्यवस्था में कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर पक्के माल को बेचने तक की शृंखला की व्यवस्था नहीं कर पाते। एक बार यह शृंखला पूरी हो गई तो फिर उनका (छोटे उद्योगों का) मुकाबला कर पाना कठिन होगा। शासन का कर्तव्य है कि इस संगठन को खड़ा करने में सहायक हो।''

इन छोटे उद्योगों में अन्तर्निहित अनन्त संभावनाओं के विषय में भी उपाध्याय बहुत आशान्वित हैं। वे कहते हैं, ''..... छोटे उद्योगों का क्षेत्र जो एक बार काफी संकुचित हो गया था विशद होता जा रहा है। जिन वस्तुओं की छोटे आधार पर उत्पादन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वे अच्छी और आर्थिक आधार पर पैदा की जाने लगी हैं। हाल ही में चीन के एक समाचार ने, कि वहाँ इस्पात भी छोटे आधार पर पैदा किया गया है, औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास की संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया है।''

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में छोटे व कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था के मेरुदण्ड होंगे। तो भी, आधुनिक उत्पादन-व्यवस्था एवं मानवीय आवश्यकताएँ ऐसी हैं कि बड़े उद्योगों की एकदम अवहेलना नहीं की जा सकती। अतः वे बड़े उद्योगों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं; लेकिन इससे आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण न हो, इसके लिए मुख्यतः दो सुझाव रखते हैं: (1.) शासन व्यवस्था द्वारा नियमन की, तथा (2.) श्रमिकों की स्वामित्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था हो। इस विषय में वे निजी व सार्वजनिक उद्योग की रूढ़िवादी व्याख्याओं के प्रति

कठोरता को अव्यावहारिक मानते हैं।

'विकेन्द्रीकरण' को दीनदयाल उपाध्यायजी अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय मुद्दा मानते हैं। विकेन्द्रीकरण से ही हम सामाजिक न्याय, स्वदेशी व स्वावलम्बन को प्राप्त कर सकते हैं। उनका मत है, ''आज की परिस्थिति में यदि दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा के परिवर्तन को बताना हो तो वे हैं 'विकेन्द्रीकरण' और 'स्वदेशी'।''

5. अर्थ-संस्कृति

मानव जीवन में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग-ये तीन क्रियायें उसके आर्थिक जीवन को रूपायित करती हैं। अनियंत्रित या असंयमित उपभोग वितरण में विषमता व लूट को प्रेरित करता है। उत्पादन की भी कोई मर्यादा नहीं रहती। यह असंस्कृत आर्थिक जीवन है। दीनदयालजी की अर्थ-संस्कृति का सूत्र है अपरमात्रिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग।

उत्पादन की मर्यादा के लिए वे तीन बातें कहते हैं:

1. उपभोग की आवश्यकता एवं अपेक्षित बचत के लिए पर्याप्त उत्पादन को 'अपरमात्रिक उत्पादन' कहते हैं। यह उत्पादन की मर्यादा है।
2. जिस उत्पादन को खपत के लिए बाजार खोजना पड़े, लोगों में उपभोग की लालसा जगानी पड़े, वह सामाजिक संस्कारों में असंतुलन उत्पन्न करता है। बड़े उद्योग व उपभोगवाद में 'चोली-दामन' का साथ है।
3. प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा है। उनका उच्छृंखल दोहन नहीं करना चाहिए। ''प्रकृति में एक सन्तुलन (equilibrium) है। ..... प्रकृति अपनी पद्धति से क्षय की पूर्ति करती रहती है। ..... मानव इतनी तेजी से उसका विनाश कर रहा है कि न तो प्रकृति क्षति पूर्ति

कर पाती है और न उसका संतुलन ही टिक पाता है। प्राकृतिक क्रियाओं एवं प्राकृतिक क्रियाओं के सर्वांगीण परिणामों का विचार करने लायक ज्ञान का अभी भी मानव के पास अभाव है।'' अतः प्राकृतिक संसाधनों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला उत्पादन वर्जनीय है।

वितरण में समानता के नियमन के विषय में भी वे तीन बातें कहते हैं:

1. वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि 'रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई-ये पाँच आवश्यकताएँ प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए।'
2. अधिकतम व न्यूनतम आय का नियत अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए।
3. वितरक निकायें, उत्पादक व उपभोक्ता के साथ संतुलन वाली हों। अतिरिक्त मूल्य उपभोक्ता के लिए शोषणकारी न हो तथा उत्पादक व वितरक में अतिरिक्त मूल्य का न्यायसंगत बंटवारा हो।

उपभोग के विषय में उनकी मान्यताएँ हैं:

1. संयमित उपभोग का तात्पर्य है स्वस्थ शरीर की आवश्यकता के अनुकूल उपभोग। इन्द्रियलोलुपता को जगाकर किया जाने वाला उपभोग शारीरिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से घातक होता है।
2. ''अनियंत्रित उपभोग असमान वितरण का कारण है। उपभोग में संयम तथा सादा जीवन भारतीय अर्थ व्यवस्था का प्राण है। ..... उत्पादन उपभोग का नियंत्रण नहीं करता, उपभोग ही उत्पादन का नियंत्रण करता है।''
3. आर्थिक अभाव तथा प्रभाव दोनों ही उपभोग को असंयमित करते हैं। अतः अर्थव्यवस्था ऐसी चाहिए जो जीवन के 'अर्थायाम' की

सम्पूर्ति करे।

4. आत्मिक, बौद्धिक व मानसिक आनंद के अभाव के कारण भी व्यक्ति का भौतिक उपभोग असंयमित हो जाता है। व्यक्ति जब सब प्रकार के आनंद की पूर्ति केवल भौतिक उपभोग से प्राप्त करने की कोशिश करता है तो 'उपभोगवाद' के त्रासदायी दुष्चक्र में फंसता है। अतः संयमित उपभोग के संयोजन के लिए समाज में योग्य शिक्षा व संस्कार की व्यवस्था आवश्यक है। सांस्कृतिक आनंद 'उपभोग' को संयमित करता है।

इस प्रकार दीनदयालजी निरूपित करते हैं कि उत्पादन, उपभोग व वितरण कोरी आर्थिक क्रियाएँ नहीं हैं। इनके अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू भी हैं। इन पहलुओं की उपेक्षा करने वाला उत्पादन, उपभोग व वितरण मानव को विषमता, लोलुपता, शोषण एवं असंवेदनशीलता से ग्रस्त करेगा। अतः हमें केवल आर्थिक नियोजन व नियमन ही नहीं, वरन् एक अर्थ-संस्कृति का भी विकास करना है, जिससे हम अर्थ-विकृति से बच सकें तथा सार्थक 'अर्थायाम' को सुपोषित कर सकें। ❍

4. सामाजिक समरसता

समरसता शब्द का अर्थ है- मानसिकता वृत्ति की एकरूपता अथवा तल्लीनता। समरस, समरसता, सामरस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तीनों का अर्थ एक ही होता है। किसी वस्तु विशेष के साथ एकरूप होना इसे समरसता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जब कभी सिनेमा अथवा नाटक देखते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तब उस वस्तुविशेष के साथ हम मानसिक दृष्टि से एकरूप हो जाते हैं। सिनेमा और नाटक के घटना, प्रसंग से हम मानसिक दृष्टि से आंदोलित हो जाते है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भावनाएँ होती है, जैसे राग, द्वेष, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, वात्सल्य,शृंगार। जिस कथावस्तु में इस मानवीय भावनाओं की उत्कट अभिव्यक्ति होती है तब उस व्यक्ति के साथ एकरूप हो जाता है। कुछ क्षण के लिए उसे कथावस्तु उसे अपने जीवन का ही एक हिस्सा लगती है। इस प्रकार विचार किया जाए तो समरसता यह मानसिक भावना है और वह वैश्विक है। विश्व के सभी मानवों का यह गुणधर्म है। यह कोई तत्त्व नहीं है। एक मानसिक-भावनिक विषय है।

समरसता के पहले जब सामाजिक शब्द जोड़ा जाता है तब उसका विशिष्ट अर्थ होता है। सामाजिक समरसता का मतलब एक समाज में रहने वाले हम सब लोग मानवीय भावना से समान है और सब के साथ मानवीय दृष्टिकोण से समतायुक्त व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझना चाहिए। मानवीय एकता का यह विचार बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में इस विचार को इन श्लोकों में कहा गया है-

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रममि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि
समानी आकूतिः समाना हृदयानि वाः।
समानमस्तु वो मनो यथावः सुसहाति।

अर्थ–1. आप आपस में एक विचार से मिल के रहिए। एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक संवाद कीजिए। आपके मन एक बनाकर ज्ञान प्राप्त कीजिए। जिस तरह पुराने लोग एक मत बनाकर ज्ञान प्राप्त करते थे, ईश्वर की उत्तम रीति से उपासना करते थे, उस तरह आप भी एक मत बनाकर आपका कार्य कीजिए।

2. हमारी सबकी प्रार्थना एक समान हो। भेदभाव रहित आपस में मिलन होने दो। अपना मन और चित्त समान हो। मैं आपको एक ही रहस्यपूर्ण मंत्र बताता हूँ और आप सबको एक समान हवि प्रदान कर सुसंस्कृत बना रहा हूँ।

3. आपका संकल्प एक होना चाहिए। आपका हृदय एक समान होना चाहिए। आपका मन एक समान होना चाहिए जिससे आपका आपस का कार्य पूर्णरूपेण संगठित होगा।

समरस व्यवहार का यह अति प्राचीन मंत्र है। भगवान गौतम बुद्ध ने समरसता का व्यवहार कैसे करना चाहिए, यह इस प्रकार बताया–

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहं।
अत्तानं (आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्य न घातये॥

जैसा मैं वैसा तू और जैसा तू वैसा मैं, इसलिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए और किसी को दुःख नहीं देना चाहिए। दूसरे को सुख देने से हमको भी सुख मिलता है और दूसरों को दुःख देने से हमें भी दुःख भुगतना पड़ता है। धम्मपद में इसका विस्तृत उपदेश भगवान गौतम बुद्ध ने किया है।

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।। अध्याय 6-29।।

सभी भूतों में आत्मा बसी है और आत्मा में सभी भूतों की बस्ती है, जिसने योगवृत्ति को प्राप्त किया है वह सर्वत्र ऐसा ही समभाव से देखता है।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणाश्यामि स च मे न प्रणश्यति।।

जो सर्वत्र मेरा अथवा परमात्मा का ही दर्शन करता है और सारी सृष्टि में मुझ को ही भरा पाता है उसका विनाश नहीं हो सकता है।

समरस समाज के लिए यह तत्त्वदर्शन होते हुए भी हिन्दू समाज की रचना आधार चातुर्वर्ण्य रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में समाज का बंटवारा हुआ। प्रारंभिक काल में गुणकर्मविभागशः यह रचना रही होगी, लेकिन बाद में यह जन्म से बन गई। इस वर्णव्यवस्था से आगे चलकर हजारों जातियाँ बनी। जाति व्यवसाय से जुड़ गई। व्यवसाय जन्म से प्राप्त होने लगे। जातिगत व्यवसाय ही प्रत्येक को करना चाहिए, ऐसा सामाजिक बंधन डाला गया। हरेक जाति आगे चलकर एक स्वायत्त समाज रचना बन गई। जाति के कानून बने। जाति में ही विवाह बंधनकारक हो गया। हर जाति अपनी जाति का हित ही देखने लगी। धीरे-धीरे हिन्दू समाज विभिन्न जातियों का संग्रह बन गया। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति के आधार पर होने लगी। सामाजिक जीवन में उसका स्थान व्यक्ति किस जाति में जन्मा है इस आधार पर तय किया जाने लगा। अधिकार और सामाजिक सन्मान की श्रेणीबद्ध रचना निर्माण हुई। ब्राह्मणों को उच्च जाति का दर्जा दिया गया और शूद्रों को अत्यन्त कनिष्ठ जाति का दर्जा दिया गया।

इसी जातिप्रथा से अस्पृश्यता की प्रथा का जन्म हुआ। इस जाति में जन्मा व्यक्ति जन्म से अछूत बन गया। जन्मसिद्ध पवित्रता और

अपवित्रता का निर्माण हुआ। मनुष्य जन्म से काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिहीन हो सकता है लेकिन वह अछूत नहीं हो सकता है। अछूतों की बस्ती गाँव के बाहर कर दी गई और सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार से उनको अलग कर दिया गया। उन्होंने कैसे रहना चाहिए, उनके मकान कैसे हो, उन्होंने कौन से कपड़े पहनने चाहिए, उन्होंने क्या खाना चाहिए आदि पाबंदियाँ उन पर लगाई गई। ज्ञान से उनको वंचित रखा गया। हिन्दू समाज और हिन्दू समाज के अंग रहते हुए भी। उनको मन्दिरों से बाहर रखा गया। हिन्दू धर्म ग्रंथों का पठन करने पर प्रतिबंध लगाया गया। महात्मा गाँधी जी के शब्दों में अछूतपन यह हिन्दू धर्म का एक कलंक है और बाबासाहब अंबेडकर जी के मतानुसार अछूतपन यह अछूतों के नरदेह पर लगा कलंक है।

जातिभेद और अछूतपन के कारण हिन्दू समाज विघटित हो गया और समाज इस संज्ञा से भी दूर हो गया। समाज का मतलब होता है परस्परावलंबी और परस्परमूलक जीवन जीने वाले लोगों का समूह। हिन्दू समाज के अंदर की जातियाँ सभी हिन्दुओं के मन में एक सामाजिक भाव निर्माण नहीं करती। समाज का बिखराव होने के कारण समाज दुर्बल बन गया और दुर्बल बनने के कारण अन्य संगठित समाज से पराजित होते गया। हमारे दीर्घकालीन दासता के अनेक कारण हैं। इन कारणों में से समाज का जातिगत विभाजन यह भी एक कारण है।

समाज को जातिभेदों से मुक्त कराने के प्रयास मध्यकाल में साधु-संतों ने किए। संत, कबीर, संत रैदास, संत पीपा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु आदि संतों ने किए। रैदास जी ने कहा-

जाति-जाति में जाति है।
जो केतन के पात।
रैदास मनुष न जुड सके
जब तक जाति न पात॥

संत कबीर ने कहा-

जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ग्यान।
मोल करो तरो तलवार का पडा रहन दो म्यान॥

इसी प्रकार महाराष्ट्र के संत कवियों ने भी जातिभेद, अस्पृश्यता, वर्णभेद आदि का निषेध किया है। परमेश्वर की भक्ति करते समय ऊँच-नीचता को कोई स्थान नहीं है, जाति-वर्ण सभी अप्रमाण है, ईश्वर के दरबार में सभी एक हैं, ऐसी आध्यात्मिक समता की प्रस्थापना मध्ययुगीन संतों ने की। इसे आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रजातंत्र भी कहा जाता है जहाँ पर व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म जाति के आधार पर किया गया। यह एक प्रकार की अहिंसक आध्यात्मिक क्रांति थी।

इस आध्यात्मिक क्रांति के कारण आध्यात्मिक समरसता निर्माण हो गई लेकिन सामाजिक समरसता निर्माण नहीं हो पाई। परमेश्वर और भक्त के बीच में कोई ऊँच-नीच नहीं है इसको मान्यता मिल गई लेकिन सामाजिक क्षेत्र में छोटे-बड़ेपन का भाव वैसे ही रह गया। सामाजिक समरसता के संदर्भ में सामाजिक रचना में बुनियादी परिवर्तन लाने का महान कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया। उन्होंने सामाजिक समता का विषय रखा और सामाजिक समता के लिए सभी जाति वर्णों को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए, इस विचार को रखा। उन्होंने कहा कि,

विना विद्या मति गई,
विना मति नीति गई,
विना नीति गति गई,
विना गति वित्त गया,
विना वित्त शूद्र धांस गए,
इतने अनर्थ एक अविद्या के कारण हुए।

सामाजिक समरसता के लिए महात्मा फुले जी ने पाँच बातों का

आग्रह रखा। 1. सभी को शिक्षा का मौलिक अधिकार, 2. दुर्बल घटकों के लिए आरक्षण, 3. राष्ट्रकार्य में सभी की सहभागिता, 4. सहभागिता के लिए समान अवसर, 5. सामाजिक विषमता का समर्थन करने वाले धर्मग्रन्थों का खंडन। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समरसता का विषय इन शब्दों में रखा-हम सबका निर्माता एक परमेश्वर है, उसका स्मरण करना चाहिए। परमेश्वर निर्मित वस्तुजात का न्यायपूर्ण उपभोग लेना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आनंदपूर्वक रहना चाहिए, मनुष्यों में भदेभाव नहीं होना चाहिए। सत्य के अनुसार बर्ताव करते हुए धर्मराज्य का निर्माण करना चाहिए। महात्मा फुले जी ने सार्वजनिक सत्य धर्म जनता के सामने रखा।

आज महात्मा फुले जी को 'आद्य समाज क्रांतिकारक' इस संबोधन से गौरवान्वित किया जाता है। महात्मा फुले कृतिशील समाज सुधारक थे। समरसता का कोरा उपदेश उन्होंने नहीं किया। समाज में समता और समरसता आने के लिए जैसा हम बोलते हैं वैसा व्यवहार करना चाहिए यह पाठ उन्होंने अपने जीवन में बताया। अछूतों के लिए उन्होंने अपने घर का कुँआ खुला कर दिया। अछूत छात्र-छात्राओं के लिए उन्होंने स्कूल खोले। पढ़ाने के लिए अपने पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया। सभी समाज के प्रति उनका भाव ममत्वपूर्ण रहा। इसीलिए जनता ने उनको महात्मा यह उपाधि दी।

उन्हीं के कार्य को राजर्षि शाहू महाराज जी ने आगे बढ़ाया। भारत के वे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने 1902 में अपनी संस्थान की सेवाओं में 50 प्रतिशत नौकरियाँ ब्राह्मणेतर वर्ग के लिए आरक्षित कर दी। शिक्षा का प्रचार हो इस हेतु उन्होंने कोल्हापुर में 20 जातियों के लिए छात्रावास खोले जिसमें अछूत जातियाँ भी थी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने का कानून भी उन्होंने बनाया। गंगाराम कांबले नामक एक अछूत को उन्होंने कोल्हापुर में होटल खुलवा कर दिया और उस होटल में वे स्वयं चाय

पीने को जाते थे। वे कहा करते थे कि जिस जाति में हमारा जन्म हुआ उसकी उन्नति की चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने जाति के बाहर भी बहुत बड़ा समाज है उसकी भी चिंता करनी चाहिए। अपने जाति का अभिमान मर्यादित मात्रा में होना चाहिए। अपने जाति का अभिमान राष्ट्रकार्य के लिए पोषक होना चाहिए।

सामाजिक समरसता के संदर्भ में पू. बाबासाहब अंबेडकर जी का कार्य युगप्रवर्तक कार्य है। बाबासाहब कहते हैं, ''मेरे जीवन विषयक तत्त्वज्ञान तीन शब्दों में प्रकट होता है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुभाव यह वे तीन शब्द हैं। यह तत्त्वज्ञान मैंने फ्रेंच राज्यक्रान्ति से नहीं लिया है। मेरे तत्त्वज्ञान की जड़ें धर्म में है। इसे मैंने भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्राप्त किया है। मेरे जीवन विषयक तत्त्वज्ञान में स्वातंत्र्य का ऊँचा स्थान है। लेकिन अनिर्बंध स्वातंत्र्य समता के लिए मारक होता है। मेरे तत्त्वज्ञान में समता का स्थान स्वातंत्र्य से ऊपर है। लेकिन उसमें संपूर्ण समता मुझे अभिप्रेत नहीं है क्योंकि अमर्याद समता स्वातंत्र्य के अस्तित्व के आड़े आती है। स्वातंत्र्य और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने के हेतु निर्बधों का एक स्थान होता है। लेकिन कानून का स्थान बहुत मर्यादित है। क्योंकि स्वातंत्र्य और समता की रक्षा बंधुभावना ही कर सकती है। सहभाव यह बंधुभाव का दूसरा नाम है और बंधुभाव अथवा मानवता यह धर्म का दूसरा नाम है। सहभाव अथवा धर्म यह पवित्र होता है, इसीलिए इसका पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य बनता है।

डॉ. बाबासाहब अंबेडकर जी ने सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए तीन प्रकार के संघर्ष किए- 1. सामाजिक, 2. राजनीतिक और 3. धार्मिक। इन तीनों संघर्षों में उनकी तात्त्विक भूमिका ऊपर दिए गए परिच्छेद में बताई गई है। वे समरसता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सहभाव इस शब्द का प्रयोग करते है। दोनों में कोई अन्तर नहीं हैं। यह संघर्ष समाज की पुनर्रचना का संघर्ष है। संतों के कार्य से आध्यात्मिक

क्षेत्र में समरसता निर्माण हो गई लेकिन सामाजिक क्षेत्र में समरसता लाने के लिए समता और स्वातंत्र्य का अनुभव हर व्यक्ति को होना आवश्यक था। समता के लिए उन्होंने महाड चवदार तालाब का सत्याग्रह किया, कालाराम मन्दिर सत्याग्रह किया। व्यक्ति अंतिम मूल्य है और उसे जन्मत: अहस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त होते हैं जिसमें स्वातंत्र्य, समता और अपने सुख की खोज करने का अधिकार सम्मिलित है। इन अधिकारों पर किसी भी प्रकार के कृत्रिम बंधन अथवा रूढ़ि के कारण उत्पन्न हुए कानून आड़े नहीं आ सकते हैं ऐसा उनका मत था।

सामाजिक समता और सामाजिक स्वातंत्र्य सामाजिक बंधुभावना के सिवा स्थायी रूप से आ नहीं सकता और टिक भी नहीं सकता। संविधान के कानून इन अधिकारों की गारंटी देते हैं लेकिन कोई भी कानून हरेक व्यक्ति के समता अनुकूल और स्वातंत्र्यानुकूल व्यवहार की गारंटी नहीं दे सकता। कानून की यह अंगभूत मर्यादा है। इसलिए सार्वत्रिक बंधुभावना होना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्य की यह नींव है। सार्वत्रिक बंधुभावना निर्माण करना यह संघ का कार्य है। पूज्य डॉ. हेडगेवार जी ने इसकी शुरुआत की तथा पू. गुरुजी और बालासाहब ने इसका दृढ़ीकरण किया। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्ममानव दर्शन के द्वारा भ्रातृभाव का एक वैश्विक दर्शन रखा है। संघ ने सभी के सामने एक भावनिक विषय रखा है। भारत यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी माता है यह हमको सब कुछ देती है। हम सभी इसके पुत्र हैं। एक माँ के पुत्र होने के कारण हम आपस में भाई-बहन है। हममें कोई ऊँच नहीं कोई नीच नहीं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक माता की संतान इस नाते से हम सभी समान हैं। एक माता की संतान इस नाते हममें जन्मना समता है। हम सभी को समाज को परम आराध्य मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। सुख-दु:खों को आपस में बाँटना चाहिए। मैत्री और करुणा भाव सार्वत्रिक होना

चाहिए।

समरसता इस युग का मंत्र है। विश्व में जिन राष्ट्रों ने अपनी असीम भौतिक प्रगति की है उसके जड़ में उनकी सामाजिक एकता है। अमेरिका में काले-गोरे का भेद रहा। वे भिन्नवंशीय लोग है। अलगपन रंग से ही दीखता है। हम भारतीयों में इस प्रकार का कोई वांशिक भेद नहीं। अमेरिका में इस भेद को मिटाने का विगत डेढ़ सौ सालों से प्रयास चलाया है। इस प्रयास के कारण बराक ओबामा जो गोरे नहीं हैं अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बन सके। सभी क्षेत्रीय सहभागिता का मंत्र अमेरिका ने व्यवहार में लाया है। अवसर की समानता है। सबको साथ लेकर चलने की सारे समाज की मानसिकता है। संविधान की व्याख्या भी बदलते परिप्रेक्ष्य में वहाँ के न्यायमूर्ति करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देश तो एकवंशीय देश हैं लेकिन वहाँ पर धार्मिक भेद हैं, फिर भी सामाजिक एकता में धार्मिक भेद आड़े नहीं आते हैं। इसके कारण राष्ट्र एक शक्ति के रूप में खड़ा होता है। सबका राष्ट्रीय लक्ष्य एक होता है। समाज जब टुकड़ों में बँट जाता है तब उसके आदर्श अलग होते हैं, उसके सामाजिक ध्येय अलग बनते हैं। राष्ट्रीय एकसूत्रता नहीं रहती हैं। हम को भारत में एक राष्ट्र के रूप में खड़ा रहना है इसलिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य, एक राष्ट्रीय आदर्श के लिए सामाजिक सद्भाव, सामाजिक बंधुता, सामाजिक समरसता इसमें कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह प्राप्त करने में जो बाधाएँ आएंगी उसको हम सभी ने प्रयत्नपूर्वक अहिंसक मार्ग से मानसिक परिवर्तन लाते हुए दूर करना होगा। मानसिक परिवर्तन का मार्ग लंबा होता है। लेकिन यह मार्ग निश्चित परिणाम देने वाला होता है। इसलिए ऐसे मार्ग को सब से नजदीकी मार्ग भी कहा जाता है। हम सभी को इस राह पर चलना होगा। ❍

5. विचार परिवार

- 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य अधिक सघनता से करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति निर्माण के कार्य को संघ स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में साकार करने का विचार संघ में प्रारंभ हुआ।
- 1950 के दशक से इस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ और संघ कार्यकर्ता धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वायत्त रचनाएं खड़ी करते चलते गये।
- आज लगभग सभी क्षेत्रों में समान ध्येय एवं विचार-व्यवहार की प्रक्रियायें केंद्र में रखते हुए ऐसे संगठन कार्यरत हैं और प्रभावी ढंग से इस पुनर्निर्माण के कार्य को कर रहे हैं।
- इस कार्य की भूमिका एवं स्वरूप बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार संगठन खड़ा करके वहाँ अपेक्षित परिवर्तन लाने का यह प्रयास है।
- 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना हुई। यह प्रारंभिक प्रयास रहा। उसके पश्चात् अलग-अलग संगठनों का निर्माण हुआ। वर्तमान में लगभग 40-42 ऐसे संगठन इस शृंखला में विद्यमान हैं।
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की पृष्ठभूमि इन संगठनों के सिद्धांत का आधार है, यानी राष्ट्र जीवन का विचार एकात्म भाव से हो, समाजहित सर्वोपरि हो, समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, भारतीय परंपरा, इतिहास व राष्ट्रपुरुष के प्रति सम्मान और आदर

की भावना हो और जिस क्षेत्र में कार्य खड़ा करना है उस क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करके स्वस्थ समाज का दृश्य साकार हो, यह समान भूमिका विचार परिवार की आधारशिला है।

- इस विचार परिवार से अपना भावनात्मक संबंध रखकर कार्य करने वाले सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। सबकी कार्यपद्धति संगठन के स्वरूप के अनुसार है और उनका कार्य अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
- वास्तव में यह एक अनोखी संगठन रचना है – व्यापक रूप से विचारधारा समान है परन्तु कार्यपद्धति भिन्न है। विचार परिवार एक ही है, परन्तु नियंत्रण, नियमन और कार्यकर्ताओं की शक्ति प्रत्येक संगठन ने अपने प्रयास से खड़ी की है।
- अनेक संगठनों ने शिक्षा, सेवा तथा वंचित समाज के उत्थान का व्यापक कार्य खड़ा किया है। विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती आदि इसके उदाहरण हैं। अनेक सेवा प्रकल्प व एकल विद्यालय जैसे प्रयोग परिवर्तन के प्रतिमान बन चुके हैं।
- विचार परिवार के घटक के रूप में सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त होते हुए भी सभी में समन्वय, परस्पर-पूरकता और मूल विचार के परिप्रेक्ष्य में विसंगति नहीं है।
- विविध क्षेत्रों में सभी संगठन समाज हित में प्रभावी कार्य कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ आज विश्व का सबसे बड़ा मजबूत संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् छात्रों के बीच सबसे बड़े अनुशासित संगठन के रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के क्षेत्र में विश्व हिन्दू परिषद् एक सशक्त आवाज है।
- विचार परिवार की यह रचना आज स्थिर हो चुकी है। ऐसे संगठनों की भूमिका राजनैतिक सत्ता संपादन की नहीं है परन्तु उनकी

गतिविधियों से राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले दल के प्रति मानस तैयार होता ही है। लेकिन किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं का उपयोग दलगत राजनैतिक हितों के लिये करने की परंपरा नहीं है।

- कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुए भी समाज जीवन की दृष्टि से समान दृष्टिकोण विचार परिवार में स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है जैसे कि समाज का विचार एकात्मभाव से ही हो, समाज जीवन टुकड़ों में बँटा हुआ नहीं है बल्कि सभी अंग परस्पर-पूरक हैं, समरसता समाज जीवन के स्वास्थ्य का आधार है, विविधता में एकता का अनुभव है, वर्ण-वर्ग-जाति संघर्ष समाजहित में नहीं हैं, एक जन-एक राष्ट्र-एक संस्कृति समाज जीवन की अनुभूति है, भारतीय समाज मानस मूलतः आध्यात्मिक होने के कारण समष्टि के लिये त्याग की अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में हो, धर्म की कल्पना व्यापक ही है और समाज को धारण करने वाली है ऐसे सभी सिद्धांत विचार परिवार के सभी संगठनों ने अंगीकार किये हैं।
- विचार परिवार की यह कल्पना राष्ट्र के परम वैभव से ही प्रेरित है। मूल प्रेरणा यही है। संगठन के सभी आंतरिक व्यवहार और कार्यकर्ताओं के परस्पर संबंध सदा स्नेहपूर्ण रहने का मूल कारण भी समाज ध्येयवाद एवं समाज के प्रति समर्पण का भाव ही है।
- समाज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए ये संगठन एक विशाल शक्ति बन चुके हैं। यह शक्ति न तो किसी के विरोध या प्रतियोगिता में है और न ही वर्चस्व स्थापित करने के लिये है। यह सिर्फ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से प्रेरित है।

❍

6. कार्यपद्धति

किसी भी संगठन के सुचारू संचालन हेतु कार्यपद्धति की आवश्यकता होती है। केवल अच्छे इरादों से कार्य नहीं चलता है, अच्छे इरादों को साकार करने वाले एवं जीवन में उतारने वाले लोग चाहिए। इस प्रकार के श्रेष्ठ जीवन को खड़ा करने का माध्यम बनती है- कार्यपद्धति।

हम राजनीतिक क्षेत्र में पहले जनसंघ, वर्तमान में भाजपा - देशभर में प्रभावी एवं सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बने और असंख्य कार्यकर्ता खड़े कर सके, इसका महत्त्वपूर्ण कारण हमारी कार्यपद्धति ही है। भविष्य में भी अपनी पार्टी को और अधिक शक्तिशाली इस कार्यपद्धति का अनुसरण करने से ही बना सकते हैं।

व्यक्तिगत व्यवहार

(1) **मनुष्यों का संगठनः** किसी भी विचार को क्रियान्वित करने का माध्यम मनुष्य होता है। इस कारण विवेकानंद जी ने कहा है कि ''मनुष्य केवल मनुष्य भर चाहिए'' (We want a men with capital aim) हम जब कोई संगठनात्मक, रचनात्मक अथवा आन्दोलनात्मक कार्य करते हैं, तब हमको अनेक नवीन लोग मिलते हैं। संपर्क में आए हुए लोगों को कार्यकर्ता बनाना एवं उचित स्थान पर नियोजन करना हमारा दायित्व है।

यह व्यवहार करते समय कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है इस सिद्धांत पर हमारा विश्वास रहे। ''अयोग्यो पुरुषो नास्ति।'' जब हम अनेक मिलते हैं, तब मिलकर पूर्ण रूप से एक बनते हैं। हममें से कोई भी अकेला पूर्ण नहीं है।

संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के स्वभाव एव कार्यशैली में अनेक प्रकार के दोष भी नजर आते हैं। हमारा प्रयास ऐसे में यह हो कि व्यक्ति

को छोड़ने के स्थान पर व्यक्ति के स्वभाव शैली में परिवर्तन आए और वह संगठन के लिए उपयोगी बने।

राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की महत्त्वाकांक्षाएँ भी लेकर आता है। इस प्रकार के व्यक्ति से भी आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध बनाते हुए उसके मन के अन्दर विचार के प्रति निष्ठा एवं समर्पण भाव विकसित करना चाहिए। यह कार्य शुद्ध प्रेम एवं आत्मीयता के साथ ही संभव है। ''शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है।''

सहज व्यवहार: कार्यकर्ता के साथ सरल एवं सहज व्यवहार रहे। परस्पर दायित्व की मर्यादा का पालन करते हुए भी हम एक ही उद्देश्य के लिए काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं, ऐसा हमारे व्यवहार से परिलक्षित होना चाहिए।

समय प्रबंधन: व्यस्ततम समय में भी हम अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से कैसे मिल सकते हैं? इसका प्रयास हो। अपने समय का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि अपेक्षित कार्यकर्ता से हमारी वार्ता हो सके। अपने समय को दो-तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है:

1. आवश्यक व्यक्तियों से भेंट
2. शेष सभी से भेंट।

जितना अधिक हमारा सामान्य व्यक्तियों से मिलना होगा, उतना ही अपने कार्य के संबंध में धरातलीय जानकारी मिल सकेगी और आवश्यक योजना बन सकेगी।

परनिंदा: संगठन कार्य में अपना उद्देश्य (स्वार्थ) पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अपने निकट आने का प्रयास करते हैं। हमारा विश्वास जीतने के लिए वह अन्य व्यक्तियों की आलोचना भी करते हैं, जो व्यक्ति उनका प्रतिस्पर्धी होता है उसके संबंध में कमियाँ निकालते हैं। कई बार

मनगढ़ंत बातों को आधार बनाकर भी ऐसा किया जाता है। सत्यता से परे भी बातों को बोला जाता है।

जिस व्यक्ति से वार्ता की जा रही है, उसके निकट आने के लिए उसके प्रतिस्पर्धी के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की बातें की जाती हैं। परस्पर मित्र लोगों में भी आपस में भेद निर्माण करके भी यह कार्य किया जाता है।

कुछ समय पश्चात् दो मित्र भी आपस में शत्रु बन सकते हैं। माननीय शेषाद्री जी (सरकार्यवाह) कहते थे कि ''परनिंदा सुनने में सर्वाधिक रस आता है।''

आत्मस्तुति : सामान्यत: मनुष्य का मन अपनी प्रशंसा सुनने में सर्वाधिक प्रसन्न होता है। अपनी इस कमजोरी का लाभ उठाने के लिए हमारे पास जाने-अनजाने ऐसे लोग एकत्रित हो जाते हैं, जो बात हमारे कानों को अच्छी लगती है वही बात बोलते हैं। सत्य हमारे पास पहुँच ही नहीं पाता। इस प्रकार के लोगों में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की भावना होने के कारण सत्य कहने का साहस नहीं होता। धीरे-धीरे एक वलय हमारे चारों ओर आ घेरता है।

उस वलय में स्थित समूह की बात सुनते रहने से लम्बे समय तक हमें सत्य ज्ञात ही नहीं होता और जब परिणाम हमारे विपरीत होता है (हम चुनाव में पराजित होते हैं) तब हमें समझ आता है कि हम सत्य से दूर थे।

उपाय

1. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। अपने आलोचकों की बात को भी सुनना।
2. आत्मस्तुति एवं परनिंदा करने वाले लोगों से सावधान रहना।
3. अपने एवं अपने कार्य के सम्बन्ध में फीडबैक लेने की कोई अन्य

व्यवस्था भी करनी चाहिए। प्राचीन समय में राजा भेष बदलकर इस कार्य को करते थे। आजकल सर्वे आदि व्यवस्थाओं का उपयोग होता है। व्यक्तिगत दुराग्रह: कभी-कभी हम किसी व्यक्ति को अपना हितैषी मानकर उसको स्थापित करने के लिए सीमा से बाहर जाकर गुण-दोष एवं कार्य का हित-अहित का न विचार करते हुए उसको स्थापित करने का आग्रह करते हैं। यह आग्रह पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा भी दाँव पर लगा देते है, ऐसा व्यक्ति पुराने समय में हमारे द्वारा ही खड़ा किया जाता है। उसके प्रति हमारा आग्रह रहता है। वह हमारे प्रति समर्पित रहता है। दल एवं विचार के लिए नहीं।

निर्णय विपरीत होने के बाद निर्णित व्यक्ति को असफल करने का प्रयास भी होता है। अथवा अपने आग्रही व्यक्ति से समानांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास तक भी होता है। इस कारण प्रत्येक कार्य-कार्यक्रम में विवाद उत्पन्न होता है अथवा विवाद कराया जाता है।

परिणाम:

- व्यक्ति योग्य नहीं होता। अयोग्यता के कारण संगठन का नुकसान होता है।
- संगठन की प्रतिष्ठा को दाँव पर लगाकर दल छोड़कर जाता है।
- इस कारण से स्थापित करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी दाँव पर लगती है। उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भी अविश्वास निर्माण होता है। और इसलिए...
- दिल में नहीं, दल में रखें।
- सुझाव दें, दुराग्रह ना रखें।
- उच्च स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को किस स्तर तक अपने सुझाव देने हैं, इसका विचार करना चाहिए। क्या मंडल, मोर्चे, आदि सभी

में सुझाव आवश्यक है।

दुराग्रह जैसे बनाने के लिए होता है, वैसे ही न बनाने के लिए भी होता है। उसका कारण अपने से विपरीत व्यक्ति का होना है।

पूर्वाग्रहः कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा किसी कार्यकर्ता के सम्बन्ध में पुराना अनुभव अच्छा नहीं होता। उस अनुभव के आधार पर ही हम उस कार्यकर्ता के सम्बन्ध में अपना मत निर्माण करते हैं।

पुराना अनुभव हमें किसी दूसरे के बताने पर निर्माण होता है अथवा हमारा स्वयं के साथ का अनुभव भी हो सकता है। ऐसा भी अनुभव आता है कि स्वयं का अनुभव पूरे घटनाक्रम को न समझने के कारण हुआ हो। अथवा बताने वाले ने अपने आप को केन्द्रित करके उसके सम्बन्ध में बताया हो।

पुराना घटना-क्रम सत्य होने के बाद भी व्यक्ति ने लम्बे अंतराल में अपने अन्दर परिवर्तन कर लिया हो, वह स्वभाव व्यवहार अब उसमें न हो, इस कारण पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं सोचना चाहिए।

अनुशासित आचरणः अनुशासन किसी भी संगठन का प्राण है। बिना अनुशासन के संगठन चलना संभव नहीं है। अनुशासन संगठन का ऐसा नियम है जो हम स्वयं स्वीकार करते हैं। अनुशासन का अर्थ शब्द, कर्म, मन से संगठन के विपरीत व्यवहार न हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम संगठन में किसी एक की बात मानते हैं- शेष की नहीं। अपने से ऊपर का नेतृत्व एवं उसके द्वारा लिये हुए निर्णय का पालन करना भी अनुशासन का अंग है।

बोलते समय अपने विचार एवं नेतृत्व के प्रति सदैव श्रद्धास्पद शब्दों का चयन एवं व्यवहार यही अनुशासन है।

हमारे अनुकूल निर्णय होता है संगठन अच्छा है और प्रतिकूल होने पर संगठन ठीक नहीं है। पहले ठीक था अब ठीक नहीं है, आदि

शब्दावली अथवा निर्णय के विपरीत व्यवहार अनुशासनहीनता है।

मनसन्यत् वचसन्यत् कर्म सन्यत् दुरात्मनाम।
मनस्ये कं वचस्ये कं कर्मव्ये कमं महात्मनाम।।

- यदि निर्णय अपने अनुकूल नहीं हुआ तब निर्णय करने वाले हमारे विरोधी है, यह धारणा उचित नहीं है। निर्णय करने वाले सत्य समर्थक है, यह भाव रहे।
- पार्टी दिशा के विपरीत समाचार-पत्र में वक्तव्य देना अथवा समाचार लीक करना भी अनुशासनहीनता है।
- सरकार वाले स्थान पर सरकार की दिशा के विपरीत व्यवहार करना भी अनुशासनहीनता है।
- अपना विचार, वरिष्ठ नेतागण, समकक्ष कार्यकर्ता एवं सहयोगी नीचे तक के कार्यकर्ता समूह में हमारे व्यवहार से विचार के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं कार्य करने की प्रेरणा यह हमारे अनुशासित होने से ही होता है।

पद नहीं दायित्वः हमारे संगठन में अधिकार भाव नहीं, कर्तव्य भाव है।

- पद में अधिकार एवं अहंकार का भाव रहता है।
- पद में मैं श्रेष्ठ एवं शेष कनिष्ठ का भाव रहता है।
- पद छोड़ने की इच्छा नहीं होती।
- पद में बसे रहने के लिए जुगाड़बाजी होती है।
- दायित्व में त्याग और सेवा की वृत्ति रहती है।
- दायित्व जिम्मेदारी भाव से युक्त है।
- दायित्व में सहयोगियों के प्रति प्रेम का भाव रहता है।

- दायित्व सहर्ष दूसरे को दिया जा सकता है। यह मनोभाव रहता है।
- दायित्व में संगठन जिस योग्य समझेगा वैसा कार्य करेंगे।
- प्रधानमंत्री जी का यह वाक्य, ''मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ''; इसी भाव का प्रकटीकरण है।

सामूहिक

पारस्परिकता: कोई भी लोकहित का कार्य किसी भी एक व्यक्ति के करने का नहीं। सबको साथ लेकर समाज के द्वारा ही करने का होता है। भगवान श्रीकृष्ण का ग्वालबालों को साथ लेकर गोवर्धन पर्वत को उठाने का उदाहरण इसी का प्रतीक है।

- अपने साथ कार्य करने वालों के प्रति एक भाव रहे, हम छोटे बड़े नहीं एक ही महान् लक्ष्य के लिए कार्य करने वाले एक पथ के पथिक हों।
- कार्य करते समय सभी को साथ लेकर चलना है। कोई भी पीछे न छूट जाये।
- मैं ही लक्ष्य प्राप्त करूँ अर्थात् मुझे श्रेय मिले यह नहीं, हम सभी सफलता और असफलता के समान जिम्मेदार हैं। यह भावना होनी चाहिए।
- वास्तव में श्रेय सहयोगियों को और असफलता का जिम्मेदार मैं।
- सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, एक-दूसरे का सहयोग आवश्यक है।

उदाहरण: एवरेस्ट की चढ़ाई; हम दोनों एक साथ पहुँचे हैं। कोई आगे-पीछे नहीं- शेरपा तेनजिंग और एडमंड हिलेरी का उदाहरण।

उदाहरण: पहाड़ चढ़ते समय एक-दूसरे की पीठ में रस्सी बाँधकर चढ़ना, सबको सम्हालकर चढ़ने का उदाहरण।

- मैं ही आगे बढ़ूँ- इसके लिए दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप, छल-प्रपंच ऐसा करने से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है।
- साथ लेकर चलने के लिए सबका मन जानना, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, (अगाधा प्रेम), सहयोग, सद्भाव आवश्यक हैं!
- श्री नरेन्द्र मोदी जी- ''यह सफलता मेरी नहीं पीढ़ियों के पुरुषार्थ एवं तपस्या का परिणाम है।''

सामूहिक निर्णयः वेदमंत्र में संगठन सूत्र कहा गया है।

संगच्छधवं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे, संज्ञानाना उपासते॥

जब कोई कार्य केवल एक व्यक्ति करता है तब वह कार्य केवल व्यक्तिगत होता है। समूह के द्वारा श्रेष्ठ भाव से लोक कल्याण के लिए होने वाला कार्य ही ईश्वरीय कार्य होता है। ऐसे कार्य को गति देने के लिए जब प्रत्येक स्तर पर टोली में निर्णय होते है, वह निर्णय सबके मन के, सबकी भावनाओं को समाहित किये हुए- सामूहिक निर्णय होते हैं।

सामूहिक निर्णय की इसी परंपरा को हमारे यहाँ पंच-परमेश्वर कहा गया है।

सामूहिकता आवश्यक क्यों? किसी भी एक व्यक्ति को निर्णय के विषय पर सभी जानकारी (information) नहीं रहती, इस कारण निर्णय ठीक नहीं होते हैं।

- व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण सीमित रहता है, इस कारण समग्रता नहीं रहती।
- कोई भी व्यक्ति अपने में पूर्ण नहीं होता है, सभी मिलकर पूर्ण बनते हैं।
- यशवंत राव जी का उदाहरण हम सभी मिलकर पूर्णांक होते हैं।

- व्यक्ति की एक निश्चित कार्य-अवधि होने के कारण दीर्घगामी संगठन के लिए योग्य व्यक्ति सामूहिकता से ही तैयार होते हैं।
- कार्य करने की शैली, सोचने का तरीका एवं व्यवहार-भविष्य का कार्यकर्ता इसी सामूहिकता से ही सीखता है।
- ठेंगड़ी जी ने कहा- एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया सही निर्णय उसकी तुलना में टोली द्वारा लिया गया गलत निर्णय भी ठीक है।
- Coming together is a beginning; thinking together is progress; working together is success. साथ आना शुरूआत है, साथ सोचना प्रगति, साथ कार्य करना सफलता है।
- मोहन भागवत जी- सफलता मिली तब सामूहिक हंसेंगे। यदि विफलता मिलने पर रोने की आवश्यकता पड़ी तब रोये भी सामूहिक ही। यही भाव सामूहिकता का भाव है।

सावधानियाँ:

- टोली में बैठने से पूर्व पूर्वाग्रह ग्रसित होकर नहीं बैठना।
- पहले से ही यह निर्णय करना है, निर्णय निर्धारित करके नहीं बैठना है।
- सभी को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर देना है। बैठक का वातावरण निर्भय रखना है।
- कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के सुझाव को भी ध्यान से सुनना है।
- अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए लॉबिंग नहीं करना।
- ऐसी टोली न बने जो केवल एक ही व्यक्ति का गुणगान करे अथवा व्यक्ति को समर्पित हो। ''ठकुरसुहाती'' कहावत चरितार्थ न हो।
- टोली में विपरीत बोलने वाले व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी 'यस बॉस' के भाव से बोलने वाले सत्य नहीं बताते जिसके कारण गलत निर्णय अर्थात् गलत परिणाम होता है।

- ''निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए।''
- निर्णय के समय बोलने वाले व्यक्ति को बैठक के बाहर भी निर्भयता का वातावरण लगे।
- बैठक के बाद निर्णय समाचार-पत्र में लीक करना, यह सामूहिकता की भावना के विपरीत है।
- व्यक्तिगत श्रेय लेने का भाव भी ठीक नहीं है।
- हमारा संगठन किसी व्यक्ति एवं परिवार पर केन्द्रित संगठन नहीं है। हम सामूहिकता के आधार पर कार्य करने वाले लोग हैं।
- इस कारण बूथ समिति से लेकर राष्ट्रीय टोली तक हम सभी स्तर पर समूह में निर्णय करते हैं।
- इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए हमने कोर ग्रुप की रचना भी की है।
- टोली निर्माण करते समय सामाजिक समीकरणों का जितना संभव हो सके उसका विचार करें। जिस कारण समाज के सभी अंगों का हम ठीक से विचार कर उचित निर्णय कर सकें, यह करते हुए भी कार्यकर्ता के स्तर को भी समझकर निर्णय करें।
- Team Decides, President Presides. 'टोली निर्णय लेती है, अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।'

संपर्क

संपर्क- अपने कार्य के साथ नवीन व्यक्तियों को जोड़ने, पुराने व्यक्तियों को सम्हालने के लिए संपर्क की आवश्यकता होती है।

माध्यम- कार्यकर्ता के घर पर जाने से कार्यकर्ता के साथ-साथ परिवार के लोगों के साथ भी आत्मीयता निर्माण होती है।

किसी विषय पर परामर्श के लिए एवं प्रसंग आने पर तो घर जाना

होता ही है। बिना किसी हेतु के केवल संपर्क का हेतु रखकर जाना अधिक परिणामकारक होता है।

इस संपर्क शैली के कारण आज भी हजारों परिवार दीनदयाल जी, ठाकरे जी आदि कार्यकर्ताओं का स्मरण करते हैं।

- कार्यालय पर भी निश्चित समय पर जाना, मिलना, सहज संपर्क एवं वार्ता कार्यकर्ता को कार्य करने की प्रेरणा देती है।
- समाज जीवन एवं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य दलों के नेताओं के साथ संपर्क भी हमारे सम्बन्ध में निर्मित भ्रम दूर करने का माध्यम बनता है।
- समाज के अलग-अलग श्रेणी के लोगों से संपर्क से हमको अपने सम्बन्ध में फीडबैक भी मिलता है।
- प्रवास में जाते समय भी इस प्रकार के प्रमुख लोग (Opinion maker) के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए।
- संपर्क में जाते समय वैचारिक साहित्य एवं राज्य अथवा केंद्र सरकार की उपलब्धियों से सम्बंधित साहित्य भेंट करना उचित रहेगा। ऑडियो, वीडियो, सी.डी. आदि का भी उपयोग करना चाहिए।
- परिषद्, कार्यसमिति के प्रस्ताव, अध्यक्ष जी एवं प्रधानमंत्री जी के भाषण की पुस्तिका का भी उपयोग हो सकता है।
- सम्पर्कित व्यक्तियों का दूरभाष, सचल दूरभाष, मेल आईडी, सोशल मीडिया की जानकारी लेकर संकलित करना चाहिए।
- बाद में विविध प्रसंगों पर भी संपर्क रखना चाहिए।
- नानाजी देशमुख एवं राममनोहर लोहिया का उदाहरण- इसी संपर्क से निकट आये।

संवाद

संवाद क्यों:

- कार्य करते-करते कार्यकर्ता के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं।
- कार्य करते समय कार्यकर्ता के द्वारा त्रुटि होती है। उसमें सुधार की आवश्यकता रहती है।
- अनेक विषय कार्यकर्ता के मन में व्यक्तिगत और पारिवारिक रहते हैं। वह उनको कहना चाहता है और उनका समाधान मांगता है।
- साथ के सहयोगी अनेक कार्यकर्ताओं के प्रति उसके मन में शिकायत होती है।
- अपने विचार, कार्यपद्धति आदि को लेकर भी अनेक प्रश्न रहते हैं।
- तात्कालिक परिस्थितियों का समाधान भी कई बार नहीं होता इस कारण वह बात करना चाहता है।
- सरकारों की नीति को लेकर भी प्रश्न खड़े होते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में हमको भी अथवा उसको भी संवाद की आवश्यकता होती है। यदि यह संवाद नहीं होता तब कार्यकर्ता धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाता है। He was sinking slowly slowly. (वह धीरे-धीरे डूब रहा था)यह उक्ति चरितार्थ हो जाती है।

संवाद व्यवहार:

- पूर्वाग्रह ग्रसित होकर संवाद न हो। पूर्व धारणा रखकर साथ न बैठें।
- कहने वाले व्यक्ति को पूरी बात कहने दें। बीच में न टोकें।
- आप धैर्य से सुन रहे हो यह सामने वाले व्यक्ति को दिखाई दें।
- संवाद में उठाए विषय को सुनने के पश्चात् परिणति तक लेकर जाएं।

जिससे व्यक्ति को संतुष्टि हो। यह न होने पर संवाद से विश्वास उठ जाता है।

- संवाद करते समय चेहरा भी स्वीकृति का दिखाई दे। कई बार सुनते समय चेहरा स्वीकृति का दिखाई नहीं देता। तब सामने वाले को संतुष्टि नहीं होती है।
- संवाद करते समय मोबाइल, फेसबुक आदि अथवा अन्य कार्य का प्रयोग संवाद करने वाले को संतुष्ट नहीं करता और संवाद की दृष्टि से यह व्यवहार अच्छा नहीं है।
- प्रधानमंत्री जी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि वार्ता करते समय मैं किसी का फोन नहीं सुनता।
- जिसके संबंध में संवाद में वार्ता हुई है। संवाद विषय उस तक पहुँचता है तब संवाद की गरिमा का पालन नहीं हुआ।
- सामने वाले व्यक्ति को लगे कि ये मेरे अन्दर रुचि ले रहे हैं।
- सुधार करने योग्य व्यक्ति को त्रुटि बताते समय प्रेम से सुझाव शैली का उपयोग करना चाहिए।
- आत्मीयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने के लिए सुख-दु:ख, परिवार आदि की जानकारी एवं चर्चा करना उचित रहता है।
- व्यक्ति की कमजोरी अथवा नस पकड़कर, कठघरे में खड़ा करके कार्य निकालने के लिए संवाद उचित नहीं है।
- विषयों को समाज तक ले जाने के एवं समान सहमति निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत छोटी टोली की बैठकें, समाज समूह, पत्रकार वार्ता सभी संवाद के माध्यम हैं।
- संवाद करने के लिए आये हुए व्यक्तियों को बोलने का अवसर दें, पूर्ण अवसर दें, जल्दी न करें (हो गया, मुझे सब मालूम है, ऐसे शब्दों का उपयोग न करें)।

- असहमत होने पर वार्ता बंद हो गई संवाद के कारण ऐसा न हो, हम पुनः मिलकर वार्ता करेंगे इसी सुखद वातावरण में संवाद समाप्त हो।

कार्यपद्धति के उपकरण

- कार्यक्रम।
- उद्देश्य।
- संगठनात्मक।
- कार्यकर्ताओं की सक्रियता।
- वैचारिक प्रखरता।
- संगठन का सुचारू सहचालन।
- सरकार के निर्णयों को नीचे तक पहुँचाना।

बैठक-

- बैठकों के विषयों की अच्छी तैयारी।
- बैठकों का वातावरण उत्साहपूर्ण और सकारात्मक रहे।
- बैठकों का निर्णय नीचे क्रियान्वयन हो।
- बैठक व्यवस्था सादगीपूर्ण और पर्यावरण संरक्षित हो।
- समय पालन और निर्धारित सूची हो।
- प्रत्येक इकाई की बैठकें (बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक)।
- मोर्चों और प्रकोष्ठों की सभी स्तर की बैठकें।
- कोर ग्रुप की बैठकें- विभाग और प्रकल्पों की बेठकें। संविधान के अनुसार निश्चित अन्तराल में बैठकें होनी चाहिए।
- मान. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यसमिति से लेकर मंडल तक की कार्यसमिति निश्चित अन्तराल में सपन्न होनी

चाहिए।

- संगठन की ओर से विविध विषयों पर गोष्ठी, संवाद आदि के कार्यक्रम भी होने चाहिए।
- **आंदोलनात्मकः** लोकतंत्र में समाज को जाग्रत करने के लिए निश्चित विषय पर शासन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन सशक्त माध्यम है।
- आंदोलन का उद्देश्य पूर्व में निश्चित कार्यकर्ताओं को समझाया जाये।
- आंदोलन लक्ष्य से न भटके, इसका स्मरण रहे।
- आंदोलन हिंसात्मक न हो, इसका स्मरण रहे।
- आंदोलन में असामाजिक तत्त्वों का समावेश न हो।
- आंदोलन अंतिम परिणाम तक पहुँचे, इसका स्मरण रहे।
- आंदोलन केवल कुछ लोगों की स्वार्थपूर्ति का माध्यम न बने।
- आंदोलन समाज से जुड़े कुछ लोगों तक सीमित न रहे।
- आंदोलन केवल सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए न रहे।
- आंदोलन में सपर्क में आये नवीन लोग भविष्य के कार्यकर्ता कैसे बनें- इसका विचार हो। आन्दोलन विचार और संगठन को बढ़ावा देने वाला हो।
- आंदोलन से नेतृत्व का विकास होता है। समाज में हमारे नेतृत्व का विकास होना चाहिए।

रचनात्मकः

- लम्बे समय से हम विपक्ष में होने कारण विपक्ष की भूमिका एवं उसके लिए आंदोलन यह हमारा स्वभाव है। अब हम सत्ता में है। इस कारण सत्ता के समय हमारा व्यवहार कैसा हो यह हमको

सीखने की आवश्यकता है। केवल केंद्र और राज्य सरकारें ही नहीं पंचायत से लेकर संसद तक हम अनेक स्थानों पर सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं अथवा हमारे सहयोग से सरकारें चल रही हैं। ऐसे समय में समाज के अन्दर हम रचनात्मक, सेवा की गतिविधियों के माध्यम से स्वयं को सक्रिय, समाज को जोड़ने का काम और निश्चित मुद्दों पर समाज को जाग्रत करने का कार्य करना चाहिए।

रचनात्मक एवं सेवा की गतिविधियाँ हमारे अन्दर के अहम् को समाप्त करती हैं।

- मानव अथवा दैवीय आपदाओं के समय सेवा कार्य।
- विविध ज्वलंत मुद्दों पर सेमिनार और विचार गोष्ठियाँ।
- मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण आदि माध्यमों से समाज को जोड़ना, सक्रिय करना।
- जहाँ-जहाँ हमारे पास नगरपालिका, नगर निगम आदि हो वहाँ स्वच्छता का मॉडल खड़ा करना।
- निश्चित दिन तय करके स्वच्छता का बड़ा अभियान खड़ा हो।
- समाज के प्रभावी लोगों को अभियान से जोड़ना।
- देश के प्रत्येक व्यक्ति को लगे यह भाजपा का नहीं, हमारा कार्य है। यह सन्देश जाये।
- यूथ फॉर नेशन की तरह यूथ फॉर बीजेपी जैसा सन्देश देकर युवकों को इन अभियानों से जोड़ना।
- सेवा कार्य करते समय सम्पूर्ण समाज ही सेवा योग्य है। यह दृष्टि रहे।
- इन कार्यों से सभी समाज को लगे 'भाजपा हमारी है, हम भाजपा

के हैं।'

- महापुरुषों की जयंती आदि का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाये।
- रचनात्मक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) से भी संपर्क करके इस कार्य से जोड़ना चाहिये। विविध अवसरों पर ऐसे अच्छे कार्य करने वाले लोगे को सम्मानित भी अपने मंच से करना चाहिए।
- संपर्क में आये ऐसे व्यक्तियों का सम्मान सरकार के द्वारा भी करना, कराना चाहिए।
- बाद में यह सभी व्यक्ति संगठन-तालिका में आये इसका प्रयास हो।
- हमारे सम्बन्ध में समाज में धारणा बने 'ये अच्छे हैं और हमारे हैं।'

मीडिया (प्रसार माध्यम)

- मीडिया से सतत् संपर्क रहे।
- मीडिया से संपर्क रखने के नाम पर संगठन-पद्धति का पालन होना चाहिए।
- अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के साथ-साथ, संगठन एवं विचार की प्रसिद्धि हो।
- मीडिया को हम जो कहना चाहते हैं वह कहें, हमसे मीडिया जो कहलवाना चाहता है वह न कहे, इसका विवेक रहे।
- पार्टी के अन्दर के समाचार बाहर न दें।
- मीडिया संवाद करते समय तैयारी के साथ जायें।
- प्रत्येक बात मीडिया में बोली जाये, यह आवश्यक नहीं है।

विस्तार की दृष्टि

विस्तार की दृष्टि - हमारा संगठन सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य

और सर्वकष हो।

सर्वव्यापी- अर्थात् भौगोलिक दृष्टि से प्रत्येक बूथ तक सशक्त इकाई बने। बूथ इकाई का विचार करते समय भी बूथ क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ले, नगलें, बस्ती आदि का विचार हो।

कमजोर प्रान्तों की, कमजोर जिलों की, कमजोर मंडलों की, कमजोर बूथों की स्वतंत्र योजना बनाई जाये।

सर्वस्पर्शी- इकाई का विचार करते समय समाज का प्रत्येक वर्ग हमारे कार्य से जुड़ें। वर्गों का विचार करते समय जन्म जाति (सामाजिक), आर्थिक, लिंग, शिक्षा और पूजा पद्धति आदि सभी प्रकार से विचार किया जाये।

- जो वर्ग आज अपने कार्य में नहीं है, उनका विशेष विचार हो, उसका नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास हो।
- सरकारें जहाँ हैं वहाँ शासन नियुक्ति आदि में भी इसका विचार हो।
- 'सबका साथ' इस शब्द को संगठन-विस्तार में सर्वस्पर्शी से जोड़कर देखा जाये।

सर्वग्राह्य- अपना संगठन समाज के सभी वर्गों को ग्रहण करने वाला बने तथा समाज भी उसको ग्रहण करे।

सर्वकष- सम्पूर्ण समाज को अपने अंक में ले लेना अर्थात् ऐसी स्थिति 'हम जैसा चाहे वैसा समाज करने लगे' यह आदर्श स्थिति आनी चाहिए।

आर्थिक- आर्थिक पारदर्शिता यह हमारे संगठन का वैशिष्ट्य है। संगठन चलाते समय संगठन आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी रहे।

- दैनन्दिनी संगठन संचालन के लिए आर्थिक संग्रह, शुचितापूर्ण हो। अपने संगठन के कार्यकर्ता एवं सहानुभूति रखने वाले लोगों का आर्थिक संग्रह का माध्यम बनाया जाये।

- आजीवन सहयोग निधि की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाये।
- संग्रह करते समय टोली के निश्चित लोगों को जानकारी रहे। शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था (रसीद आर कूपन) आदि का पालन किया जाये। आवश्यकता से अधिक धन-संग्रह के मोह में न फंसा जाये।
- खर्च करते समय समाज के मध्यम वर्ग को ध्यान में रख कर किया जाये।
- अधिक ऐश्वर्यपूर्ण व्यवस्था जहाँ हमारे स्वभाव को बिगाड़ती है, वही समाज का विश्वास भी कम करती है।
- समाज का दिया हुआ है ऐसा मानकर खर्च करना अच्छा रहेगा।
- आर्थिक आय-व्यय रखने की व्यवस्था हो। आर्थिक टोली के अन्दर उस पर बार-बार चर्चा हो।
- कार्यसमिति में आर्थिक विषय बताने की व्यवस्था हो।
- प्रतिवर्ष निश्चित समय पर सरकारी विभाग में ऑडिट कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
- कार्यालय में आर्थिक लेखा-जोखा उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा रखा जाये।
- प्रदेशों में होने वाले नेताओं के प्रवास, कार्यसमिति अथवा अन्य कार्यक्रम जिसमें संग्रह होता है, उनके हिसाब को भी प्रदेशों में लेने की व्यवस्था रहे। उसको भी कार्यक्रम संचालन टोली में रखा जाये।
- खर्च से पूर्व बजट, खर्च की संस्तुति देने निश्चित राशि तक कौन करेगा उसकी व्यवस्था रहे। ❍

7. कार्यकर्ता व्यक्तित्व विकास

- हमारी पार्टी 'कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है।' कार्यकर्ताओं का समुचित विकास ही स्वस्थ नेतृत्व की गारंटी है।
- सत्तावादी राजनीति कार्यकर्ताओं को परस्पर स्पर्धी बना देती है। इससे कार्यकर्ताओं के संस्कारों का क्षय एवं विचारों का वर्धन होता है। भाजपा का कार्यकर्ता परस्पर सहयोगी है, जिस महान् लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा संगठन बना है, उसे कार्यकर्ताओं की सामूहिकता एवं टीम भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- अतः कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, उदाहरण स्वरूप व्यवहार हो तथा उसे समाजशास्त्र व मनोविज्ञान की समुचित जानकारी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- कार्यकर्ता के विकास में दायित्व के निर्वहन की निर्णायक भूमिका होती है। इसलिये हर कार्यकर्ता के लिये संगठन में काम होना चाहिये तथा हर काम के लिये कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिये।
- पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना की बैठकें कार्यकर्ता की चिन्तन प्रक्रिया एवं निर्णय प्रक्रिया को चालना देती है। अतः हर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिये, इससे कार्यकर्ता में आत्मालोचना का भाव जगता है।
- हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं टीम का हिस्सा हो तथा कुछ न कुछ उसको स्वतंत्र दायित्व हो, इससे उसमें सामूहिकता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास होगा।
- हम 'जनसंगठन' हैं कार्यकर्ता को जनाभिमुख होने के पर्याप्त अवसर होने चाहिये। आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करना,

आंदोलनों को संचालित करना आदि।

- अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। कार्यकर्ता को अध्ययन के लिये प्रेरित करना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना जरूरी है। कार्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था कार्यकर्ता के विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- जिज्ञासा, सहिष्णुता, सामूहिकता एवं सक्रियता कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास की कुंजी है।

❍

8. संगठन-संरचना

भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पवित्र ऐतिहासिक कार्य में जुटकर पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक कार्य कर रहे हैं। हम सब को जोड़ने वाला सूत्र है भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठायें और भारत को परम वैभव को प्राप्त कराने का संकल्प और यह आत्मविश्वास भी कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। भाजपा की विचारधारा एक पंक्ति में कहना है तो वह है ''भारत माता की जय''। हमारा संकल्प देश के सभी नागरिकों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व समृद्धि की स्थापना। भारत देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद के विचारों पर आधारित सुशासन जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास है। पं. दीनदयाल जी प्रणीत एकात्म मानव दर्शन हमारा मूल सैद्धांतिक अधिष्ठान है।

पार्टी ने स्थापना काल (1951 एवं 1980) से ही देश सर्वोपरि की बात कही है। हमारी दृढ़ मान्यता है कि 'भारत एक जन और एक राष्ट्र' है। 1951 से ही पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने इन्हीं बातों के आधार पर और अपनी विशिष्ट कार्यपद्धति के आधार पर संपूर्ण देश में एक सुदृढ़, सशक्त और समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन खड़ा करने के अथक प्रयास किये, जिसके परिणामस्वरूप आज अनंतनाग से कन्याकुमारी एवं मणिपुर से द्वारका तक सभी को समाहित करने वाला एक बेजोड़ संगठन खड़ा हुआ दिखाई देता है।

आज जब केन्द्र में माननीय मोदीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार एवं 20 से अधिक प्रदेशों में हमारी एवं सहयोगी पार्टियों को लेकर राज्य सरकारें काम कर रही हैं, 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा सार्थक

करते हुए यह संगठन आगे बढ़ रहा है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर यह श्रेष्ठ संगठन खड़ा हुआ है उसके संरचना के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को हम समझें एवं मतदान केन्द्र इकाई से लेकर केन्द्र तक परस्पर अटूट आत्मीय संबंधों के आधार पर एवं अपने अंत्योदय के एजेंडे को लेकर संगठन खड़ा करें।

हमारी रचना को अगर हम ठीक से समझने का प्रयास करें तो केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला एवं मंडल और आगे शक्ति केन्द्र रचना और आखिरी छोर पर मतदान केन्द्र यूनिट, ऐसा रहता है।

स्थापना से लेकर लगभग 50-60 वर्षों तक का कालखंड भाजपा 'राष्ट्र प्रथम' पार्टी है और भाजपा देशभक्तों की पार्टी है, इस बात को जनमानस में हमने प्रमाणित कर दिया है। हमारे विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अभी का जो कालखंड जिसे राजग-I और राजग-II की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमें इसके आगे भाजपा यानी सर्वसमावेशी विकास, इस बात को प्रमाणित करने में अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। इस हेतु भी संरचना सुव्यवस्थित, स्थायी और मजबूत खड़ी हो, यह आवश्यक है।

इनमें प्रमुख रूप से कुछ बातों को हमें समझना होगा। मूल पार्टी की रचना के साथ-साथ पार्टी के 7 मोर्चे, विभिन्न विभाग, प्रकोष्ठ एवं अनेक आयाम को लेकर पार्टी केन्द्र से निचले स्तर तक कार्य कर रही है। आने वाले 25-50 वर्षों का विचार करते हुए नेतृत्व ने इन चीजों का संस्थागत करने का भी विचार किया है। जिसके अन्तर्गत प्रकल्प और विभागों की रचना, स्थायी कार्यालयों का निर्माण जो आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित रहेंगे एवं documentation (दस्तावेजीकरण)से लेकर सभी पहलुओं पर जोर दिया गया है।

ढांचा खड़ा करना और उसमें पद्धति को विकसित करना यह भी

उतना ही महत्त्वपूर्ण है। मोर्चे, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभाग कोई भी 'पूर्णतः आश्रित' नहीं है या 'पूर्णतः स्वतंत्र' नहीं हैं। परस्पर संवाद, समन्वय, नित्य नूतन विचारों के स्वागत के साथ नवीन प्रयोग करने का स्वभाव और पद्धति में लचीलापन भी बना रहे यह भी देखना होगा।

कार्यकर्ता आधारित संगठन खड़ा करने में एक-दो या उससे भी अधिक पीढ़ियाँ खप गईं हैं। अब समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें कार्यकर्ता विकास एवं कार्यकर्ता संभाल पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा।

यह सब करते समय संगठन का जो आत्मतत्त्व है - प्राणतत्त्व है जिसमें परस्पर विश्वास, परस्पर संवाद, भागीदारी और सम्हाल के साथ-साथ टोली में कार्य एवं 'हम' भावना की भी आवश्यकता है और भविष्य में भी रहेगी।

नीचे से ऊपर तक एक जीवंत और भविष्य को छूने वाला संगठन खड़ा हो। इसमें मार्गदर्शक तत्त्व पं. दीनदयाल जी ने जो कहा था कि 'जो बाहर से आने वाला है, पराया है (विचार हो या पद्धति हो या तकनीकी हो) उसे देशानुकूल करना होगा और जो हमारी देशी प्रतिभा पर आधारित विचार-रचना-दर्शन है उसे युगानुकूल करना होगा, ताकि यह सब करते हुए हम विश्व की प्रचलित दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। आधुनिक होना आवश्यक है पर आधुनिकीकरण का अर्थ पाश्चात्यीकरण नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे बूथ से लेकर केन्द्र तक अटूट विश्वास के आधार पर, वैचारिक प्रतिबद्धता वाला संगठन विश्व में एक अपना अलग स्थान भी निर्माण कर पायेगा और अपने मूल विचारों का योग्य शब्दावली में प्रतिपादन करते हुए विश्व को नेतृत्व करने की स्थिति देश और समाज रहेगा, इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। यह विश्वास निर्माण करने का प्रयास हो। ❍

9. सुशासन और भाजपा

1967 से किसी न किसी स्तर पर भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही है।

स्वाधीनता के पूर्व स्वराज और सुराज में प्राधान्य किसको, यह एक बहस का मुद्दा था। स्वाधीनता के बाद अब स्वाभाविकतया सुराज या सुशासन (Good governance) पर बल दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं।

यह नहीं हो पाने का एक कारण यह भी था कि स्वाधीनता के बाद सत्ता में आए शासकों ने देश की प्रगति और उसके लिए आवश्यक मार्ग यानी ROADMAP का चिंतन जितनी गहराई से करना आवश्यक था, उतनी गहराई से नहीं किया था। ब्रिटिश गए, गोरे शासक हटे और उनकी जगह देसी शासक आए, यह स्वाधीनता का सही मतलब न कभी था ना कभी माना गया। मगर वास्तविकता में नई भारतीय सोच के आधार पर नई नीतियाँ अपनाते हुए नई शासन प्रणाली हमें विकसित करनी चाहिए था, वह नहीं हो पाया।

स्वाधीनता के तुरंत पश्चात् कांग्रेस पार्टी में एक उद्देश्यहीनता का संकट छा गया। सत्ता में क्यों आना और आने के बाद क्या करना, इन मुद्दों के प्रति स्पष्टता का सम्पूर्ण अभाव रहा। जिसके चलते 'चुने तो मिनिस्टर, गिरे तो गवर्नर, नहीं तो वाइसचांसलर, कुछ नहीं तो सर्वोदय है ही' ऐसी अवस्था तक कई सारे पहुँचे।

इसी के समानांतर विश्व में जनतांत्रिक प्रणाली से जनकल्याण तो होगा ही, यह धारणा थी। मगर जब वह नहीं होते दिखायी दिया, तब एक ओर सरकार के विकल्प में गैर सरकारी संगठन पनपने लगे, तो दूसरी ओर अफसरशाही की चंगुल में फंसे जनतंत्र को बचाने के लिए

नई सैद्धांतिक बातें और सूत्र विकसित हुए। सुशासन यह ऐसा ही एक सूत्र विकसित हुआ।

सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक-राजनैतिक इकाई; जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे। सुशासन के अन्तर्गत बहुत सी चीजें आती हैं जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबन्धन, कानून का शासन, सदाचार आदि।

इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी या सम्पूर्ण अभाव, जंगलराज, लोगों की कम भागीदारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि दु:शासन के लक्षण हैं।

सुशासन के प्रमुख तत्त्व

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित आठ विशेषताएँ होती हैं.

1. विधि का शासन (Rule of Law)
2. समानता एवं समावेशन (Equity and Inclusiveness)
3. भागीदारी (Participation)
4. अनुक्रियता (Responsiveness)
5. बहुमतैक्य (Consensus Oriented)
6. प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency)
7. पारदर्शिता (Transparency)
8. उत्तरदायित्व (Accountability)
9. निष्पक्ष आकलन

मगर संयुक्त राष्ट्र संघ की व्याख्या में जिसका जिक्र नहीं हैं, ऐसा एक बिंदु है और वह है शासन में बैठे लोगों की प्रेरणा और उसकी नींव में विचारधारा का महत्त्व।

भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में और केंद्र में भी सत्ता में हैं। हमारी विचारधारा के कारण हमारे शासन नीतियों में हम अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ते हैं और इसी पहचान के कारण भी लोग हमें घिसी-पिटी शासन व्यवस्था देने वाली पार्टियों से अलग, सुशासन देने वाली पार्टी मानते रहते हैं।

शासन व्यवस्था 'मेरा क्या', वहीं से शुरू हो और अगर मेरा स्वार्थ सिद्धि न हो तो 'मुझे क्या', तुम जानों तुम्हारा काम जानें। इस स्थिति ने देश को तबाह किया है और भाजपा इसे बदलना चाहती है।

भाजपा की सोच यह कभी नहीं रही कि जब और जिससे राजनीतिक लाभ हो तभी निर्णय करना चाहिए और अगर राजनीतिक लाभ न हो तो निर्णय ही नहीं करना चाहिए। हम जब राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह भी हैं कि हमें शासन-तंत्र को लोकलुभावन वादों और जनप्रियता की चंगुल से मुक्त करना भी हैं और मुक्त रखना भी है।

जहाँ-जहाँ पर शासन में सुधार शुरू होता है, शासन व्यवस्था में सुधार शुरू होता है, सरकार जिम्मादार बनती है। मुलाजिम उत्तरदायी बनते हैं। पूरी व्यवस्थाएँ प्रशासन उत्तरदायी होता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासन काल में सुशासन पर बल दिया। देश को जोड़ने पर बल दिया। आज एक योजना पूरे देश में किसी भी सांसद को मिलिए, किसी भी सांसद को मिलिए, एक चीज को जरूर आग्रह होनी चाहिए और वो है 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।'

इस देश में उन बातों को भूला देने का भरसक प्रयास हुआ है कि आखिरकार गाँव-गाँव सड़क पहुँचाने का यह सपना किसका था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि यह सपना अटल बिहारी वाजपेयी का था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर किसी ने लागू तो अटल बिहारी वाजपेयी ने और उसके कारण आज हिन्दुस्तान का हर गाँव पक्की

सड़क से जुड़ रहा है और जबसे हम आए हैं हम बीड़ा उठाया है कि 2019 तक हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ कर वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया था उसको पूर्णता की ओर ले जाना।

स्वर्णिम चतुर्भुज पूरे हिन्दुस्तान को जोड़ने का काम था। किसी समय रास्ते बनाने के लिए इतिहास में हम शेरशाह सूरी का नाम सुनते आए थे। उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान को जोड़ने का एक ही कल्पना का एक ही खाका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का सपना वाजपेयी जी ने देखा, और अपने ही कार्यकाल में बहुत बड़े स्तर में उसको गति भी दे दी। आज देश को नई संपर्क-रचना, उसे देखकर लगता है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम अब दुनिया की बराबरी कर रहे हैं।

भारत के महानगरों में मेट्रो युग लाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता हैं। आज हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। 50 से अधिक शहरों में बहुत ही जल्द मेट्रो का नेटवर्क और दुनिया को भी आश्चर्य हो रहा है कि एक देश में मेट्रो नेटवर्क के लिए इतनी बड़ी मात्रा में काम चल रहा है और विश्व में पूंजी निवेश करने वाले इसमें रुचि लगा रहे हैं।

हमारे देश में फैला हुआ कानूनों का जाल ये सुशासन की सबसे बड़ी रुकावट है। एक ही काम के लिए आपको तीन कानून मिल जाएंगे, अगर अफसर करना चाहता है तो एक निकालेगा, लटकाना चाहता है तो दूसरा कानून निकाला और अगर फटकाना चाहता है तो तीसरा निकालेगा। आम लोगों को इससे समस्याएँ होती हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली हमरी सरकार ने अब तक करीब-करीब 1,200 कानून खत्म कर दिए हैं।

हमारे देश में आज विश्व व्यापार का युग है। समुद्री तट का, हमारों बंदरगाहों का महत्त्व है। हमारे यहाँ कार्गो हैण्डिलंग नकरात्मक था। Growth हो नहीं रहा था जो था उससे भी पीछे जा रहे थे। हमारे आने

के बाद दुनिया नहीं बदली है, हम बदले हैं, सरकार बदली है, इरादे बदले हैं सुशासन पर बल दिया है और आज उसी कार्गो का हैण्डलिंग का नकरात्मक दर था वो आज केंद्र की भाजपा सरकार ने 11 प्रतशित सकरात्मक विकास में तब्दील किया, क्योंकि हमने सुशासन के सूत्र अपनाए हैं।

अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली शक्ति, परियोजना, परमाणु शक्ति परियोजना इन सारे क्षेत्रों में आज हम सक्रियता से काम कर रहे हैं। पहले की तुलना में अक्षय ऊर्जा की क्षमता भाजपा सरकार ने दुगुनी कर दी है। यह भी सुशासन का उदाहरण है।

पहले जब सरकार थी अगर आप एल.ई.डी. का बल्ब लेने जाएं, जिससे बिजली के खर्च में बचत होती है। भाजपा सरकार आने के पहले 2013-14 में एल.ई.डी. का बल्ब साढ़े तीन साल पहले साढ़े तीन सौ रुपये में बिकता था। आज 50-40 रुपये में बिकता है। 28 करोड़ एल. ई.डी. बल्ब आज इस देश में पहुँचे 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, जिसके घर में एल.ई.डी. का बल्ब लगा है। उनकी बचत हुई किसी 200 किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 2000, इतना ही नहीं करीब छः हजार करोड़ रूपया एल.ई.डी. बल्ब की कीमत कम होने से मध्यम वर्ग के परिवार की जेब में बचे हैं। अगर सुशासन होता है तो कैसे बदलाव आता है। इसका एक जीता-जागता उदाहरण है।

सुशासन होता है तो निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम तय होता है। नीति के आधार पर देश चलता है। किसी के मनमर्जी पर नहीं चलता है। नीति स्पष्ट में होती है और उसके कारण भेदभाव का कोई अवकाश नहीं रहता है और जब भेदभाव के अवकाश नहीं रहता है तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं।

सुशासन के माध्यम से सुशासन के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की तपस्या से प्रेरणा लेते हुए देश को नई ऊँचाइयों

पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 'सबका साथ-सबका विकास' इसी मंत्र को लेकर आगे चल रहे हैं और हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सबका साथ-सबका विकास-सबकी भागीदारी के साथ मंत्र से जुड़ा हुआ हो, विकास आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर के होना चाहिए और इसलिए हम विकासशील सुशासन उस पर बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से देश के हर कोने को जोड़ने का काम किया, संपर्क-रचना का काम किया, मार्ग बनाने का काम किया अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुशासन के संदर्भ में अगर एक वाक्य में उनकी पहचान करानी होगी तो कहा जाना चाहिए भारत मार्ग विधाता। अटल बिहारी वाजपेयी भारत मार्ग विधाता। रास्तों की दुनिया को नई ऊँचाई पर ले जाना, लोगों को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के माध्यम से हुआ था। ❍

10. संगठन एवं सत्ता में समन्वय

किसी भी राजनैतिक दल का लक्ष्य है – जन कल्याण व राष्ट्र की सुरक्षा व सम्मान। इस हेतु शासन सूत्र हाथ में लेना, निर्वाचन में जीत कर आना, निर्वाचन में जीत हेतु स्थानीय से लेकर जिला, प्रांत, राष्ट्र स्तर तक नेतृत्व विकसित करना, साथ ही जनता तक स्थाई सम्पर्क व उनकी समस्याओं के समाधान व सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु कैडर खड़ा करना, यह संगठन का कार्य है। चुनाव में अंतिम संघर्ष बूथ पर होता है। अतः बूथ स्तर तक कैडर खड़ा करना।

हम सब खुद को संगठन का कार्यकर्ता मानते हैं, कितने ही बड़े पद पर क्यों न हों। हमारे संगठन की प्रकृति 'पारिवारिक' है।

कैडर की सक्रियता हेतु लगातार सम्पर्क व कार्यक्रम। कैडर का प्रभाव निर्माण होने हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा उसे ताकत देना। उसके Feedback को महत्त्व देना, उसे केन्द्र बिन्दु बनाना। यहीं से समन्वय का प्रयास प्रारम्भ होता है।

विचार, संगठन, सरकार, लोक कल्याण

लोक कल्याण सरकार के द्वारा, सरकार संगठन के द्वारा तथा संगठन विचारों से अनुप्राणित होकर। सरकार भी दल की विचारधारा व घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह होती है।

संसदीय लोकतंत्र में सरकार यानी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बहुमत की, यानी दल की सरकार होती है। जब सरकार कहा जाता है तो केन्द्र व प्रदेश की सरकार ही ध्यान में रहती है। वैसे तो पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगरपालिका, नगर निगम आदि भी स्थानीय सरकारें ही हैं। लोकसभा एवं विधानसभा देश व प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। स्थानीय शासन व्यक्ति की रोजमर्रा की आवश्यकताओं

(मूलभूत सुविधाओं) की पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देता है।

सरकार के निर्णयों में प्रतिपुष्टि (Feedback) का बड़ा महत्त्व है। इसी तरह कार्यान्वयन में जन सहभागिता का महत्त्व है।

ये दोनों ही बातें संगठन के माध्यम से आसानी से सम्भव हैं। संगठन व सरकार एक दूसरे के पूरक हैं न कि प्रतिद्वंद्वी। पूरक रहने से दोनों पुष्ट होते है। प्रतिद्वंद्वी होने पर दोनों समस्याग्रस्त एवं कमजोर हो जाते हैं।

इनमें समन्वय के लिए आवश्यक है अपेक्षित एवं परस्पर संवाद तथा परस्पर संबंध:-

संवाद : संगठन के तथा सरकार के पदाधिकारियों में संवाद। यह संवाद सामूहिक व औपचारिक भी हो सकता है तथा अनौपचारिक भी। अनौपचारिक संवाद ज्यादा प्रभावी होता है। संवाद से परस्पर पूरकता एवं परस्परावलंबिता का विकास होता है।

संबंध - परस्परानुकूल संबंधों का विकास करना चाहिये।

(दोनों ओर से पहल, संबंध निरंतर बने रहें। किसी 1-2 छोटी बातों पर संवाद छूटे नहीं तथा संबंध टूटे नहीं।)

पूर्वग्रह से बचें, स्थाई पूर्वग्रह तो कतई न हो, आपस में विश्वास होना चाहिये, कान के कच्चे नहीं होना चाहिये लेकिन अति विश्वासी (आस-पास रहने वालों के संबंध में) भी नहीं होना। सबकी पूरी बात सुनकर विवेक से निर्णय करना चाहिये। जो बात कान पर आयी है उसकी छानबीन कर लेना चाहिये।

संगठन के कार्यकर्ता का फोन सुनने - उसी दिन उत्तर देने, मिलने आने पर समय देने, स्टाफ में एक संगठन समझने वाला कार्यकर्ता नियुक्त होने पर अच्छा रहता है। अपने निजी स्टाफ का संगठन संबंधित प्रशिक्षण, सहयोग - मंत्रियों के कार्यालय पर समय देना, संगठन द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्य को पूर्ण कराना। समय-समय पर जिले में संगठन की योजना से प्रवास करने से संवाद एवं सम्बंधों में सहजता रहती है।

जनप्रतिनिधि निर्णय लेते समय संगठन के प्रमुख लोगों को विश्वास में लें (विकास की योजनाएं, कोई परियोजना, सांसद-विधायक निधि आदि।) संगठन भी निर्णय लेते समय जन प्रतिनिधियों का भरोसे में लें। विश्वास बढाने में जानकारियों का आदान-प्रदान (Sharing) महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

जन प्रतिनिधि को दोबारा भी चुनकर आना होता है। संगठन प्रतिकूल हो गया तो पुनः टिकट मिलने में भी समस्या तथा सबको काम में लगाने में भी समस्या। एक बड़ा वर्ग विचार के आधार पर कार्य करता है। किन्तु हर एक का मन इतना बड़ा हो यह आवश्यक नहीं। 5 वर्षों में जन प्रतिनिधि का व्यवहार, सोच, शैली, क्या रही, इसी आधार पर जनता व कार्यकर्ता सहयोगी होते हैं।

कई बार जन प्रतिनिधि को यह भ्रम रहता है कि 5 वर्ष मैंने बहुत कार्य किया है, अपने लोग खड़े किए है। संगठन की ताकत का अहसास नहीं होता है। संगठन की ताकत संख्या में भी होती है, उसका नैतिक बल भी होता है। किसी भी विषय का वातावरण निर्माण करने में संगठन के कार्यकर्ताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

समन्वय व्यवस्था भी है और प्रवृत्ति भी

मन में सकारात्मक सोच रखते हुए एक दूसरे का सहयोग लेने व देने की प्रवृत्ति रहे समन्वय के विभिन्न स्तर हैं। श्रेणी के अनुसार नियमित बैठने का क्रम बनाना चाहिये -

मुख्यमंत्री - मंत्रीमंडल - विधायक
सांसद -विधायक - स्थानीय निकाय
सांसद - विधायक - स्थानीय प्रशासन
सांसद - विधायक - स्थानीय संगठन
सांसद - विधायक - अन्य वैचारिक संगठन
स्थानीय संगठन - वैचारिक संगठन

जिला - मंडल - विधानसभा की टोली - निचली इकाई का

कार्यकर्ता आपस की असहमतियों या कमियों को लम्बा नहीं खिंचने देना चाहिये। यथासमय शीघ्र समाधान की ओर जाना ठीक रहता है। समय सब ठीक कर देगा, यह युक्ति हर जगह लागू नहीं हो सकती। इसमें से समस्या समाधान के दायित्व से भागने का भाव परिलक्षित होता है।

कठिनाइयाँ –

- मन में ही समन्वय का भाव नहीं बन पाता।
- जल्दी प्रभावित होने का स्वभाव।
- जल्दी टिप्पणी करने का स्वभाव।
- अपने को ही ठीक समझना (I am always right) वास्तव में 'मैं गलत भी हो सकता हूं' (I may be wrong) का भाव भी रहना चाहिये।
- अहं की टकराहट
- व्यक्तियों को लेकर पूर्वाग्रह
- बोलने की शैली (मैं तो 'स्पष्ट' कहता हूँ, दूसरे का 'स्पष्ट' अच्छा नहीं लगता)।
- सभी सूचनाएं अपनी ही जेब में रखना।

संगठन व सरकार, समन्वय (मेल जोल) के साथ चलते है तो कार्य भी ठीक चलता है, कार्य करने में आनंद भी आता हैं, लक्ष्य पूर्ति में सहायता मिलती है, जिससे मन का समाधान होता है। मन के समाधान से सर्व दूर प्रसन्नता का वातावरण बनता है, सकारात्मकता रहती है तथा सभी की दिशा व गति ठीक रहती है।

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।

लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा?

नोट : उदाहरण, कथानक आदि स्थानीय आवश्यकता के साथ जोड़े जा सकते हैं।

❍

11. देश के समक्ष चुनौतियाँ

देश के सामने कई गम्भीर चुनौतियाँ हैं जिसमें कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक बाहरी चुनौतियाँ पड़ोसी देशों से ज्यादा है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से चीन बड़ी चुनौतियाँ पेश कर रहा है तो हमारी एकता, अखंडता एवं अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान लगातार चोट कर रहा है।

पड़ोस के देशों से अवैध घुसपैठ भी हमारी राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। यूरोप में जिस तरह से शरणार्थी के नाम पर तेजी से घुसपैठ हो रहा है, उससे भारत को सबक लेते हुए संभल जाना चाहिए। ऐसा कुछ देश या आतंकवादी संगठन जान बूझ कर सकते हैं ताकि हमारी जनसंख्या संतुलन बिगड़े और वे अलगाववाद को हवा दें। बंगाल की सीमा से लगे असम के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में आ रही नकली मुद्रा भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों की सहायता से चलाए जा रहे हवाला रैकेट के प्रति भी सावधान रहना होगा। हाल ही में देशव्यापी छापों से यह रहस्य खुला कि देश के दुश्मन हवाला काराबारियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये यहाँ से भेज रहे हैं। आतंकवादी समूहों, हवाला का कारोबारियों और कुछ देश विरोधी गैर सरकारी संगठनों के बीच साँठ–गाँठ के सबूत सामने आए हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की साजिश है।

साइबर आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बढ़ गया है। आज दुनिया उसी की मुट्ठी में है, जो पूरी तरह से वायु तंरगों पर नियंत्रण रखता है। चीन और अमरीका लगातार सेटेलाइट आधारित ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं जिनके जरिए दूसरे देशों की हर गतिविधि पर

नजर रखी जा सकती है। भारत को अमरीका से कम चीन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन हाल के वर्षों में कई बार हमारे वेबसाइट को हैक कर चुका है। चीन की आईटी कंपनियों पर अमरीका और यूरोप की जासूसी करने का भी आरोप लग चुका है। आने वाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी को भी एक दूसरे पर हावी होने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवाद संगठन, उनके आत्मघाती दस्ते और आतंकवाद के खड़े होते नये प्रारूप भी हमारे लिए खतरे की घंटी हैं।

देश में स्थाई विकास की योजना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि का सही प्रबंधन करें। बिना किसी योजना या राजनीतिक कारणों से यदि हम जनसंख्या को यूँ ही नजरंदाज तो एक दिन स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देश में युद्ध की स्थिति बन जाएगी।

बाहरी चुनौतियाँ

- चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद है और ये दोनों पड़ोसी देश हमारे लिए सीमा व घरेलू मोर्चों पर परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं।
- चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और इन दोनों ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से आपस में गहरे राजनयिक संबध स्थापित कर लिए हैं।
- दोनों में से कोई भी देश पहले परमाणु अस्त्र के इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा करने को तैयार नहीं है, जबकि भारत इसके लिए वचनबद्ध है।
- पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा

रहे सैकड़ों आतंकवादी मॉडल सक्रिय हैं। पूरा विश्व आज जान चुका है पाकिस्तान आतंकवादियों को उद्गम स्थल है और यहाँ से पूरी दुनिया में आतंकियों को भेज रहा है। भारतीय सीमा के आस-पास आज भी पाकिस्तान आतंकवादी कैंप चला रहा है। वह दाउद इब्राहिम और टाइगर मेनन जैसे भारत विरोधी आतंकवादियों को न सिर्फ अपने यहाँ पनाह दे रहा है, बल्कि वह शांति प्रक्रिया के लिए हुए हर तरह के समझौते से मुकर जा रहा है।

- पाक प्रायोजित आतंकवाद मॉडयूल पर सतर्कता बरतने, 26/11 हमले के गुनहगारों को भारत लाने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी कई चुनौतियों के कारण भारत को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारा राष्ट्रीय संपत्ति यूँ ही जाया हो रही है।
- भारत द्वारा पाकिस्तान को लगातार आर्थिक सहयोग देने और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान कभी भारत को यह दर्जा नहीं देता, जिसके कारण भारत का व्यापार बाधित होता है।
- चीन के साथ हमारा सीमा विवाद काफी समय से चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि चीन इसे हल करने का इच्छुक ही नहीं है। यद्यपि 1962 के बाद भारत चीन सीमा पर कभी कोई गोली बारी नहीं हुई और ना ही कोई विशेष तनाव ही फैला, उसके बावजूद चीन लगातर हथियारों का जखीरा भारतीय सीमा पर इकट्ठा कर रहा है और हमेशा हमारे विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए हुए है। अभी हाल ही में लखवी के मामले में यूएनए में आए प्रस्ताव पर चीन ने पाकिस्तान का ही साथ दिया।
- यद्यपि भारत ने चीन के साथ हमेशा आर्थिक सहयोग की भावना रखी, लेकिन चीन लगातार हमारी आर्थिक हितों को अनदेखा करता

रहा, राजनयिक स्तर पर भी और हिंद महासागर के एक देश के रूप में भी।

- चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और भारत के सामुद्रिक हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह हमारे लिए एक और बड़ी चिंता की बात है।
- चीन सीमा पर सड़कों को जाल बिछा कर एक तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका को मदद कर रहा है। इससे हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती मिल रही है।
- जबसे केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भारत सोची-समझी रणनीति के तहत नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इन देशों की यात्रा से एक उचित वातावरण भारत के पक्ष में बना है। भारत अब चीन और पाकिस्तान द्वारा संभावित खतरे से निबटने के लिए अपनी सुरखा और खुफिया स्रोतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम असरदार तरीके से उठा रहा है।

आंतरिक चुनौतियाँ

माओवाद

- पाकिस्तान और चीन से लगातार सहायता प्राप्त कर रहे माओवादी भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।
- माओवादियों द्वारा की गई हिंसा के कारण अब तक हजारों सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। भारत के लगभग 200 जिलों में फैले अतिवामपंथी विचारधारा के इन अतिवादियों के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है।
- ये माओवादी अब पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों के साथ

सांठ-गांठ कर साझा हमले की कोशिश कर रहे हैं।

- पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी संगठन म्यांमार और बांग्लादेश के अपने गुप्त ठिकाने से भारत विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं और उग्रवादी हमले का संचालन कर रहे हैं।
- जबरन धर्मांतरण।
- धन और बल के सहारे मसीही और जिहादी गतिविधियों चलाकर देश की जनसांख्यिकी ढांचे को बिगाड़ने का षड्यंत्र भारत में कई वर्षों से चल रहा है। यह हमारे लिए एक गंभीर आंतरिक खतरा है।
- धर्मांतरण के खेल में देश के बाहर की एजेंसियाँ भी लगी हैं, जो मुक्त हाथ से धन का और गुंडों का प्रयोग कर रही हैं।
- जबरिया धर्मांतरण एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे हमारा भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है।
- धर्मांतरण हमारे यहाँ राजनैतिक रूप से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत की कई राजनैतिक पार्टियाँ या तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर खामोश समर्थन दे रही हैं।
- हमारे कई राज्यों में धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ है कि वहाँ की जनसांख्यिकी ढांचा पूरी तरह बदल गया है। ऐसे राज्यों के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है जो कभी भी फट सकता है।

गैर सरकारी संगठनों का जाल

- भारत में हजारों ऐसे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सक्रिय हैं जिन्हें विदेशों से इस बात के लिए ही पैसा मिलता है कि वह यहाँ के माहौल को बिगाड़े, आर्थिक प्रगति में बाधा पहुँचाएं और खासकर वनवासी क्षेत्रों के लोगों को गुमराह करें।
- केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस मामले में एक कठोर निर्णय लेते हुए अनेक एनजीओं को न सिर्फ काली सूची में डाला

बल्कि यह भी निश्चित किया कि विदेशों से जिन एनजीओं को पैसे मिलते हैं उनके कामकाज पर गहरी नजर भी रखी जाए।

- इसके पहले कई ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने देश की विकास परियोजनाओं को ही बाधित करने की चेष्टा की, उनमें वनवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण नहर निर्माण और खनिज संपदा तक पहुँचने का काम भी शामिल था। कोदई कोनाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं का विरोध इसका ताजा उदाहरण है।

आर्थिक चुनौतियाँ

- वर्ष 2015 का सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी किस तरह से गरीबी की जिंदगी जीने को विवश है।
- 60 साल के कांग्रेस के शासन में 60 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी बदहाली की स्थिति में है।
- देश की लगभग 75 फीसदी आबादी की मासिक आय 5000 रुपये से भी कम है।
- 30 फीसदी आबादी के लिए आज भी खेती ही एकमात्र जीविका का साधन है।
- परंतु 56 फीसदी ग्रामीण आबादी के पास आज भी कोई भूमि नहीं है।
- लाखों लोग भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं।
- 13 फीसदी से अधिक लोग आज भी कच्चे मकान में रहते हैं।
- 11 करोड़ लोग फटेहाली की स्थिति में हैं।
- अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे।
- भारत में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक

है।

- प्रसव के दौरान मृत्यु की दर भी भारत में काफी अधिक है जो यह बताती है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ अभी भी नहीं पहुँच रही हैं।
- भ्रूण हत्या एवं शिशु मृत्यु के कारण लैंगिक औसत में बालिकाओं की संख्या कम होती जा रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह औसत खतरनाक स्थिति तक पहुँच गई है।
- इस लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए भाजपा ने 'बेटी बचाओ 'बेटी पढ़ाओ' का अभियान चलाया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई हैं।
- हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है।
- वैश्वीकरण के नाम पर भारत के उद्योगों और यहाँ की परंपरा व संस्कृति को दांव पर लगाया जा रहा है।
- भारत को विदेशी सामानों का गोदाम बनाने के कारण हमारे परंपरागत उद्योग व लघु उद्योग खतरे में पड़ गए हैं।
- परंपरागत रूप से भारत के दस कुशल समुदाय जिन्हें हम सामूहिक रूप से विश्वकर्मा कहते थे और जिनमें बढ़ई, बुनकर, सुनार, लुहार, कुम्हार, चर्मकार, निर्माण मिस्त्री और ठठेरा कहते थे, उनके हाथ से काम छिन रहे हैं और अब वे किसी और रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए हैं। आवश्यकता है कि फिर से इन्हें प्रशिक्षित किया जाए और भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाए।

सामाजिक मुद्दे

- भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए क्लीन इंडिया मिशन की शुरूआत की है।
- स्वच्छता के जरिए कई जानलेवा बीमारियों से हम बच सकते हैं।
- गंगा सफाई योजना हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
- इस अभियान को देश की अन्य नदियों से जोड़ने की जरूरत है।
- हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों को अतिक्रमण और गंदगी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व के भवनों और स्थलों की सुरक्षा के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ जल पीने के लिए मुहैया हो।
- हर घर बिजली और स्वच्छ पानी भाजपा सरकारों का लक्ष्य हो।
- देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना भी भाजपा का लक्ष्य है।
- समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं हो सकता बल्कि इस पर असरदार तरीके से अमल और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। ❍

12. विदेश नीति

विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय हित की विषय वस्तु में बदलाव हो सकता है और किसी परिस्थिति विशेष में राष्ट्रीय हित क्या है, उस पर दो राय हो सकती है। हालांकि, विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने स्वयं के हित को आगे बढ़ाना होता है।

हमारा राष्ट्रीय हित हमारी जरूरतों और आकांक्षाओं का कुल योग है। हम 'जीयो और जीने दो' की समृद्ध परंपरा के वाहक हैं और हम जाति या धर्म के आधार पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और भेदभाव के सभी रूपों का विरोध करते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

शीत युद्ध के दौरान हमारा मानना था कि भारत का स्वहित विश्व की दो प्रमुख शक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी एक के साथ दिखने की बजाए गुटनिरपेक्ष रहने में है, लेकिन इसे किसी खास परिस्थिति के लिए ही बेहतर नीति समझा गया, यह कभी भी अविच्छेद्य हठधर्मिता या पंथ नहीं रहा।

1963 में हमने दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के देशों के साथ संबंधों को प्रभावी बनाने के लिए सुनियोजित प्रयास करने की मांग की। फिर से 1965 में, हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक जुड़ाव के महत्त्व पर बल दिया। हमारा मानना है कि ये संबंध आर्थिक और राजनीतिक समझौतों से कहीं अधिक बाध्यकारी और स्थायी होते हैं और इसलिए हमने जोर देकर कहा कि हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं।

1971 के युद्ध से पहले हमने पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना के

अत्याचारों की निंदा की और मांग की कि भारत सरकार को स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए विचार करना चाहिए। हम 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तान के साथ भारत के नरम रवैया के खिलाफ और युद्ध के बाद शिमला में बातचीत के दौरान सरकार को बार-बार चेताते रहे। शिमला समझौते के बाद 1972 में ही हमने समझौते को अक्षरशः और भावना से पालन करने में पाकिस्तान की ईमानदारी पर सवाल उठाया था।

हमने लगातार अरब हितों का समर्थन के साथ ही इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की भी मांग की।

हम मानते हैं कि वर्तमान बहुध्रुवीय दुनिया हमारे लिए अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के साथ ही समग्र शांति और स्थिरता के लिए विभिन्न देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग और गठजोड़ विकसित करने में सहायक है। इस संदर्भ में हमारी विदेश नीति के पाँच स्तंभों को समझना महत्त्वपूर्ण है।

वर्तमान परिदृश्य

हम मानते हैं कि हमारी विदेश नीति, हमारे भू-राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों के साथ सामंजस्य बैठाने वाली और इसी के साथ यह हमारे सांस्कृतिक संबंधों, हमारे सॉफ्ट पावर (योग, भारतीय डायस्पोरा आदि) और आपसी सहयोग तथा शोषण के बजाय एक साथ बढ़ने की इच्छा जैसे मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।

2015 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी ने विदेश नीति पर एक महत्त्वपूर्ण संकल्प को अपनाया था। यह हमारी विदेश नीति के पाँच स्तंभों को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार हैं- सम्मान अर्थात् गरिमा और प्रतिष्ठा, संवाद - अर्थात् अधिक से अधिक मेलजोल और बातचीत, समृद्धि अर्थात् साझी उन्नति, सुरक्षा अर्थात् क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता अर्थात् सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत संबंध।

सम्मान - गरिमा और प्रतिष्ठा

संप्रग (यूपीए) के 10 वर्षों के शासन के दौरान, वैश्विक परिदृश्य पर भारत के कद का काफी क्षरण हुआ। उस दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर कई गलतियाँ सामने आईं। उदाहरण के लिए, शर्म अल शेख, मिस्र में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। उस बयान में दो सबसे महत्त्वपूर्ण कमियां सामने आई थीं। भारत-पाक संबंधों में पाकिस्तान जनित आतंकवाद के उभरने के बाद से पहली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत-पाक समग्र संवाद को आतंकवाद से अलग किया था। यह उल्लेखनीय है कि भारत में मुंबई हमलों के बाद से भारत का लगातार यह रुख था कि जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देता है, तब तक उसके साथ कोई समग्र संवाद संभव नहीं होगा। इस नीति के बिल्कुल उलट जाते हुए संयुक्त बयान में कहा गया, ''दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया कि केवल बातचीत ही आगे का रास्ता है। आतंकवाद पर कार्रवाई को समग्र वार्ता प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसे कोष्ठकों में बंद नहीं किया जाना चाहिए।'' प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ''भारत पाकिस्तान के साथ लंबित मुद्दों सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।''

उसी बयान में दूसरी बड़ी भूल, भारत-पाक वार्ता में बलूचिस्तान में अलगाववाद के मुद्दे को शामिल करना था। पाक हमेशा से भारत पर बलूचिस्तान में अलगाववाद का समर्थन करने का आरोप मढ़ता आया है, जिसका भारत खंडन करता रहा है। लेकिन संयुक्त बयान में इस मुद्दे का उल्लेख करने से पाकिस्तान को अपने इन आधारहीन आरोपों पर भारत की ओर से स्वीकृति मिलने के रूप में रखने का अवसर मिल गया। इस पृष्ठभूमि में यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान,

रूस और चीन जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ हमारे संबंधों को भाजपा सरकार के दौरान जबरदस्त बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की इन बड़ी शक्तियों के अधिकांश के नेताओं के साथ व्यक्तिगत तालमेल, एक शक्तिशाली परिदृश्य की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक सिद्ध हुई है। वार्ता की गहराई और सीमा ने मतभेदों को मिटाने, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर हमारी स्थिति की स्वीकार्यता, और समाधान की दिशा में एक साथ काम करने के लिए परिणामकारी संकल्प का एक नया वातावरण तैयार किया है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक प्रमुख आर्थिक ताकत होने और वैश्विक संघर्ष में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका के लिए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होने का हकदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की भारत की मांग को हमारी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न पहलों के कारण नई रफ्तार मिली है।

संवाद - अधिक से अधिक मेलजोल और बातचीत

संप्रग (यूपीए) शासन के दौरान कई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों को नजरअंदाज कर दिया गया था। कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों, प्रशांत छोर के कई देशों और नेपाल, म्यांमार, आदि जैसे पड़ोसी देशों के साथ कई दशकों से कोई द्विपक्षीय शिखर बैठक आयोजित नहीं हुई थी। इन देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सफल दौरों को धन्यवाद देना चाहिए कि वैश्विक मंच पर भारत की न्यायपूर्ण स्थिति और गौरव पुनः स्थापित हुई है। इन यात्राओं के दौरान बड़े सामरिक महत्त्व के कई दीर्घकालिक समझौतों हस्ताक्षर किए गए।

अफ्रीकी देशों के साथ संबंध भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 26 अक्टूबर,

2015 को आयोजित हुए इस चार दिवसीय भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 40 देशों के राज्य और सरकार तथा शक्तिशाली अफ्रीकी संघ के प्रमुख भी शामिल हुए थे।

चीन के विपरीत, अफ्रीका के साथ हमारे संबंध केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। हम 'एक साथ बढ़ने' के साझा भविष्य में विश्वास करते हैं। इसलिए हम अफ्रीका में क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और संस्थानों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, हम चाहते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र अफ्रीका में निवेश करे और उनके विकास की कहानी का एक हिस्सा बने। इसके अलावा, अफ्रीकी देशों में तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध भंडार हैं, जिसका उन देशों के साथ साझेदारी में भारत द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अफ्रीकी देश कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, स्वच्छता और कानून के शासन की स्थापना जैसे कई मानवीय मुद्दों का सामना कर रहे हैं। भारत लगातार समय-समय पर इन देशों को सहायता प्रदान करता आया है।

चीन के साथ हमारे संबंधों में और अधिक गहराई और मजबूती आई है। हमारे प्रधानमंत्री ने सीमा उल्लंघन और व्यापार घाटे की चिंताओं सहित चीन के साथ सभी लंबित मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर ठंडे बस्ते में पड़े संघर्ष के मुद्दों को हल करने का एक सुस्पष्ट लेकिन व्यवहारिक रूप से गंभीर प्रयास किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली की अत्यधिक सफल यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की चीन की पारस्परिक यात्रा ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।

समृद्धि - साझी उन्नति

चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने, यूरोप और पश्चिमी

दुनिया में विकास की कमी और मध्य-पूर्व में निरंतर संघर्ष से वैश्विक आर्थिक स्थिति संकट में है। इस पृष्ठभूमि पर भारत लगातार एक दुर्लभ उज्ज्वल स्थान है। हमने पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, आदि क्षेत्रों में अपनी नेतृत्व की स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री मोदीजी की नई पहल, ''मेक इन इंडिया'' भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने पर लक्षित है, जिसमें लागत प्रभावी तरीके से गुणवत्ता विनिर्माण की नई लहर पैदा करने की संभावना है। हाल ही में ताइवान के विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन की महाराष्ट्र में 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की नवीनतम घोषणा का इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

हमारा देश दुनिया में सबसे लंबे समुद्र तटों वाले देशों में से एक है, लेकिन हम अभी तक अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए हैं। बंदरगाहों का विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक विकास कर हम समुद्री अर्थव्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। यह हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है जो बड़े लाभांश का भुगतान कर रहा है। जापान ने पहले से ही 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और चीन ने 25 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। हमारा विश्वास है कि एक्ट ईस्ट नीति, जिसका प्रशांत छोर के देशों के साथ गठजोड़ एक अभिन्न हिस्सा है, हमारे आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा का प्रमुख तत्त्व है।

सुरक्षा - क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा

भारत विरोधी गतिविधियों को पाकिस्तान अपनी जमीन पर लगातार सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ के निरंतर प्रयास को हम सभी देख रहे हैं। हमारे हमेशा सतर्क रहने वाले सुरक्षा एजेंसियों और ऐसे मामलों में हमारी सरकार की ठोस पहल का धन्यवाद करना चाहिए कि देश सभी प्रकार से सुरक्षित है।

भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ सुरक्षा सहयोग में वृद्धि

ने पहले से ही पूर्वी सीमा पर भारत विरोधी तत्वों पर कब्जा करने और ऐसे तत्त्वों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने आधार के रूप में इन देशों के उपयोग को रोकने के मामले में सकारात्मक परिणाम दिखाई है।

चीन के साथ हमारे संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सीमा विवाद सहित कई मुद्दे अभी लंबित हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांतिचित्तता का बने रहना द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त है। चीन के साथ, हम मेलजोल और व्यावहारिक सहयोग की नीति का पालन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उसकी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत से निपटने के लिए रणनीतियों पर मंथन करना भी जारी रखेंगे।

अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे मित्र देशों से नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों को लाने और भारत में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर नए रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करने के दोहरे दृष्टिकोण से अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए भाजपा सरकार ने पहले ही रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा की है, जिससे बृहत् रूप से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

संस्कृति एव सभ्यता - सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध

हमारे देश का दुनिया के विभिन्न भागों के साथ कई सदियों से सभ्यतागत संबंध है। ये सांस्कृतिक संबंध पूर्व और सुदूर पूर्व एशिया के देशों, अफ्रीका, मंगोलिया के साथ और मजबूत बनाने की जरूरत है। इन देशों का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इस दिशा में आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों का उदाहरण है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने के लिए विश्व भर में जबरदस्त उल्लास, हमारी 'सॉफ्ट पावर में गहरी वैश्विक हित का ही एक उदाहरण है।

संकट के दौरान सहयोग का हाथ बढ़ाना भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है। नेपाल में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों के बचाव और पुनर्वास के लिए भारत ने मानवीय मिशन में नेतृत्वपरक भूमिका निभाई थी। हमने अफ्रीकी देशों को रियायती क्रेडिट लाइन दिया है।

विदेशों में बसे भारतीयों की भूमिका

वैश्विक स्तर पर फैली हुई भारतीय डायस्पोरा, जिसे, 'प्रतिभा पलायन' के तौर पर देखा जाता था, वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ी सम्पत्ति जैसी साबित हो रही है। ऐसा न केवल उसकी वित्तीय ताकत, जिससे बहुमल्य विदेशी मुद्रा भारत में वापस आती है, बल्कि दुनिया के विभिन्न भागों में उनकी वाणिज्यिक, बौद्धिक और प्रौद्योगिकीय प्रभुत्व के कारण से भी है।

जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री मोदी दोनों लगातार भारतीय डायस्पोरा के साथ संपर्क में हैं, नियमों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शिकायतों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें सरकार के समग्र विकास एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। इन कदमों से एनआरआई समुदाय को नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। अपने मूल देश से उनका संबंध मजबूत हो रहा है और निवास वाले देश में उनका कदम बढ़ रहा है।

साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय मूल के इन लोगों को संकट के समय तत्काल मदद मुहैया कराई जाए। हमने यूक्रेन से 1000 से अधिक भारतीय छात्रों की वापसी में मदद की 46 नर्सों सहित इराक से 7000 से अधिक भारतीय कामगारों को बाहर निकाला। लीबिया से हमारे 3000 से अधिक नागरिकों की वापसी और यमन से लगभग 4000 हमारे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की।

❍

13. मीडिया और सोशल मीडिया: कैसे और क्या?

समाजसेवा और राजनीति के क्षेत्र में लोगों तक पहुँचने के साथ ही उनसे संपर्क स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पिछले कई दशकों से लोगों तक पहुँचने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए परंपरागत मीडिया जैसे कि अख़बार, मैगज़ीन, जर्नल आदि का प्रयोग किया जाता रहा है। बीसवीं सदी के मध्य में इस कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया था और इक्कीसवीं सदी की शुरुआत से डिजिटल मीडिया इस पूरी संचार प्रक्रिया के नेटवर्क का अभिन्न अंग बन चुका है।

मास मीडिया या जन माध्यम, मीडिया तकनीकों का एक विविध संकलन होता है जहाँ जनसंचार के ज़रिये एक विशाल जनसमुदाय के बीच सन्देश पहुँचाया जाता है। जहाँ प्रिंट मीडिया जैसे कि अख़बार, मैगज़ीन, जर्नल आदि को पढ़ा जाता है, वहीं ब्रॉडकास्ट मीडिया में जानकारियों को फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, रिकार्डेड गानों आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित किया जाता है। वहीं, दूसरी ओर डिजिटल मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट और मोबाइल जनसंचार दोनों ही आते हैं।

मूल रूप से सामाजिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों की तरह, आज राजनैतिक क्षेत्र में भी मीडिया का प्रभाव एक बहुत बड़े स्तर तक फैल चुका है। आज लगभग हर घर में मीडिया अख़बार, टेलीविज़न, मोबाइल फोन, रेडियो आदि के रूप में मौजूद हैं। इसके साथ ही आज शहरी इलाकों के लगभग हर घर में एक टेलीविज़न है और हर व्यक्ति के पास अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रिंट मीडिया जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। आने वाले दिनों

में ग्रामीण क्षेत्रों में अखबार पढ़ने वालों की संख्या के साथ-साथ ऑनलाइन और सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की भी संख्या बढ़ने की उम्मीद हैं। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए वास्तविक तौर पर सोशल/डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज़ कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को संचार प्रक्रिया से जुड़े नए तकनीकों के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो मीडिया से जुड़ा रहे और मीडिया के क्षेत्र में होने वाले हर नए बदलाव के विषय में उसे पूरी जानकारी हो। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे बहुत से ऐसे प्रसिद्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जिनके माध्यम से जनता के बीच किसी पार्टी या व्यक्ति की छवि सुधारी जा सकती है। इसके साथ ही इनके माध्यम से हम जनता को अपनी पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों के विषय में भी पूरी जानकारी दे सकते हैं।

आज के इस युग में मास मीडिया का संचालन किसी विज्ञान और कला से कम नहीं है। जिस भी भाजपा कार्यकर्ता को मीडिया के साथ बातचीत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है, प्रयोग के मामले में उसे मास मीडिया की बुनियादी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ये भी अत्यंत आवश्यक है मीडिया से बातचीत करने के दौरान कार्यकर्ता पार्टी के दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करें।

मीडिया से बातचीत

मीडिया के साथ बातचीत करने के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलक्ट्रानिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, पार्टी का सिर्फ वही कार्यकर्ता मीडिया के साथ बातचीत कर सकता है, जिसे पार्टी के तरफ से ये ज़िम्मेदारी सौंपी गयी हो। इसके साथ ही जिस कार्यकर्ता को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया से बातचीत करने के दौरान वो किसी भी मुद्दे

पर अपनी निजी राय नहीं दे सकता। मीडिया से बातचीत करने के दौरान कार्यकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वो पार्टी द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करे। जिन कार्यकर्ताओं के पास मीडिया से बात करने की ज़िम्मेदारी होती है उन्हें पंचनिष्ठा, मूलभूत आदर्शों और मुख्य मामलों के साथ-साथ विभिन मुद्दों पर पार्टी के दृष्टिकोण के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए।

मीडिया की जिम्मेदारी संभाल रहे कार्यकर्ताओं को मीडियाकर्मियों से अच्छे और व्यक्तिगत संबंध बनाने चाहिए, ताकि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि पत्रकारों और मीडिया से जुड़े अन्य लोगों के साथ नियमित तौर पर संपर्क स्थापित किया जाए। हम जानते हैं कि भाजपा देश के अन्य राजनैतिक पार्टियों से बिलकुल अलग है। ये एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इस तथ्य को निश्चित करने के लिए कि जनता के सामने पार्टी की मूल छवि आये और उन इलाकों तक इसका सफल विस्तार हो, जहाँ अभी तक जनता को भाजपा की मूल छवि के विषय में जानकारी नहीं है, हमें विचारधारा के साथ-साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और पंचायतों के कामकाज और उपलब्धियों के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने विपक्षी दलों के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उन्हें तर्कसंगत तरीके से पछाड़ सकें। शुरुआती दौर में जिस कार्यकर्ता के ऊपर मीडिया को सम्बोधति करने की ज़िम्मेदारी होती है, उसे प्रिंट मीडिया पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम मीडिया की ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकें।

उदहारण के तौर पर मीडिया के बीच दी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसे में प्रेस विज्ञप्ति लिखने के दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैसे दी जा सकती है। इसके साथ

ही इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़े मीडिया संस्थानों के साथ-साथ छोटे अख़बारों और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहें। अगर हम इतना भी पूरी निपुणता के साथ कर लेते हैं, तो समझिये कि हमने अपना आधा कार्य समाप्त कर लिया है।

संवाद

इस तथ्य को भी विशेष रूप से सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि सारे मीडियाकर्मियों को उनके ज़रूरत के अनुसार और खासतौर पर समय-सीमा से पहले प्रेस-विज्ञप्ति की कॉपी, तस्वीरें, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में ऑडियो, वीडियो बाइट्स उपलब्ध करवाए जा सकें। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तथ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों से बात करने के दौरान हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हमें उनसे अनाधिकारिक तौर पर कोई भी बात नहीं करनी चाहिये। टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों से किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में बात करते समय इस बात का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम पार्टी के विचारधारा और दृष्टिकोण से अलग हट कर बात न करें। टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों पर बोलते समय भाषा और शब्दों के चुनाव पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किसी भी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान बिना उत्तेजित हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने की ज़रूरत होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। कुछ भी बोलने और संवाद शुरू करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने श्रोताओं को क्या बताना चाहते हैं। साथ ही हमें उन मुख्य बिंदुओं की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिनसे श्रोताओं पर गहरा असर पड़ सके। साथ ही हमारे लिए स्वयं के द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण और बोले गए शब्दों के दीर्घकालिक जटिलता को भी समझना ज़रूरी होता

है। किसी भी कथन को जारी करते समय या किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के विषय में यथोचित शोध करना और उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना हमेशा उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी के वक्ताओं/प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान के विषय में भी पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है।

इन मामलों में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना हमेशा कारगर साबित होता है। हमें बिना किसी हिचक के उन्हें अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, घर का पता या ईमेल आईडी देना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया के साथ हमारे आत्मीय संबंध हों।

तथ्य और विषय वस्तु

पत्रकारों को हमेशा नयी ख़बर के लिए विचारों और नयी जानकारियों की तलाश रहती है। अपनी पार्टी के विषय में सही तथ्यों के साथ सकारात्मक जानकारियाँ देकर हम उनकी इस आवश्यकता का कुशल तौर पर प्रयोजन कर सकते हैं। ऐसा करना सम्बंधति पत्रकारों के साथ हमारे निजी रिश्ते को भी मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होता है। आंकड़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा जारी किये गए आंकड़ों और विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार, संवैधानिक निकायों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई जानकारियों का सुरक्षित विवरण तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार (आरटीआई) का सही उपयोग करना भी वांछनीय होता है। इंटरनेट का व्यापक तौर पर प्रयोग करने से चीजें आसान हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास घट रही घटनाओं के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करने के लिए गूगल सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। गूगल पर दुनिया भर की ख़बरें मौजूद होती हैं।

मीडिया में विषय-वस्तु का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। एक तरह से विषय वस्तु को ही मीडिया के क्षेत्र में बादशाह माना जाता है। विषय-वस्तु जितनी बेहतर होगी, उतने ही प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच हमारा सन्देश पहुँचेगा और हमारी पार्टी की विचारधारा के विस्तार के साथ-साथ हमें विभिन्न मुद्दों पर जनता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। इसलिए पार्टी से जुड़े किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मुद्दे की पृष्ठभूमि को अच्छे से समझकर और उसके विषय में गहन अध्ययन करने के बाद ही मीडिया के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। विषय-वस्तु तैयार करते समय श्रोताओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु लिखते समय उन श्रोताओं और पाठकों की अभिरुचि को ध्यान में रखना चाहिए, जिन तक हम अपना सन्देश पहुँचाना चाहते हैं।

डिजटिल/सोशल मीडिया

सोशल मीडिया के ज़रिये बातचीत करने के दौरान सही तथ्यों को इकठ्ठा करना आधार-रेखा मानी जाती है। इसके लिए सक्षम और समर्थ लोगों की एक शोध टीम का निर्माण किया जा सकता है जो दिलचस्प, आकर्षक, प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित विषय-वस्तु तैयार कर सकें। विषय-वस्तु तैयार करने वाली टीम में उन युवाओं को शामिल करना नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें सोशल और डिजिटल मीडिया में बेहद दिलचस्पी होती है। इसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की छवि को सुधारने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हम ऑडियो और वीडियो को भी ट्वीट या सोशल मीडिया पर पोस्ट के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को टैग करना एक बहुत कारगर माध्यम होता है, जिसके द्वारा विविध तरीकों से सन्देश का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। आने

वाले दिनों में सोशल मीडिया का प्रयोग करने वालों के बीच में वीडियो एक प्रचलित माध्यम बनने जा रहा है। आज के समय में भी सोशल मीडिया संचार के क्षेत्र में ऑनलाइन वीडियो को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिये मुफ्त में हम चंद सेकण्ड्स के अंदर पूरे विश्व में अपने सन्देश का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्विटर जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों के माध्यम से भी हम पूरे विश्व में लोगों तक अपने सन्देश को पहुँचा सकते हैं, लेकिन गूगल का प्रयोग करते वक्त हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि हमारा सन्देश अल्प और संक्षिप्त हो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता के बीच अपने सन्देश को पहुँचाने के लिए अगर हम 'गूगल' और 'गूगल प्लस' का सही इस्तेमाल सीख जाएँ, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जायेगा। हम आसानी से अपने पार्टी के सन्देश को लोगों के बीच पहुँचा सकेंगे। आज के समय में लोगों के बीच सन्देश पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुका है और हर एंड्राइड और स्मार्टफ़ोन में इस ऐप की सुविधा है। इस ऐप का प्रयोग विस्तृत तौर पर किया जा सकता है। इन सारे माध्यमों के साथ वैश्विक स्तर पर लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए यू-ट्यूब भी एक प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। धीरे-धीरे लोगों के बीच सोशल मीडिया बहुत प्रचलित हो रहा है। हमें लोगों को अपनी पार्टी की नीतियों और विचारधारा के विषय में शिक्षित करने के लिए इस माध्यम का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। चूंकि सोशल मीडिया एक मुफ्त माध्यम होता है, इसलिए कम खर्च में लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए ये एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्यधारा के मीडिया में हमारी ख़बरें प्रकाशित-प्रसारित नहीं हो पाती हैं। ऐसे में हम लोगों तक अपनी ख़बरों को पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। आज के समय में लोगों की दिलचस्पी

बिलकुल ताज़ा ख़बरों में होती हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को पार्टी से जुड़ी बिल्कुल नयी ख़बरें प्रदान करके हम अपने पार्टी के हित के लिए काम कर सकते हैं।

सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय ध्यान रखने वाली बातें

सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों को प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए –

i. **सोशल मीडिया के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता बनें** – सोशल मीडिया पर जिन प्रयोगकर्ताओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो निम्न में से एक होते हैं
   - प्रयोगकर्ता जो सूचनाओं का प्रचार करते हैं,
   - उपयोगकर्ता जो दूसरे लोगों को व्यस्त रखते हैं, और
   - उपयोगकर्ता जो वार्तालाप का संचालन करते हैं।

ii. **पूरी जानकारी रखें** – सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको भाजपा की नीतियों, उपलब्धियों और केंद्रीय विषयों के बारे में पूरी जानकारी हो। इसके साथ ही आपको अपने क्षेत्र के लोगों के ज़रूरी मुद्दों के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए।

iii. **अपने दर्शकों के विषय में पूरी जानकारी रखें** – अपने दर्शकों के ज़रूरी मुद्दों के विषय में पूरी जानकारी रखें। अगर आप उन मुद्दों पर बात करने के लिए और उन्हें सुलझाने में खुद को अभ्यस्त कर लेते हैं तो लोग आपको भरपूर सम्मान देंगे।

iv. **विनम्र रहें** – विनम्र होना परिपक्व होने की निशानी होती है और इस व्यवहार की वजह से पाठक आपका सम्मान करेंगे।

v. **लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें** – ऐसा करना हर बीजेपी पार्टी

समूहों और गैर पार्टी समूहों दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए।

vi. **अपनी प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक चुनाव करें** - बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट न करें। अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले हालात के परिप्रेक्ष्य की अच्छे से व्याख्या कर लें। ऐसा करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है।

- **मुद्दे की जड़ तक जाएँ** - कई बार लोग अपने अंदर के गुस्से को ज़ाहिर करने का तरीका ढूंढते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सोशल मीडिया पर कोई किसी तरह का पोस्ट किस वजह से कर रहा है।
- **स्रोत पर गौर करें** - कुछ लोग जान-बुझ कर समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि इससे उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। इसके अलावा भाजपा के विरोधी दल जान-बूझ कर समस्या पैदा करते हैं क्योंकि उनके लिए भाजपा के विषय में ग़लत बातें कहना मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया ऐसी हो जिसकी वजह से हमें लोगों का साथ और उनकी सराहना मिले।
- **आप जो भी पढ़ते हैं उन सब पर विश्वास न करें** - सोशल मीडिया पर बहुत से ग़लत और झूठे पोस्ट होते हैं। किसी भी पोस्ट को आगे बढ़ाने या उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले ये तय कर लें कि वो पोस्ट सही है या गलत। होक्स स्लेयर जैसी कई वेबसाइट्स होती हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि पोस्ट सही है या गलत।
- **बिना सोचे समझे प्रत्युत्तर न दें** - बिना सोचे समझे प्रत्युत्तर

देने से हम सही मुद्दे से भटक जाते हैं और उन मुद्दों पर हमारा बहुत महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थ हो जाता है, जिन मुद्दों पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है।

vii. **ध्यानपूर्वक बातों को सुने और प्रतिक्रिया तुरंत दें** – सोशल मीडिया कभी नहीं सोता। अपने क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को ध्यान से सुनें, ताकि आपको उनकी समस्याएँ समझ आ सकें। अपने से वरिष्ठ लोगों को इसके विषय में सूचित करें और स्थानीय अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ सुलझाने का प्रयास करें।

viii. **अपने से वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करें** – अगर आप किसी मुद्दे पर आश्वस्त न हों या कोई मुद्दा बहुत लम्बे समय तक चले तब उसे पार्टी के उन वरिष्ठ लोगों के हवाले कर दें जो उत्तर देने में आपसे ज़्यादा सक्षम हों। अपने वरिष्ठ के स्वीकृति के बिना किसी भी मुद्दे पर अपनी राय को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें।

ix. **विवादों से भागे न पर उनके विषय में सावधानी बरतें** – भाजपा से जुड़े किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर गलत जानकारी दी जाती है, तो उस पर आपको जवाब देना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ ही पूर्णतया सावधानी बरतनी भी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी नकारात्मक टिप्पणी को निजी तौर पर न लें। अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपना जवाब दें और उस परिस्थति को अच्छे से समझें जहाँ चीजों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

x. **अपनी गलती मानें** – अगर आप अपनी गलती सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आप पर जनता का विश्वास मज़बूत होता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि गलतियाँ बार-बार न हों।

xi. कई बार किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया न देना भी ज़रूरी होता है - कई बार जो लोग आपके विषय में गलत कह रहे हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया न देना ही बेहतर होता है। याद रखिये कि अगर कीचड़ में आप किसी के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो दूसरे को कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा आपका शरीर ही पूरी तरह गन्दा हो जायेगा, भले ही आपको ऐसा लगे कि आप वो लड़ाई जीत गए हैं। कई बार अपनी प्रतिक्रिया देने से लोगों का आपके विषय में ग़लत बोलते रहना निरंतर जारी रहता है और इसका फायदा विपक्षी दल उठाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ग़लत मुद्दों और बहस में फंसे रहें। चुप रहने से मुद्दा जल्द से जल्द खत्म हो जाता है क्योंकि फिर सोशल मीडिया का ध्यान दूसरे मुद्दों की तरफ चला जाता है। ''ट्रोल'' के संबंध में निम्न कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है-

- **ट्रोल को नज़रअंदाज़ करें और खुद किसी को ट्रोल न करें**- सोशल मीडिया पर ट्रोल बिलकुल उसी तरह होते हैं जैसे आम जीवन में पीछा करने वाले। जो लोग ट्रोल करने की मंशा रखते हैं वो अप्रिय, विभाजक और विवादों से भरी टिपण्णी देते हैं। आमतौर पर ट्रोल करने वाले लोग प्रत्यक्ष और उकसाने वाली टिप्पणियाँ देते हैं जिस पर सोशल मीडिया के नए प्रयोगकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दें।
- कुछ ट्रोल जानबूझ पर आपके लिए ''भक्त'' शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसी टिप्पणियों पर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके अपनी प्रतिक्रिया देने या आक्रामक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।

xii. विपक्षी दल के विषय में बार-बार कुछ भी ग़लत न बोलें - विपक्ष के विषय में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा

करने से लोगों का ध्यान विपक्षी दल की ओर भी आकर्षित होता है। आपको इस तथ्य को पूरी तरह स्वीकारना चाहिए कि देश में भाजपा सबसे बेहतर पार्टी है और इसके साथ ही मूल्यों और अवलोकन के आधार पर दूसरी पार्टियों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। इसका ये अर्थ बिलकुल नहीं हुआ कि अवसर आने पर आप विपक्षी दल की कमज़ोरियों, पाखण्ड और दूसरी गलतियों पर सवाल न उठायें, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सवाल उठाते समय आपके पास पूरे तथ्य मौजूद होने चाहिए।

xiii. **उन लोगों को बचाने का प्रयास न करें जिन्हें समर्थन नहीं दिया जा सकता** – सारी पार्टियों में कुछ बुरे लोग होते हैं। अगर हमारे पार्टी के किसी सदस्य पर किसी निंदनीय कार्य को करने का आरोप लगता है और उस आरोप को सही साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, तो सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी सदस्य को बचाने का प्रयास न करें। जब तक मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता या आरोप मुक्त होने के लिए उसके पक्ष में सही प्रमाण नहीं मिल जाते तब तक ऐसी परिस्थिति में संयम रखना ही बेहतर होता है।

xiv. **अपने वरिष्ठ को सारी जानकारी दें** – सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तब अपने वरिष्ठ को इसके विषय में पूरी जानकारी दें। साथ ही उन्हें ये भी बताएं कि किसी अफवाह वाली ख़बर पर आपने क्या टिप्पणी दी है।

xv. **जहाँ भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच समानता की विचारधारा को प्रोत्साहन दें** – एक ज़िम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भाजपा पूरे देश में सामाजिक सौहार्द की पक्षधर है। जब आप सोशल मीडिया पर भाजपा का दृष्टिकोण लोगों के बीच

रख रहे हैं तब आपको भी इन राष्ट्रीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपको कभी भी ऐसे पोस्ट को न लिखना चाहिए, न उसे किसी को भेजना चाहिये और न ही उसे रिट्वीट करना चाहिए जो समाज में विभाजन का माहौल पैदा करें।?

xvi. **लोगों से आमने-सामने बात करें** - बेशक संपर्क स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया संचार का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण माध्यम होता है, लेकिन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिये उनसे आमने-सामने बात करना ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जरिया होता है। सोशल मीडिया के सारे अवसरों को फील्ड गतिविधि में तब्दील करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जनता उन गतिविधियों में हिस्सा ले सके और हमें उनसे बात करने का मौका मिले। अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की पहचान करें और सोशल मीडिया के ज़रिये उनके साथ एक बैठक तय करने की कोशिश करें।

xvii. **इस बात का ध्यान रखें कि जानकारियों की अति न हो** - बार-बार एक ही व्यक्ति से कई सन्देश मिलने पर खीझ महसूस होती है। सोशल मीडिया के विभिन उपकरणों की सीमा को समझना ज़रूरी होता है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा न बोलें, लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें। अगर आपके ऊपर बीजेपी का सोशल मीडिया अकाउंट देखने की ज़िम्मेदारी है और आप बहुत समय तक सक्रिय नहीं रहते हैं तो लोग आपको भूल जायेंगे।

xviii. **संक्षिप्त रहें** - आमतौर पर लोग लम्बे पोस्ट नहीं पढ़ते हैं। इसलिए अपनी बातों को संक्षिप्त में अच्छे शब्दों के चुनाव के साथ लोगों के सामने रखें।

xix. **पोस्ट को ना दोहराएं** – संचार की प्रक्रिया में किसी भी बात को दोहराने से पाठकों और श्रोताओं को खीझ महसूस होती है। आपको जो भी कहना है एक बार में कहें। अगर अपने सन्देश का प्रभाव बढ़ाने के लिए आपको उसे दुबारा कहना है तो पहले के पोस्ट का हवाला ज़रूर दें।

xx. **भाषा** – पोस्ट के लिए उसी भाषा का चुनाव करें, जिसमें आपकी और आपके पाठक एवं श्रोता वर्ग की सुविधा हो।

xxi. **अपने पोस्ट को दोबारा पढ़ें और उसे दोहराएं** – किसी भी पोस्ट के लिए ''पोस्ट'' या ''शेयर'' बटन क्लिक करने से पहले उसे दोबारा पढ़ना और दोहराना ज़रूरी होता है, ताकि व्याकरण, वर्तनी, तथ्यों आदि की गड़बड़ी न हो।

xxii. **सन्देश लिखने के तरीके में परिपक्वता होनी चाहिए** –डींग हांकने, बार–बार शिकायत करने और धमकाने से आप अपने पाठकों के बीच प्रसिद्ध नहीं हो सकते।

xxiii. **यथार्थवादी रहें** – किसी भी ऐसी चीज का वादा न करें जो आप पूरा नहीं कर सकते।

xxiv. **उसी तरह से व्यवहार करें जिस तरह से आप खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं** – अगर आप चाहते हैं कि कोई अशिष्ट पोस्ट न करे, इसके लिए आपको भी इस प्रकार का कोई पोस्ट या कोई टिपण्णी नहीं देनी चाहिए।

xxv. **प्रासंगिक रहें** – सोशल मीडिया पर कई ग्रुप ऐसे होते हैं जो धीरे–धीरे अप्रासंगिक होने लगते हैं और सिर्फ चुटकुलों, बिना अर्थ वाले पोस्ट और पारिवारिक ख़बरों तक सीमित रह जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भाजपा का अकाउंट देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी तरह के पोस्ट डालें जो भाजपा के

लिए प्रासंगिक हो।

xxvi. **पोस्ट करने से पहले अपने तथ्य जाँच कर लें** – सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले ये जाँच कर लें कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े और किए गए दूसरे दावे सही हैं। अगर आप किसी बाहरी एजेंसी या स्रोत पर भरोसा कर रहे हैं तो आप अपने पोस्ट में उनका हवाला दे सकते हैं।

xxvii. **तर्कयुक्त रहें** – किसी भी दृष्टिकोण को अपनाते वक़्त बीजेपी की नीतियों और पार्टी से जुड़े पोस्ट के विषय में पूरी जानकारी रखें। बार-बार अपने दृष्टिकोण को ना बदलें।

xxviii. **अपने टीम के साथ अपने अनुभवों को साझा करें** – महीने में कम से कम एक बार अपने टीम के साथ आमने-सामने मिलकर अपने अनुभवों को बाँटना चाहिए। इससे एक-दूसरे से कई सकारात्मक और नकारात्मक बातें जानने को मिलती हैं।

xxix. **सोशल मीडिया के पोस्ट स्थायी होते हैं** – किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया पर डालने से पहले सावधानीपूर्वक सारे तथ्यों की जांच कर लें, क्योंकि एक बार जब कोई पोस्ट इंटरनेट पर चला जाता है तब वो पूरी तरह वहाँ स्थायी हो जाता है। आप भले उसे डिलीट कर दें, लेकिन हो सकता है कि आपके डिलीट करने से पहले किसी ने उस पोस्ट का स्क्रीन शॉट ले लिया हो, या उसे किसी और को भेज दिया हो, या उसे सेव या कॉपी कर लिया हो। इस बात को कभी न भूलें कि अगर आप कोई बेतुका सा पोस्ट डालते हैं तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

xxx. **गोपनीय और स्वामित्व सम्बन्धी जानकरियों को सुरक्षित रखें**-अगर आप ऐसी कोई ख़बर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जो आपके समर्थक ने गोपनीय स्तर पर आपको बताई

हो तो इससे वो आपका दुश्मन बन सकता है। ऐसा व्यवहार कभी न करें।

xxxi. अपनी निजी राय को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें – भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी निजी राय तब तक न दें, जब तक वो पार्टी की छवि को सुदृढ़ न बनाए।

ऊपर कहीं गयी सारी बातें मात्र कुछ दिशा–निर्देश हैं। इन सारे दिशा–निर्देशों को विस्तार से समझने के लिए आप ट्रेनिंग गाइडबुक "Media Approach & Strategy - Quick guidebook for handling Media and Social Media" पढ़ सकते हैं, जो भाजपा के प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अलग से प्रकाशित की जाती है।

❍

भारतीय जनता पार्टी

6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002

फोन : 011-23500000, फैक्स : 011-23500190

ISBN 978-93-88310-25-3